खण्ड-237, अंक-8
गुरूवार, 22 अग्रहायण, शक संवत् 1884
(13 दिसम्बर, 1962 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 237 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	८८५–८८९
प्रश्नोत्तर	८८९–९५५
उत्तर प्रदेश इंटरटेनमेंट्स ऐंड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९६२ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	९५५
उत्तर प्रदेश स्टैम्प (संशोधन) विधेयक, १९६२ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	९५५
नियम ५२ व ५३ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं	९५५–९५६
राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दिये गये धन के सम्बन्ध में सूचना	९५६
श्री परागीलाल तिवारी की ढिवकई, जिला झांसी में मृत्यु के सम्बन्ध में गृह-उपमन्त्री का वक्तव्य	९५६–९५७
२६ सितम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न ९ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	९५७
'समाजवादी संयुक्त दल' के संगठन के सम्बन्ध में सूचना	९५८
गोरखपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६२ (विचारोपरान्त पारित)	९५८–९६८
नत्थियां	९६९–१००३

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, १३ दिसम्बर, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदन मोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३७०

अखंडप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हबीब खां, चौधरी
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री

गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेंद्रनारायण, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरेंद्रसिंह, श्री
नरेंद्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती

प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वरसहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदास यादवेंदु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री

रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअवध , श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शांतिचन्द्र शुक्ल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री

श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेंद्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी ऐडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

नोट—वन मन्त्री, श्री अलगूराय शास्त्री तथा नियोजन मन्त्री, श्री हरगोविन्दसिंह भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, १३ दिसम्बर, १९६२

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

मधुबन अस्पताल में डाक्टर न होना

*१—**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)—क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मधुबन राजकीय अस्पताल, जिला आजमगढ़ के खेवा क्षेत्र में चेचक का भीषण प्रकोप चल रहा है और उक्त अस्पताल में न कोई डाक्टर है और न मेडिकल आफिसर इंचार्ज ?

चिकित्सा उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)—मधुबन क्षेत्र के केवल दुबरी गांव में मई, १९६२ में चेचक के प्रकोप की सूचना मिली थी। इसके नियन्त्रण के लिये टीके इत्यादि लगाने वाले कर्मचारियों को वहां भेजा गया था। उस समय उक्त अस्पताल में कोई डाक्टर नहीं था।

*२—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त अस्पताल में डाक्टर कब तक भेजने का प्रबन्ध करेंगे ?

श्री धर्मसिंह—१०-७-१९६२ व डाक्टर ने उक्त अस्पताल में चार्ज ले लिया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मा नीय स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस दुबारी गांव में कितने महीने चेचक रही और कितने आदमियों की मृत्यु हुई ?

श्री धर्मसिंह—जनवरी, ६२ में चेचक आरम्भ हुई और २९ आदमियों की मत्यु हुई। अप्रैल के अन्त तक यह बीमारी रही ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि कर्मचारियों और दवाइयों की कमी के कारण २९ से बहुत अधिक मृत्युयें हुईं और बार-बार हेल्थ अफसर को लिखने पर भी उचित कार्यवाही नहीं हो सकी ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव)---यह सही नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---इस गांव में कोई अधिकारी जांच के लिये गया था ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---जांच की आवश्यकता नहीं थी। जितना सामान हमारे पास था वह काफी था।

श्री रामसुन्दर पांडेय---माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी कहते हैं कि जाने की जरूरत नहीं थी.....

श्री अध्यक्ष---आप कहते हैं कि बहुत अधिक संख्या में मृत्युयें हुईं और वह कहते हैं कि ऐसा नहीं है। अगर उनको सूचना नहीं है तो किसी को भेजने की आवश्यकता नहीं थी।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी माननीय सदस्य की कही बातों की सूचना मानकर पुनः जांच कराने की कृपा करेंगे कि वहां चेचक से कितने लोगों की मृत्युयें हुईं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---६४ आदमियों को चेचक हुई, २९ मरे। अगर कोई बात आप बतलावें कि २९ के बजाय २,९०० मरे तो जांच करावें।

श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)---कितने लोगों को टीका लगाया और क्या उसके बाद वे लोग आजमगढ़ चले आये जिससे टीका लगे लोगों की देख-रेख नहीं हो सकी ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---३५८ आदमियों को दोबारा टीका लगाया गया, औरों ने नहीं लगवाया।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---क्या माननीय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि २९ मृत्युयें डाक्टर और कम्पाउंडर का प्रबन्ध न होने के कारण हुईं और जब ये पहुंच गये तो कोई मृत्यु नहीं हुई ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---डाक्टर की नियुक्ति तो हमने जुलाई में कर दी थी। टीका लगाने वाले वहां गये। उसका कोई खास इलाज तो था नहीं। टीके लगा दिये और जितने लोगों की मृत्युयें हुईं उसमें मैं क्या और बताऊं ?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---चेचक किस तारीख को शुरू हुई और कब से टीका लगाना प्रारम्भ किया गया ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---चेचक शुरू हुई जनवरी में और टीका लगाने की तारीख मेरे पास नहीं है। तारीख मालूम करके बता सकता हूं। नोटिस चाहिये।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

डफरिन अस्पताल, इलाहाबाद

*१---**श्री कल्याणचन्द मोहिले**---क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में बच्चा पैदा कराने के अस्पतालों की संख्या जिलेवार कितनी है ?

श्री धर्मसिंह---सूचना एकत्र की जा रही है।

*२---**श्री कल्याणचन्द मोहिले**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद के डफरिन अस्पताल (Duffrin Hospital) में कितने मरीजों के रहने के लिये कितनी संख्या बेड की है तथा १९६१-६२ में कितने आउट डोर (out-door) मरीजों को दवा दी गई ?

श्री धर्मसिंह---डफरिन अस्पताल, इलाहाबाद में ८६ शय्यायें मरीजों के रहने के लिये हैं। इस अस्पताल में १९६१-६२ में २८,७८६ आउटडोर मरीजों को दवा दी गई।

*३---**श्री कल्याणचन्द मोहिले**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद के डफरिन अस्पताल (Duffrin Hospital) में कितनी संख्या डाक्टरों, नर्स, सफाई करने वालों की है ?

श्री धर्मसिंह---इस अस्पताल में डाक्टर, नर्स तथा सफाई करने वालों की संख्या क्रमशः ४ चिकित्साध्यक्ष को मिलाकर, १५ और ११ है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---वहां के मरीजों की संख्या देखते हुये तथा लापरवाही के कारण जच्चा और बच्चा मरने की जो बार-बार शिकायत आती है उसको देखते हुये क्या सरकार उस अस्पताल का सुप्रबन्ध कराने की कृपा करेगी ?

श्री धर्मसिंह---जब भी शिकायतें आती हैं उन पर विचार किया जाता है और उचित कार्यवाही की जाती है।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अस्पतालों के अलावा शहरों और ग्रामों में बच्चा पैदा कराने के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था कर रखी है ?

श्री धर्मसिंह---जैसा कि निवेदन किया गया है, उसके लिये तो सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---क्या स्वास्थ्य मन्त्री इस बात को ध्यान में रखते हुये कि अशिक्षा और कुछ कुप्रथाओं, परदा वगैरह के कारण हमारे देश में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को रोग अधिक होते हैं लेकिन आज स्थिति यह है कि कम्बाइंड हास्पिटल्स में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के बेड्स कम हैं इसलिये हास्पिटल्स में स्त्रियों और बच्चों के बेड्स बढ़ाने की योजना पर विचार करेंगे ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---प्रश्न से तो यह सवाल पैदा नहीं होता। अगर आप कुछ सजेशन्स दें तो दूसरी बात है।

श्री रघुवीर---इलाहाबाद नगर महापालिका की जनसंख्या को देखते हुये जो वहां पर जच्चा-बच्चा अस्पताल बनाये गये हैं उनमें शय्याओं, डाक्टरों और नर्सों की कमी है तो क्या सरकार उनकी संख्या बढ़ाने का विचार कर रही है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---अभी तो कोई ऐसा विचार हो नहीं रहा है क्योंकि बहुत से ऐसे अस्पताल हैं जहां डाक्टर ही नहीं पहुंच सके हैं और सभी जगह इन्तजाम करना है तो इलाहाबाद में ज्यादा डाक्टर कर दें और दूसरी जगह न पहुंचा सकें, यह उचित नहीं होगा। फिर भी जैसे ही सुभीता होगा हम उधर जरूर ध्यान देंगे।

*४-५--श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)---[२०वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

*६-७--श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)---[हटा दिये गये।]

विलीन काशी राज्य के अस्थायी कर्मचारी

*८--श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)---विलीन काशी राज्य के अस्थायी कर्मचारियों का स्थायी न होने के कारण जो अहित हो रहा है क्या सरकार उनकी क्षतिपूर्ति करेगी? यदि हां, तो किस रूप में?

विद्युत् उपमन्त्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)---विलीन काशी राज्य के कर्मचारियों की नियुक्ति भारत सरकार और हिज हाईनेस महाराजा बनारस के बीच किये गये समझौते के अन्तर्गत बनाये गये आदेशों के अनुसार की गई है। उन आदेशों में एक आदेश यह भी है कि जब तक ये कर्मचारी उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा में स्थायी नहीं हो जाते हैं तब तक वे अपने उन पदों पर स्थायी रहेंगे जिन पर कि वे विलीनीकरण के पूर्व स्थायी रूप से काम कर रहे थे। ऐसे कर्मचारियों को उनके अस्थायी समय के दौरान में कोई क्षति न पहुंचे इस हेतु वे पद कायम रखे गये हैं (अर्थात् तोड़े नहीं गये हैं) और तब तक कायम रहेंगे जबतक कि ये कर्मचारी उत्तर प्रदेश की सेवा में स्थायी न हो जायं। इस प्रकार उनकी सेवाओं की निरन्तरता (continuity of service) बनी रहेगी और उनके यथाविधि पेंशन इत्यादि के हक बने रहेंगे। ऐसी दशा में उनकी कोई क्षति, जिसके पूरा करने का प्रश्न उठे, नहीं हो रही है।

*९---श्री गयाप्रसाद---उपरोक्त कर्मचारियों की सीनियारटी जूनियारिटी की समस्या का क्या हल निकाला जायगा और उनकी पदोन्नति किस प्रकार की जायेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---विलीन राज्यों के उन कर्मचारियों की सीनियारिटी जो उत्तर प्रदेश की सेवा में ले लिये गये हैं, उन खास तौर पर बनाए गए नियमों के अनुसार तै होती रहेगी, जो इस संबंध में बनाये गये हैं। उन नियमों की एक प्रति सदन के मेज पर रख दी गई है। यही नियम विलीन काशी राज्य के कर्मचारियों के लिये भी लागू है।

उक्त कर्मचारियों की पदोन्नति के विषय में पदोन्नति संबंधी आम नियम लागू होंगे, जिनके अनुसार पदोन्नति के समय सीनियारिटी, मेरिट (merit) इत्यादि बातें ध्यान में रखी जाती हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ९६९-९७२ पर)

*१०---श्री गयाप्रसाद---क्या सरकार को पता है कि ऐसे अस्थायी कितने कर्मचारी वाराणसी जिले के ट्रेजरी आफिस में काम कर रहे हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---जी हां, ऐसे तीन क्लर्क काम कर रहे हैं और उनके स्थायीकरण का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

श्री गयाप्रसाद---मंत्री जी बतायेंगे, १०, १२ साल का समय बीत जाने पर भी उनके स्थायीकरण की समस्या हल नहीं हो सकती तो उनके स्थायी होने में क्या बाधायें हैं ?

मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---कुछ अधिकारीगण अस्थायी जगहों पर थे, कुछ का कैरेक्टर रोल ऐसा नहीं है जिसके अनुसार वे स्थायी किये जायं, कुछ के विषय में जगहें स्थायी नहीं की गईं। यही कारण हैं जिनकी वजह से वे अभी स्थायी नहीं हो पाये हैं, कुछ के मामलात स्थायी होने के लिये विचाराधीन हैं।

श्री गयाप्रसाद—स्थायीकरण जब कभी भी उनका होगा तो क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि उनकी सीनियारिटी उनकी सेवा करने की पूर्व नियुक्ति तिथि से लगायी जाय ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—ऐसे तो स्थायीकरण के नियमों में है ही ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—अक्तूबर, १८, १९५४ का जो सरकार का जी० ए० डी० से नोटिफिकेशन निकला है उसके पैराग्राफ २ को देखने की मंत्री जी कृपा करेंगे, जिसमें लिखा है—

"An absorbed employee who was holding a permanent post in a merged State immediately preceding the merger will be placed just below the last permanent regular (U. P.) employee in the cadre concerned on the date of absorption."

तो इस बात को देखते हुए अभी तक सरकार ने इसका पालन नहीं किया, इसका क्या कारण है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—जरा भूल है । ऐसी चीज नहीं है कि उसका पालन नहीं हुआ । जैसा मुख्य मंत्री जी ने कहा हमारे स्थायीकरण के कुछ नियम हैं जिनके अनुसार अगर कोई पद ही नहीं है तो वहां कैसे स्थायी किये जायं । अपनी पुरानी जगह स्थायी रहेंगे और हमारे यहां अस्थायी काम करते रहेंगे जब तक हमारे यहां स्थायी न कर दिये जायं ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—इस बात को देखते हुए उन कर्मचारियों में एक विशेष प्रकार का असंतोष है कि हम एक स्टेट में थे और हमारी कंडीशन्स आफ सर्विस थीं और वह महसूस करते थे जब हमारी सर्विस सरकार को ट्रांसफर हो जायंगी तो हमारी सेक्योरिटी आफ सर्विस मेन्टेन की जायगी और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो हमारी सीनियारिटी पर असर पड़ता है, इस बात को देखते हुए सरकार किसी विशेष योजना पर विचार करेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—उनकी सिक्योरिटी आफ सर्विस तो वहां है ही । जितने बनारस स्टेट के स्थायी कर्मचारी थे हमारे यहां अस्थायी होते हुए भी (पुराने पद पर) स्थायी रहेंगे और जो उनकी सर्विस कंडीशन्स थीं उनसे हरएक की आज बहुत अच्छी है ।

नियोजन विभाग, बाराबंकी की गाड़ी

*११—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बाराबंकी के नियोजन विभाग की गाड़ी नं० यू० एस० क्यू० ५३८३, बाराबंकी ब्लाक की गाड़ी नं० ६६०६ यू० एस० क्यू० तथा ब्लाक हरख, बाराबंकी की गाड़ी नं० १०८६ यू० एस० क्यू० से ११ अगस्त, १९६२ को बाराबंकी से लखनऊ सरिया ढोने का कार्य लिया गया जिसकी वृष्टि निशातगंज, लखनऊ के चुंगी नाके से की जा सकती है? यदि हां, तो किस उद्देश्य से तथा क्यों ?

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—जी नहीं, निर्दिष्ट तिथि को बाराबंकी ब्लाक की गाड़ी नं० ६६०६ यू० एस० क्यू० तथा हरख ब्लाक, बाराबंकी की गाड़ी नं० १०८६ यू० एस० क्यू० बाराबंकी से लखनऊ नहीं आई । जिला बाराबंकी के नियोजन विभाग की गाड़ी नं० यू० एस० क्यू० ५३८३ बाराबंकी से लखनऊ तक सरविसिंग के वास्ते खाली आई थी ।

यह सही नहीं है कि वह बाराबंकी से सरिया ढोकर लखनऊ लाई थी । इस ट्रिप पर चुंगी देने का प्रश्न नहीं उठता है ।

खानपुर गांव में खाण्डसारी के लिए ऋण

*१२—श्री रघुवीर—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर में सैदपुर तहसील के खानपुर गांव में किसी खंडसारी मिल को १५,००० रु० कर्जा दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त कर्जे का पूर्ण विवरण क्या है, उसमें कितना-कितना सीमेंट, लोहा तथा कोयला आदि दिया गया ?

*१३—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त मिल ने उपरोक्त कर्जे का उपयोग किस ढंग से किया ? कर्जे के रूप में मिले सामान को चोरबाजार में बेचा तो नहीं गया ?

*१४—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यदि उपरोक्त मिलने सामान चोरबाजार में बेचा है, तो सरकार ने उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—वांछित सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री रघुवीर—इस सवाल को दिये हुए करीब ३ महीने हो गये और कई बार इसको हटाया गया । महज एक खांडसारी मिल के बारे में यह सवाल था और उसके कोयले, सीमेंट और कर्जे के बारे में पूछा गया है कि प्रबन्धक ने कितने रुपये का गबन किया । इस सवाल के बारे में अभी तक जांच-पड़ताल नहीं हो सकी, इसका क्या कारण है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—इसमें कई विभागों से सूचना मंगायी जा रही है, जिला मैजिस्ट्रेट की आ गई है, डायरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज से नहीं आयी है, कोशिश की जा रही है जल्दी की जाय ।

श्री अध्यक्ष—क्या आप चाहते हैं यह प्रश्न फिर न आये ?

श्री रघुवीर—आये ।

श्री अध्यक्ष—तो फिर बैठ जाइये ।

बरेली जिले से थानेदारों का तबादला

*१५—श्री रामेश्वरनाथ (जिला बरेली)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि आम चुनाव के बाद से १२ सितम्बर, १९६२ तक कितने पुलिस सब-इंसपेक्टरों का उनकी अवधि पूरी होने से पहले ही बरेली जिले से दूसरे जिलों को तबादला कर दिया गया और इस पर कितना ज्यादा व्यय हुआ ?

गृह उप मंत्री (श्री नवलकिशोर)—नियमानुसार थानेदार एक ही जिले में अधिक से अधिक ६ वर्ष तक रह सकता है और इस अवधि के पूर्ण होने के पहले ही उन्हें दूसरे जिलों को स्थानान्तरित कर दिया जाता है । तदनुसार आम चुनाव के बाद से १२ सितम्बर, १९६२ तक ९ सब-इंस्पेक्टरों का बरेली जिले से स्थानान्तरण कर दिया गया । अवधि से पूर्व ही स्थानान्तरित किये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता क्योंकि इनके स्थानान्तरण के लिये कम से कम कोई समय निर्धारित नहीं है ।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

श्री रामेश्वरनाथ—क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह ट्रांसफर कितने कितने समय के बाद किये गये ?

श्री नवलकिशोर—इनमें एक साहब का ट्रांसफर छः साल से करीब तीन चार महीने पहले हुआ, एक साहब का करीब एक साल पहले ट्रांसफर हुआ, एक साहब का उनके अप्वाइंटमेंट के दो साल के अन्दर ट्रांसफर हुआ, एक साहब का पांच साल के अन्दर ट्रांसफर हुआ, एक साहब का दो-ढाई साल के अन्दर ट्रांसफर हुआ, एक साहब का चार साल के अन्दर ट्रांसफर हुआ, उसके बाद ढाई साल के अन्दर, फिर ढाई साल के अन्दर और फिर ढाई साल के अन्दर ट्रांसफर हुआ ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जैसा कि उन्होंने कहा ६ साल की अवधि होती है जिलों में रखने की, इन थानेदारों के तबादले छः साल से पूर्व क्यों कर दिये गये ? इनके खिलाफ कोई शिकायतें थीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कभी कभी छः साल से पूर्व इसलिये करना पड़ता है कि अगर किसी के छः साल अक्तूबर या नवम्बर में खत्म होते हैं, तो उसका ट्रांसफर जुलाई में कर दिया जाता है ताकि बच्चों की पढ़ाई-लिखाई आदि के सिलसिले में दिक्कतें न हों । यदि नवम्बर, दिसम्बर या जनवरी में ट्रांसफर होते हैं तो अधिकारियों को ट्रांसफर में काफी असुविधा होती है, खास कर बच्चों की पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में । इस कारण छः साल से पूर्व भी यदि आवश्यकता होती है तो ट्रांसफर कर दिये जाते हैं । सरकार के जो प्रतिनिधि यहां कांग्रेस की तरफ से चुन कर आये हैं, वह सरकार या सरकारी कर्मचारियों की मदद पर या मदद ले कर नहीं आये हैं, सरकार कभी सरकारी आदमियों की मदद पर अपने कांग्रेस के प्रतिनिधियों को न चुनवाने में कोई प्रोत्साहन देती है न इस नीति का कभी समर्थन करती है । यह तो कोई और ही दल सरकारी कर्मचारियों की सहायता लेकर अपने को चुनवाने की चेष्टा कर सकते हैं ।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जैसा अभी उन्होंने बताया कि जुलाई में ट्रांसफर करने की वजह से छः साल से पूर्व ट्रांसफर करने पड़ते हैं, लेकिन जो दो ढाई साल के बाद ट्रांसफर किये गये हैं, वह किस कारण किये गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार के सामने उन कारणों के अलावा ऐसे अवसर भी आते हैं जब किसी कर्मचारी की शिकायत होती है और शिकायत के हिसाब से भी किसी कर्मचारी का ट्रांसफर करना पड़ता है । यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ६ साल से पहले किसी का ट्रांसफर नहीं हो सकेगा । आम तौर से ६ साल तक एक सरकारी सब-इंसपेक्टर जो एक थाने में काम करता है, वह एक जिले में रह सकता है । लेकिन यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ६ साल से पूर्व उसका ट्रांसफर नहीं हो सकता । यदि स्थितियां इस बात की मांग करेंगी तो इससे पूर्व भी उनका ट्रांसफर हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष—मतलब यह है कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स पर ट्रांसफर हो जाते हैं ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि जैसा उन्होंने अभी अपने वक्तव्य में कहा, एक जिले में एक सब-इंसपेक्टर को ६ वर्ष तक रहना चाहिये ऐसा सरकारी आदेश है.....

श्री अध्यक्ष—ऐसी बात नहीं है । उनका कहना यह है कि प्रायः ६ वर्ष तक रह सकते हैं, लेकिन उसके पूर्व उनका ट्रांसफर नहीं हो सकता, ऐसा कोई नियम नहीं है । उसके पूर्व भी हो सकता है ।

जौनपुर जिले में विकास खण्डों में पानी की व्यवस्था

*१६—श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)—क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले के प्रत्येक विकास खंड क्षेत्र में सन् १९५७ ई० से १९६१ ई० तक प्रत्येक वर्ष में कुल कितने पानी पीने के कूप व हैंड पाइप बनाये गये ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—वांछित सूचना माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

इसमें दो ब्लाकों, महराजगंज और बरशाती के विषय की सूचना सम्मिलित नहीं है क्योंकि वे १९६१ में खुले हैं । यह सूचना एकत्र की जा रही है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ९७३ पर)

दादरी व अगौता क्षेत्रों का पंचायती चुनाव

*१७—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बुलन्दशहर जिले के निर्वाचन क्षेत्र दादरी व अगौता के पंचों के उस चयन को बदल दिया गया है जिसे ग्राम पंचायतों ने सर्वसम्मति से भेजा था या जिन्हें सलाहकार समिति ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया था ? यदि हां, तो क्यों और किस-किस पंचायत-क्षेत्र को ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—निर्वाचन क्षेत्र दादरी की ग्राम पंचायतों ने सर्व सम्मति से पास किये गये प्रस्तावों द्वारा १४१ व्यक्तियों के नाम पंचों के पदों पर नियुक्ति के लिये भेजे थे । इनमें से जिलाधीश ने १२ व्यक्तियों को कतिपय अनुशासनात्मक कारणों तथा परामर्शदात्री समिति द्वारा अनुमोदित न किये जाने के कारण पंच पद पर नियुक्त नहीं किया । ये व्यक्ति निम्नलिखित ग्राम पंचायत क्षेत्र के संबंध में थे :—

शाहपुर, गोवर्धनपुर, छपरौला, अछैजा, गिरधरपुर, सुठारी, सोरखा, लोहारली गुलाबठीखुर्द, अट्टा गुजरान, कैमराला चक्रसेनपुर तथा दुजाना ।

उक्त निर्वाचन क्षेत्र में पंचों की नियुक्ति के लिये परामर्शदात्री समिति ने ३७३ व्यक्तियों के नामों की सिफारिश की थी । इनमें से केवल ७ व्यक्तियों को पंच पदों पर नियुक्त नहीं किया गया । ये व्यक्ति निम्नलिखित ग्राम पंचायत क्षेत्र के थे :—

चौडा शाहादतपुर, बरबाबड़ इस्माइलाबाद कल्दा, दुजाना, मायचा तथा कैमराला चक्रसेनपुर । गांव पंचायत चौडा शाहादतपुर के एक पंच का स्थान रिक्त छोड़ दिया गया है । एक व्यक्ति के विरुद्ध गबन की शिकायत होने के कारण उसे अस्वीकार कर दिया गया था तथा शेष ५ व्यक्तियों के संबंध में परामर्शदात्री समिति की सिफारिश कुछ अनुशासनात्मक कारणों से नहीं मानी गयी ।

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र अगौता की ग्राम पंचायतों ने सर्व सम्मति से पास किये गये प्रस्तावों द्वारा ५८ व्यक्तियों के नामों को पंच पदों पर नियुक्ति के लिये भेजा था । इनमें से १० व्यक्तियों को पंच पद पर इसलिये नियुक्त नहीं किया क्योंकि इनके लिये परामर्शदात्री समिति ने सिफारिश नहीं की थी । इनमें से ४ पद अभी रिक्त रखे गये हैं और शेष पद निम्नलिखित ग्राम पंचायतों के क्षेत्र के हैं :—

मालगढ़, बोदरा, सलामतपुर, गंगावली, खरकाली, विंडवक, तथा मेसरोली ।

इस क्षेत्र की परामर्शदात्री समिति द्वारा सर्व सम्मति से प्रस्तावित सभी व्यक्तियों को पंच पद पर नियुक्त किया गया है ।

जिला अस्पताल, फतेहपुर में कुप्रबन्ध

*१८—श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला अस्पताल फतेहपुर में एक वर्ष से व्याप्त भ्रष्टाचार तथा गरीब हरिजन रोगियों की अवहेलना होने के विरुद्ध जनता के प्रार्थना-पत्रों के अलावा मेरे दिनांक ६ मई, १९६२ व २ जुलाई, १९६२ के पत्र उन्हें उपमंत्री तथा संचालक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुये ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री धर्मसिंह—जी हां । शिकायतों की जांच की जा रही है ।

*१९—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उक्त अस्पताल से संबंधित आम जनता, एम० पी० विधायकों तथा नगरपालिका व जिला अन्तरिम परिषद्, फतेहपुर के प्रेसीडेंट के गत जुलाई के पत्र भी प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उन पर कोई कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री धर्मसिंह—फतेहपुर अस्पताल से संबंधित वहां के कुछ नागरिकों के पत्र तथा एक एम० पी० द्वारा प्रेषित तार प्राप्त हुए हैं । इन पर भी जांच हो रही है ।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मेरे ६ मई और २ जुलाई के प्रार्थना-पत्रों पर जो जांच हो रही है वह किस अधिकारी द्वारा करायी जा रही है और उस जांच के कब तक हो जाने की आशा है ?

श्री महाबीरप्रसाद श्रीवास्तव—यह जांच निदेशक के सुपुर्द की गई थी । उन्होंने सिविल सर्जन के द्वारा करवायी । उनकी जो रिपोर्ट आयी उसके हिसाब से डाक्टर टंडन के खिलाफ जो शिकायत थी उस पर उनको वार्निंग दे दी गई और कैरेक्टर रोल में लिख दिया गया । लेकिन चूंकि जांच सिविल सर्जन के द्वारा कराई गई और कुछ शिकायत सिविल सर्जन के खिलाफ भी थी लिहाजा वह जांच काफी नहीं समझी गई और यह आदेश दिया गया कि यहां का अधिकारी जाकर जांच करे और अपनी रिपोर्ट पेश करे । इस कारण देरी हुई । एक जांच जो हुई थी वह सफिशियेंट नहीं समझी गई ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो दरख्वास्त उनके पास ६ मई और २ जुलाई को आयी थी उसमें स्पष्ट सिविल सर्जन के खिलाफ शिकायत लिखी हुई थी, तो फिर क्या कारण था कि जिसके खिलाफ शिकायत थी उसी को जांच के लिये भेजा गया ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—कारण तो यही है कि यहां से भेज दिया गया डाइरेक्टर को और उन्होंने सिविल सर्जन के सुपुर्द कर दिया । लेकिन वह सिविल सर्जन के द्वारा नहीं होनी चाहिये, इसलिये वह जांच की कार्यवाही फिर करायी जा रही है ।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सिविल सर्जन, मिस्टर भार्गव के खिलाफ शिकायत करने वाले कौन एम० एल० ए० हैं, क्योंकि उनका कैरेक्टर सभी लोग अच्छा ही कहते हैं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—अब जांच का नतीजा आयेगा तभी मैं बतला सकूंगा । इसके पहले क्या बतलाऊं ?

राजेपुर क्षेत्र के लिए विकास कार्य

*२०—श्री महरामसिंह (जिला फर्रुखाबाद)—क्या मुख्य मंत्री जी को ज्ञात है कि फर्रुखाबाद जिले में गंगा व राम गंगा के बीच पिछड़े हुये विकास क्षेत्र राजेपुर की उन्नति के लिये कौन-कौन से महत्वपूर्ण कार्य सरकार के विचाराधीन हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—फर्रुखाबाद जिले में गंगा व राम गंगा के बीच पिछड़े हुए विकास क्षेत्र, राजेपुर की उन्नति के लिये निम्नांकित १ से ३ कार्य चल रहे हैं तथा क्रम संख्या ४ से ९ पर अंकित योजनाओं को कार्यान्वित करने की योजना है।

१—नालानासा का पुल।

२—गंगा तथा रामगंगा नदियों पर दो पैन्टून पुल का निर्माण।

३—राजेपुर एवं घटियाघाट के बीच एक मील दो फर्लांग सड़क को ऊंचा करना।

४—वर्ष १९६२-६३ में १,४५,००० रुपये अल्प सिंचाई के साधनों की उन्नति करने के लिये तकावी के रूप में तथा १,००० रु० अनुदान के रूप में बांटने का प्रबन्ध करना।

५—कृषि कार्यों के लिए सहायक अनुदान के रूप में ४,००० रु० का विकास खंड आय-व्ययक में प्राविधान तथा ७०० रु० की विभाग द्वारा उपलब्धि।

६—वर्ष १९६२-६३ में खाद क्रय हेतु ५,००० रु० का तकावी के रूप में वितरण।

७—वर्ष १९६१-६२ में ७ बालकों के एवं १ बालिकाओं के तथा वर्ष १९६२-६३ में ३ बालकों एवं १ बालिकाओं के लिए पाठशालायें खोली गई हैं। इसके अतिरिक्त तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ९ पाठशालाओं का भवन निर्माण।

८—जन-स्वास्थ्य एवं यातायात के अन्तर्गत १९,००० रुपये की स्वीकृति दी गई है।

९—लघु उद्योग के विकास हेतु विकास क्षेत्र को निम्नांकित धन दिया गया है :—

	रु०
१—सहायक अनुदान	३,०००
२—अनावर्तक प्रासंगिक व्यय	२,०००
३—आवर्तक प्रासंगिक व्यय	३००

श्री अध्यक्ष—अब आप को पूरी सूचना मिल गयी और अब आप विशेष योजनाओं पर अलग से प्रश्न कीजियेगा। यह उत्तर इतना विस्तृत है कि अगर एक-एक बात पर प्रश्न होने लगें, तो आधा घंटा समय लग जायगा।

[१३ दिसम्बर, १९६२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१-२—**श्री ऊदल**—[१ अक्तूबर, १९६२ को प्रश्न संख्या ४-५ के अन्तर्गत उत्तर दिये जा चुके हैं।]

मुट्ठीगंज, इलाहाबाद में हड़ताल

*३—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद के मुट्ठीगंज मुहल्ला में दिनांक २१ मई, १९६२ तथा २४ मई, १९६२ को ठेले वाले तथा व्यापारियों ने हड़ताल की थी? यदि हां, तो क्यों?

श्री नवलकिशोर—दिनांक २१-५-६२ को ठेले वालों ने हड़ताल इसलिए की थी कि पुलिस ने उनके ठेले सड़क से हटा कर पटरी पर लगवाये जाते समय उनसे उचित व्यवहार नहीं किया।

दिनांक २४-५-६२ को व्यापारियों ने हड़ताल इसलिये की थी कि एक ठेला मजदूर ने एक आढ़ती के मुनीम को उसकी दुकान के सामने पीट दिया।

*४—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ठेले वाले तथा व्यापारियों के प्रतिनिधियों ने जिले के एस० एस० पी० को पुलिस के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र भी दिया था? यदि हां, तो उनमें कौन-कौन सी खास शिकायतें थीं तथा सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की?

श्री नवलकिशोर---ठेले वालों की ओर से चौकी गऊघाट की पुलिस के विरुद्ध एक शिकायती पत्र एस० एस० पी० को दिया गया था। इस पत्र में सब-इन्सपेक्टर, हेड कांस्टेबिल तथा कान्सटेबिल द्वारा २-३ ठेलेवालों को डंडे से मारपीट करने की शिकायत की गई थी। शिकायती पत्र की जांच की गई। डंडों से मार पीट करने की बात सही नहीं पाई गई, किन्तु पुलिस का व्यवहार अनुचित पाये जाने के कारण संबंधित थानेदार व हेड कान्सटेबिल को लाइन तबदील कर दिया गया।

व्यापारियों ने कोई शिकायती-पत्र पुलिस के विरुद्ध नहीं दिया।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह अनुचित व्यवहार पुलिस वालों ने क्या किया जिसके कारण उनको हटाना पड़ा उस स्थान से?

श्री नवलकिशोर---मान्यवर, उन्होंने उन लोगों को डांट डपट करके कहा और उनको पकड़ कर हटाया। यह समझा गया कि डांटना डपटना उचित नहीं था। अगर समझा कर कहते तो ठीक था।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---मुट्ठीगंज थाने के अन्तर्गत जो ठेलेवालों का अड्डा है उसके कारण वहां के दुकानदारों और ठेलेवालों और पुलिस के बीच प्रायः कई वर्ष से संघर्ष होत आ रहा है। तो क्या मंत्री जी ऐसे आदेश देंगे कि वह अड्डा किसी दूसरे स्थान पर हटा कर उस झगड़े को समाप्त किया जाय?

श्री नवलकिशोर---श्रीमन्, यह तो कारपोरेशन के करने की बात है, लेकिन जहां तक पुलिस वालों का वास्ता है उनको आदेश दिये गये हैं कि उनका विहैवियर करटियस होना चाहिये।

श्री रघुवीर---क्या गृह मंत्री जी बतलायेंगे कि ठेले वालों की तरफ से जो शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है उसमें मुख्य मुख्य क्या शिकायतें हैं और उनके बारे में क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री नवलकिशोर---श्रीमन्, जैसा अभी मैंने निवेदन किया कि एक शिकायत यह थी कि दो तीन आदमियों को पीटा गया। फिर उसकी जांच की गई परन्तु वह साबित नहीं हुई।

*५---श्री ऊदल---[हटा दिया गया।]

चिकित्सा (ग) विभाग के कर्मचारी

*६---**श्री गणेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चिकित्सा (ग) विभाग में जो कर्मचारी टी० बी० के पीड़ित लोगों का काम करते हैं, उनको कोई आनरेरिया दिया जाता है या नहीं?

श्री धर्मसिंह---जी नहीं।

श्री गणेशचन्द्र काछी---क्या सरकार इस विषय पर विचार करने की कृपा करेगी कि जो कर्मचारी टी० बी० मरीजों का कार्य करते हैं, उनको कुछ अधिक पैसा दिया जाय औरों के मुकाबले में?

श्री धर्मसिंह---श्रीमन्, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

भटनी चीनी मिल पर बकाया

*७---**श्री हिम्मतसिंह** (जिला बुलन्दशहर)---क्या सरकार को ज्ञात है कि देवरिया जिले की भटनी चीनी मिल पर सलेमपुर तहसील के गन्ना उत्पादकों का चालू वर्ष में कितना धन बकाया है?

श्री दाऊदयाल खन्ना---इस मिल पर सलेमपुर तहसील के गन्ना किसानों का सीजन १९६१-६२ का, गन्ने के मूल्य के रूप में, १५ नवम्बर, ६२ तक ३३,७४८.०६ रुपये बकाया था।

*८---श्री हिम्मतसिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह धन किसानों को दिलाने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयत्न किया जा रहा है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---गन्ना आयुक्त ने कथित धनराशि की वसूली के लिये उक्त मिल के विरुद्ध रिकवरी सार्टीफिकेट जारी कर दिया है।

श्री हिम्मतसिंह---इस बात को देखते हुए कि प्रदेश में किसानों का रुपया चीनी मिलों पर बहुत बाकी रह जाता है, तो उस रुपये को किसानों को शीघ्र दिलाने के लिये, कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---श्रीमन्, यह जो सवाल उठाया गया है सलेमपुर सोसाइटी के मार्फत गन्ना जो सप्लाई हुआ वह १ लाख ८७ हजार २८० रुपये का हुआ और १ लाख ५३ हजार ५३२ रुपया अदा हो चुका है और ८ हजार ३४० रुपया सोसाइटी के मार्फत, इसके अलावा अदा कर दिया गया है। इस प्रकार आप देखें कि कुल २५ हजार रुपया बाकी है और मिल से ३५ हजार लेना है। उसके लिये रिकवरी सर्टिफिकेट जारी हो चुका है। साथ ही साथ डी० एम० को यह आदेश भी ६ दिसम्बर को दिया जा चुका है कि वह सख्ती से इस रुपये को और जल्दी से वसूल करें ?

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वहां के प्रबन्धकों द्वारा गन्ना किसानों को बकाया रकम का रिकवरी सर्टिफिकेट किस तारीख को दिया गया और उसके अन्तर्गत उनकी चीनी, उनका कोई और सामान जैसे मोटर आदि तो नहीं कुर्क किया गया ताकि उसको बेंचकर गन्ना किसानों को रुपया दिया जा सके ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---श्रीमन्, जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया कि मैंने ६ दिसम्बर को जिला मैजिस्ट्रेट को लिख दिया है कि बहुत जल्दी, रिकवरी सर्टिफिकेट द्वारा, किसानों को रुपया दिलवाया जाय।

श्री उग्रसेन---यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है मंत्री जी, कि रिकवरी सर्टिफिकेट के परसूट में कोई कुर्की वगैरह तो नहीं हुई उनके यहां, क्या इसकी कोई सूचना है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---श्रीमन्, यह तो नोटिस देने पर बताया जा सकता है।

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, यह तो सदन में भुलावा देना है, आप देखें कि बार-बार किसानों के गन्ने के दाम का सवाल यहां पर उठाया गया है।

श्री अध्यक्ष---आप कृपा करके बैठें तो सही। गन्ना मंत्री जी यह कह रहे हैं कि कुछ रुपया वसूल हुआ है। जो नहीं वसूल हो रहा है उसके लिये इन्सट्रक्शन्स दिये गये हैं, यही वह कह रहे हैं।

श्री विजयसिंह---गन्ना कोआपरेटिव यूनियन्स के द्वारा सप्लाई होता है तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि वह कोआपरेटिव यूनियन्स को लोन देकर गन्ने की कीमत उनके द्वारा किसानों को अदा करायें ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---श्रीमन्, यह किसान के गन्ने की कीमत का प्रश्न कई मर्तबे इस सदन में उठा है और जो चीजें गन्ने की कीमत के दिलाने के सिलसिले में उठी हैं उसके ऊपर विचार करने के लिये अभी सरकार ने मिलमालिकों को और उनके एसोसियेशन्स के जो पदाधिकारी हैं, इनको आमंत्रित किया। और इस विषय में उनसे कहा गया था कि किसानों के गन्ने की कीमत और उसके टैक्स इत्यादि की अदायगी में जो देर हो रही है वह सरकार को काफी परेशानी में डाल रही है। स्वतः उन लोगों की ओर से सुझाव हमारे सामने आया है जो हमारे विचाराधीन है और जिसका फैसला केन्द्रीय सरकार की मदद से ही हम कर सकते हैं। वह

सुझाव यह है कि जिस प्रकार से केन्द्रीय सरकार अपनी एक्साइज ड्यूटी का रुपया शकर के बिकने के समय ले लेती है उसी प्रकार से सरकार गन्ने की कीमत भी उसी समय वसूल कर लिया करे। यह एक ऐसा सुझाव है जिस पर यह सरकार स्वत: कोई फैसला नहीं ले सकती है जब तक केन्द्रीय सरकार इस बात के लिये तैयार न हो जाय कि इस प्रकार का कोई लेजिस्लेशन लोक सभा में अथवा यहां ले आया जाय कि एक्साइज के साथ गन्ने की कीमत भी वसूल कर ली जाया करे। खाली रिकवरी सर्टिफिकेट्स के जारी कर देने से भी कोई खास बात नहीं हो पा रही है क्योंकि जैसे जैसे शुगर बिकती जाती है वैसे ही पैसा अदा होता जायगा। यह भी परेशानी में डालने वाली चीज है। यह चीज सरकार के विचाराधीन है।

श्री रामायणराय—क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर भी विचार करेंगे कि गन्ना काश्तकारों को समय से मूल्य इसलिये नहीं मिल पाता है क्योंकि मूल्य वसूल करने के लिये जो कोअर्सिव मेथड्स हैं वह मिल मालिकों के खिलाफ यह सरकार एप्लाई नहीं करती है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार के सामने यह चीज भी रहती है जिसकी ओर माननीय सदस्य ने इशारा किया लेकिन इस बात को भी विचार में रखना पड़ता है कि खाली मिल मालिकों को बन्द कर देने से कोई समस्या हल नहीं हो जाती है, रुपया तो हमें मिल नहीं जाता है। मिल को चलाना भी पड़ता है और मिल के लिये साधन भी उपलब्ध रखने पड़ते हैं। किसी को जेल में भी भेज देने से किसानों के गन्ने की अदायगी का प्रश्न आसानी से हल नहीं हो जाता है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी ने इस बात को भी देखा है कि भटनी चीनी मिल क्षेत्र के किसानों ने वहां के एसोसियेशन को इस बात की दरख्वास्त दी है कि उनके गन्ने के पैसे इसलिये तत्काल दिलाये जायं जिससे वे उसमें से नेशनल डिफेन्स फंड में कुछ पैसा दे सकें और इसलिये उस रुपये का जल्दी पेमेंट होना जरूरी है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहां तक गन्ना उत्पादकों के गन्ने की कीमत का प्रश्न है, उसके बारे में मैंने अभी एक कान्फ्रेन्स में मिल मालिकों को संबोधित किया था, जिसमें मिल मालिकान एसोसियेशन के पदाधिकारी भी आये थे, उसमें मैंने यह बात साफ जाहिर कर दी थी कि यदि वे अपने प्रयास से इस दिशा में सहायता नहीं करेंगे तो फिर हमें वही कार्यवाही करनी पड़ेगी जिसकी तरफ अभी एक माननीय सदस्य ने निर्देश किया है। उसके सम्बन्ध में मुझे यह भी सुझाव दिया गया है कि इस सम्बन्ध में या तो उनकी फैक्ट्रीज को कंट्रोलर के सुपुर्द कर दिया जाय जिससे उसकी तहत में फैक्ट्रीज काम करते हुए भी उस दिशा में चल सकें कि जिस दिशा में चल कर जो बड़ी-बड़ी रकमें कई जगह पर बाकी हैं वे किसानों को भी मिल सकें और साथ में जो सरकार का परचेज टैक्स बाकी है वह भी मिल जाय। हमने यह आदेश दिया है कि कुछ रुपया जो परचेजिंग टैक्स का बाकी है वह आने वाले अगले महीनों की अमुक तारीख तक अदा हो जाना चाहिये और यदि वह अदा नहीं हो सका तो सरकार को, केन्द्रीय सरकार के द्वारा इन फैक्ट्रियों को, जिनकी संख्या काफी होगी, कंट्रोलर की तहत में रखवाने का प्रयास करना पड़ेगा।

श्री ब्रह्मदत्त माथर (जिला सहारनपुर)—अध्यक्ष महोदय, चीनी आक्रमण के बाद 'चीनी' शब्द अच्छा नहीं समझा जाने लगा है, तो क्या सरकार चीनी के बदले में कोई दूसरा नाम उसका रखने की कृपा करेगी?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि चीनी मिल मालिकों के खिलाफ कोई कोअर्सिव मेथड इसलिये नहीं इस्तेमाल किया जाता जैसे उनकी गिरफ्तारी या कुर्की आदि, कि उससे चीनी का उत्पादन घट जायगा, तो क्या माननीय मंत्री जी इसी सिद्धान्त को मानते हुए इस पर भी ध्यान रखने की कृपा करेंगे कि किसानों से बकाया लगान वसूल करते हुए भी उस समय उनके बैल आदि की कुर्की करने से या उनको जेल में बन्द करने से भी चीनी की पैदावार घट जायगी?

श्री अध्यक्ष—आप की बात को ध्यान में रखा जायगा।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो मिल मालिक उनके सामने आये थे, तो क्या उनको कोई निश्चित तारीख बतला दी गयी है कि अगर उस तारीख तक वे रुपया अदा नहीं कर सकेंगे तो उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की जायगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कुछ के खिलाफ तो कार्यवाही करने के आदेश दे ही दिये गये हैं और कुछ के विषय में समय दिया गया है। खासतौर पर परचेज टैक्स के सिलसिले में और गन्ना उत्पादकों को गन्ने की कीमत अदा करने के सिलसिले में साफ तौर पर बतला दिया गया है और सरकार का जो रुपया बाकी है उसके सिलसिले में भी सरकार ने यह आदेश दिया है कि अमुक तारीख तक, शायद १५ फरवरी तक वह मिल जाय और उनका एसोसियेशन भी इसकी कोशिश कर रहा है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन मिल मालिकों के खिलाफ कार्यवाही करने के आदेश दिये गये हैं, रिकवरी सर्टिफिकेट ईश्यू करने के अलावा और कौन से आदेश दिये गये हैं जिनसे किसानों का रुपया मिल सके ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उनको कहा गया है कि वे किसानों के गन्ने की कीमत जल्दी अदा कर दें क्योंकि यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी। जैसे मुजफ्फरनगर के एक मिल का टाइप राइटर, मोटर और सारी चीनी कुर्क कर ली गयी है जो एसोसिएशन के शायद अध्यक्ष का ही है।

श्री रामायणराय—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारी सरकार ने कुछ ऐसे नियम नहीं बनाये हैं जिनके चलते काश्तकारों को समय पर रुपया मिल सके, तो ऐसे काश्तकारों से जिनका मूल्य बाकी है उनकी लगान वसूली तब तक मुल्तवी रखी जाय जब तक गन्ने का मूल्य नहीं मिल जाय, इस प्रश्न पर विचार करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अब इस विषय में मैं अपने राजस्व मंत्री का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि अगर किसानों को समय पर जहां गन्ने की कीमत नहीं मिल सके तो उन किसानों के प्रश्न पर वे सहानुभूतिपूर्वक विचार करें।

श्री उग्रसेन—माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी कहा कि हम इस विषय में कोई कानून बनाने की सोच रहे हैं जिसके द्वारा किसानों को गन्ने के दाम मिल सकें और सहूलियत से और समय से वसूली हो सके, तो ऐसा कानून मंत्री जी कब मसविदे के रूप में सदन में ला रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—यह इस वक्त कैसे कहा जा सकता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैंने तो यह कहा कि इस तरह का सुझाव उन्हीं की ओर से आया था वह यह कि एक्साइज के साथ ही गन्ने की कीमत भी ज्यों-ज्यो बोरियां बिकती जायं वैसे ही जैसे जैसे एक्साइज देना पड़े, उसके साथ ही साथ गन्ने की कीमत भी जोड़ कर ली जाया करे, इस विषय में हम स्वतन्त्र नहीं हैं हमें केन्द्रीय सरकार से बात करनी होगी और यह मसला ऐसा है कि जिस पर कई अन्य समुदायों से भी बात करना होगा, उत्पादकों के प्रतिनिधियों और मिलमालिकों से और फिर केन्द्रीय सरकार से भी सलाह करनी पड़ेगी उसके बाद ही कोई फैसला लिया जा सकेगा। कोई एकतरफा फैसला इस विषय में सरकार नहीं कर सकती और न उसका यह अधिकार है।

लखनऊ में नाजायज राइफल व कांटेदार तार की बरामदगी

*९—श्री हिम्मतसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मई, १९६२ में लखनऊ हजरतगंज की पुलिस ने किसी मकान पर छापा मार कर १ बन्दूक तथा कांटेदार तार आदि अवैधानिक सामान बरामद किया है? यदि हां, तो पूरा सामान क्या-क्या था तथा उसके लिये पुलिस क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री नवलकिशोर—२२-५-६२ को थाना हजरतगंज की पुलिस ने सिविल हास्पिटल के पास स्थित पेट्रोल टंकी के आफिस के पीछे से लगभग १ १/२ मन कांटेदार तार बरामद किया। २३-५-६२ को पुलिस ने जियामऊ ग्राम के एक मकान में तलाशी लेकर कुछ तार तथा एक राइफिल (जिसमें बट, बोल्ट तथा ट्रिगर नहीं है) बरामद की। तार की चोरी के बारे में मुकदमा न्यायालय भेजा गया किन्तु बाद में उसमें सुलह हो गई। राइफिल की बरामदगी के सम्बन्ध में एक व्यक्ति का चालान किया गया। मुकदमा अभी न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री हिम्मतसिंह—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जहां से यह राइफिल बरामद हुई है यहां पर कोई राइफिल बनाने का कारखाना भी है?

श्री नवलकिशोर—जी नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री रामचरण शाह (जिला खीरी)—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो राइफिल बरामद हुई उसका नम्बर क्या है?

श्री नवलकिशोर—वह तो मेरे पास नहीं है।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—जो तार बरामद हुआ है वह सरकारी था या व्यक्तिगत?

श्री नवलकिशोर—वह एक ठेकेदार का तार था।

कानपुर में ट्रक दुर्घटनायें

*१०—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत ६ मास में कानपुर में कितनी ट्रक दुर्घटनायें हुई हैं?

श्री नवलकिशोर—मार्च से अगस्त, १९६२ की अवधि में कानपुर में ८२ ट्रक दुर्घटनाएं हुईं?

*११—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या सरकार को ज्ञात है कि २३ मई, १९६२ को कानपुर एस० डी० कालेज के एक अध्यापक श्री वर्मा की एक ट्रक से कुचल जाने के कारण मृत्यु हो गई है? यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या कर रही है?

श्री नवलकिशोर—दिनांक २३ मई, १९६२ को ट्रक दुर्घटना के फलस्वरूप उक्त कालेज के अध्यापक श्री शिवनरायन वर्मा की मृत्यु हो गई थी। इस सम्बन्ध में ट्रक ड्राइवर के विरुद्ध सीसामऊ थाने पर धारा २७९/३३७/३०४ ए—आई० पी० सी० का मुकदमा कायम किया गया और अभियुक्त के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय भेज दी गई।

*१२—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या सरकार को ज्ञात है कि इसी दिन एक लड़की की भी मृत्यु इसी प्रकार कुचल जाने से हो गई है? यदि हां, तो इसके बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री नवलकिशोर—उसी दिन किसी लड़की की मृत्यु कुचलने से नहीं हुई।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन बढ़ती हुई दुर्घटनाओं को देखते हुये क्या क्या रोकने के उपाय सरकार के विचाराधीन हैं ?

श्री नवलकिशोर—यह प्रश्न कई बार सदन में आ चुका है और बताया गया है कि....

श्री अध्यक्ष—अगर सदस्यगण प्रश्नों में इन्टरेस्टेड न हों तो यह बन्द कर दिये जायं ।

श्री नवलकिशोर—यही उपाय बरते जाते हैं कि जो ट्रैफिक के रूल्स हैं वह सख्ती के साथ बरते जायं और भीड़ आदि इकट्ठा न हो, यही सब चीजें की जाती हैं ।

मंत्रि-परिषद् पर व्यय

*१३—**श्री नरसिंहनारायण पांडेय**—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय तक मंत्रि-परिषद् में कितने सदस्य, डिप्टी मिनिस्टर, पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी नियुक्त हुये हैं तथा इन पर माहवार अलग-अलग कितना खर्च होता है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—१७ मंत्री, ४ राज्य मंत्री, ११ उप मंत्री तथा १३ अवैतनिक सभा सचिव मंत्रि-परिषद् में हैं । उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारी मंत्री, उपमंत्री तथा सभा सचिव (वेतन तथा भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम १९६१ के अन्तर्गत निर्धारित वेतन के अतिरिक्त प्रत्येक मंत्री, उप मंत्री तथा सभा सचिव के लिये सज्जित आवास की व्यवस्था है । केवल मंत्रियों एवं राज्य मंत्रियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत एक वाहन की भी व्यवस्था है, जिसके प्रयोग में प्रति मास अधिक से अधिक १८०रु० का खर्चा पेट्रोल तथा मोबिल आयल पर होता है ।

*१४—**श्री नरसिंहनारायण पांडेय**—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न मंत्रियों के ऊपर नैनीताल में रहने का इस वर्ष १० जून, १९६२ से ३० जून, १९६२ तक अलग-अलग क्या खर्चा हुआ ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—इस वर्ष जून में जो मंत्री सरकारी कार्यवश नैनीताल गये थे उन्होंने अपने रहने इत्यादि का खर्चा स्वयं वहन किया था ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या माननीय मंत्री निश्चित रूप से बतलायेंगे कि मिनिस्टिर, स्टेट मिनिस्टिर, डिप्टी मिनिस्टर और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी के ऊपर अलग-अलग कितना खर्चा होता है हर माह ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहां तक तनख्वाहों का विषय है वह तो अधिनियम में दिया हुआ है और सिविल लिस्ट में उनके सारे खर्चे दिये हुये हैं । उनको सदन में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—इस स्टेट आफ एमर्जेंसी को देखते हुये जो भी स्टेट मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टिर और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी पर खर्चा होता है क्या सरकार उस पर विचार कर रही है कि उनके खर्चे को कम किया जाय और उनकी संख्या को कम किया जाय जिससे एमर्जेंसी मीट आउट की जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस विषय पर एक दफा नहीं, तीन, चार दफा कहा जा चुका है । इसको अब दोहराने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री उग्रसेन---एक मंत्री पर माहवार खर्चा बतलाने में माननीय मंत्री असमर्थ हैं और उसके लिये अधिनियम तथा बजट का हवाला दिया जा रहा है, तो क्या इन सभी मिनिस्टरों पर एक माह पर कितना खर्चा होता है यह माननीय मंत्री बतलायेंगे ? खर्चे में बंगला, साज-सज्जा, रख-रखाव, चपरासी, मोटर, हवाई जहाज, बिजली और आने जाने का खर्चा सभी सम्मिलित है ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इसका तो मेरे पास ब्योरा नहीं है । विरोधी दल के सोशलिस्ट पार्टी के नेता स्वतः अध्ययन करने की चेष्टा करेंगे और मुझे भी सूचित कर देंगे ।

श्री नेकराम शर्मा---अपने मंत्रिमंडल में से कुछ टोकेन कट करने को माननीय मुख्य मंत्री तैयार हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री रामायणराय---क्या मुख्य मंत्री जी का ध्यान, भूतपूर्व राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद जी ने जो इस सम्बन्ध में बयान दिया है, उस ओर गया है जिसमें उन्होंने सुझाव दिया है कि आज की परिस्थिति में मंत्रिमंडल को अधिक उपयोगी और कुशल बनाने की आवश्यकता है और उसके आकार को छोटा होने की भी आवश्यकता है ?

श्री अध्यक्ष---देखिये, यह प्रश्न ऐसा है जिसके संबंध में सदन में काफी चर्चा हो चुकी है ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---श्रीमन्, भाई उग्रसेन जी के प्रश्न पर जो जवाब मुख्य मंत्री जी ने दिया उससे ऐसा लगता है कि व्यक्तिगत खर्चे के बारे में माननीय उग्रसेन जी कह रहे हैं । हो सकता है कि उनके खर्चे कम हों । लेकिन क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि उनके मंत्रिपरिषद् में जो मंत्री स्तर के अन्य लोग हैं उनके ऊपर ७ हजार से लेकर १० हजार रुपया खर्च होता है जिसके अन्तर्गत बंगला, साज-सामान, सुख-सुविधा, नौकर और भत्ता आदि सब चीजें सम्मिलित हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यह बात जो अभी मिश्र जी ने कही है वह अपनी ही भूल से भरी हुई है जितनी कि उनकी और बातें समय-समय पर भूल से भरी रहती हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जो अवैतनिक सभा सचिव हैं उन पर लखनऊ में रहने पर और बाहर दौरे में रहने पर प्रति दिन कितना खर्च होता है भत्ता आदि में ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---भत्ता में उतना ही खर्च होता है जितना विधान सभा के सदस्यों के ऊपर होता है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---श्रीमन्, मैंने स्पेसिफिक सवाल किया था कि १० जून, १९६२ से ३० जून, १९६२ तक जो मंत्री सरकारी कार्य से नैनीताल रहे, उनके आने-जाने तथा नैनीताल में रहने में कितना खर्च हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जहां तक उनके ठहरने का विषय था मंत्रियों ने मकान का किराया स्वतः दिया, यद्यपि आपने जो कानून बनाया है उसमें उनको अधिकार दिया है कि वे बिना किराये के यहां भी रह सकते हैं और नैनीताल में भी रह सकते हैं । लेकिन पिछले वर्ष से जब हमने नैनीताल न जाने का निर्णय लिया तब से जो मंत्री जाते हैं और मकान में रहते हैं वे स्वयं खर्चा देते हैं सिवाय उस समय के जब वे कांफ्रेंस में आते हैं या दौरे पर जाते हैं तो अपने आने जाने का खर्चा चार्ज करते हैं और वह भी जो एक्चुअल होता है ।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इमर्जेन्सी को मद्देनजर रखते हुये विरोधी पार्टियों की तरफ से ऐसा सुझाव आया है कि असेम्बली के मेम्बरान का भत्ता और वेतन कम किया जाय ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

*१५-१६---**श्री झारखंडेराय** (जिला आजमगढ़)---[हटा दिये गये ।]

*१७---**श्री भीखालाल**---[हटा दिया गया ।]

गौरीशंकर हरिजन की लखनऊ मेडिकल कालेज में मृत्यु

*१८---**श्री भीखालाल**---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ८ जुलाई, १९६२ को उन्नाव जिले के एक हरिजन श्री गौरी शंकर के रिश्तेदार व घर वाले उसके शव को लेकर उनके बंगले पर यह शिकायत करने गये थे कि मेडिकल कालेज के डाक्टरों की लापरवाही से श्री गौरीशंकर की मृत्यु हो गई है ?

श्री धर्मसिंह---जी हां ।

*१९---**श्री भीखालाल**---क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ९ जुलाई, १९६२ को धानुक समाज संघ का प्रतिनिधि मंडल भी उनसे इसी सम्बन्ध में मिला था और उन्होंने जांच व उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो घटना व अब तक की गई कार्यवाही का विवरण क्या है ?

श्री धर्मसिंह---जी हां ।

मामले की जांच करने पर पता चला कि श्री गौरीशंकर की मृत्यु गांधी स्मारक तथा सम्बद्ध चिकित्सालय के डाक्टरों की लापरवाही से नहीं हुई थी ।

श्री भीखालाल---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि हरिजन श्री गौरीशंकर मेडिकल कालेज में कब पहुंचे और उनका एडमीशन हुआ या नहीं और कितने दिनों के बाद उनकी मृत्यु हुई ?

श्री धर्मसिंह---८ जुलाई को साढ़े दस बजे वे मेडिकल कालेज पहुंचे । फौरन ही उनको इमर्जेन्सी में बेड दे दिया गया और रात को पौने आठ बजे के करीब उनकी मृत्यु हो गई ।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि धानुक समाज संघ के लोगों का जो प्रतिनिधि मंडल मुख्य मंत्री जी से मिला था उन्होंने सरकार से किस प्रकार की शिकायत की थी लापरवाही के सम्बन्ध में और उसकी जांच सरकार ने किससे कराई ?

श्री धर्मसिंह---मेडिकल कालेज के सुपरिन्टेन्डेन्ट से कराई थी ।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उस मरीज की भरती होने के बाद और मरने के पहले कोई भी जिम्मेदार उस स्थान पर नहीं पहुंचा ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---यह बात सही नहीं है । डाक्टर बी० ए० सिंह ने उनको देखा और उनका इलाज रहा और वह एक जिम्मेदार डाक्टर हैं ।

फैजाबाद जिले में अपराध स्थिति

*२०--श्री झारखंडेराय--क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि फैजाबाद जिला कांग्रेस कार्यकारिणी ने जिले के भीतर दिनों-दिन बदतर होती अपराध स्थिति और अनेक लोमहर्षक हत्याओं की घटना वाले--जिन्दा जला देना, आंख निकालना आदि, पर चिन्ता प्रकट की है तथा इस पर राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है ? यदि हां, तो सरकार की ओर से फैजाबाद में अपराध स्थिति के नियंत्रण हेतु वह क्या करने जा रही है ?

श्री नवलकिशोर--फैजाबाद जिला कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के दिनांक २३-६-६२ के प्रस्ताव की एक प्रति सरकार को प्राप्त हुई है, परन्तु उसमें 'जिन्दा जला देने और आंख निकालने' की घटनाओं का उल्लेख नहीं है ।

इस वर्ष फैजाबाद में अपराध प्रारम्भ में कुछ बढ़ा हुआ रहा । कुछ सीमावर्ती जिलों के डाकुओं द्वारा वहां कई डकैतियां डाली गईं । जांच के पश्चात् काफी लोगों की गिरफ्तारियां भी की गई हैं । चोरियां भी अधिकतर एक बाहरी गिरोह करता था । डाकुओं के गिरोहों का पता लग जाने के बाद डकैती की घटनाएं बहुत कम हो गई हैं और चोरों के गिरोह के एक सदस्य के पकड़े जाने के बाद चोरी की भी कोई बड़ी घटना नहीं हुई है । अपराध की स्थिति को सुधारने के लिये जो अन्य कार्यवाही की गई है उसका विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६७४ पर)

प्रधान मंत्री का लखनऊ आगमन

*२१--श्री नरसिंहनारायण पांडेय--क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि २८ जुलाई, १९६२ को पंडित नेहरू का लखनऊ शहर का आगमन सरकारी था या गैर-सरकारी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--प्रधान मंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू का २८ जुलाई, १९६२ को लखनऊ आगमन सरकारी था ।

इलाहाबाद फायरिंग की जांच

*२२--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद में जो फायरिंग १४ अप्रैल, १९६२ को कोतवाली के सामने पुलिस द्वारा हुई थी तथा उसकी जांच कराने हेतु आयुक्त (कमिश्नर) की नियुक्ति दिनांक १६ अप्रैल, १९६२ को विधान सभा की बैठक में हुई है, कमिश्नर किन-किन बातों पर जांच करेंगे इसका आदेश सरकार की ओर से दिया गया है ? यदि हां, तो वह आदेश क्या हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त-- जी हां, आयुक्त को साधारणतः निम्नलिखित बातों की जांच करने के लिये आदेश दिए गए थे :--

(१) किन घटनाओं के फलस्वरूप फायरिंग करनी पड़ी;

(२) क्या फायरिंग न्यायसंगत थी ;

(३) क्या कम से कम बल का प्रयोग किया गया;

(४) क्या पुलिस तथा मैजिस्ट्रेट ने स्थिति को ठीक रीति से संभाला;

(५) क्या प्रदर्शन किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों ने संगठित किया था जिनका कोई अपना हेतु था ?

*२३-२५--श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)--[हटा दिये गये ।]

नोट--तारांकित प्रश्न २० के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

हाथरस में रिक्शा चालक के पीटे जाने की घटना

*२६—**श्री ऊदल तथा श्री विजयपालसिंह** (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार के पास दिनांक १७ जुलाई, १९६२ को रिक्शा चालक यूनियन हाथरस से कोई प्रार्थना-पत्र आया है जिसमें पुलिस द्वारा किसी रिक्शा चालक को मारने-पीटने की शिकायत की गई है ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना-पत्र का पूर्ण विवरण क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जिलाधीश अलीगढ़ को दिनांक १७-७-६२ को इस संबंध में एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ जिसमें यह आरोप लगाये गये थे कि ललुआ नामक रिक्शा चालक को पुलिस ने मारा पीटा तथा उसे गरम लोहे से दागा। इस शिकायत की जांच में यह पता चला कि ललुआ पर एक चोरी के मामले में संदेह होने के कारण उसे पूछताछ के लिये थाने बुलाया गया था। चोरी के मामले की जांच करने वाले सब-इन्सपेक्टर ने अविवेक वश ललुआ को चोरी के मामले के वादी के सुपुर्द कर दिया, जिसने ललुआ को मारा पीटा। गरम लोहे से दागने का कोई चिन्ह ललुआ के शरीर पर नहीं मिला। सब-इन्सपेक्टर द्वारा ललुआ को पीटे जाने का कोई प्रमाण नहीं मिला। फिर भी सब-इन्सपेक्टर को उनके अविवेक के लिये उसकी चरित्र पुस्तिका में प्रतिकूल प्रविष्टि देकर स्थानान्तरित कर दिया गया है।

चौक थाना, वाराणसी में पकड़ी गई सिल्क की गांठ

*२७—**श्री ऊदल**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि २५ जुलाई, १९६२ को एक गांठ सिल्क की जाली परमिट डी० एस० ओ०, वाराणसी के हस्ताक्षर से काटी गयी थी और वह गांठ गोदाम से ३१ जुलाई को निकाल कर ले जाते वक्त पकड़ी गई ? यदि हां, तो क्या इसके सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट चौक थाना, वाराणसी में की गई है और इस विभाग के इंस्पेक्टरों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त — जी हां। इस संबंध में थाना चौक, वाराणसी में रिपोर्ट की गई है।

मामले की वैभागिक जांच के आधार पर यू० पी० इन्डस्ट्रियल कोआपरेटिव एसोसियेशन के सेल्स मैनेजर व सेल्स एटेन्डेट्स को नौकरी से अलग कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त संबंधित इंडस्ट्रियल सुपरवाइजर तथा सुपरिन्टेन्डेन्ट प्रोडक्शन (सिल्क) को भी नौकरी से हटा दिया गया है।

माडर्न मेटल इंडस्ट्रीज कम्पनी

*२८—**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी** (जिला बस्ती)—क्या सरकार बतायेगी कि माडर्न मेटल इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड नामक कम्पनी का मालिक कौन है और इस प्रकार की निजी प्राइवेट कम्पनी में १०० रुपये के मूल्य के २००० आर्डिनरी शेयर्स सरकार ने क्यों खरीदें ?

नियोजन मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—चूंकि कम्पनी की अपाकरण (Liquidation) सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है इस समय इस कम्पनी का कोई मालिक नहीं रहा।

रामपुर रियासत के विलीनीकरण के कारण रियासत द्वारा खरीदे हुए इस कम्पनी के शेयर्स राज्य सरकार को प्राप्त हुये थे। राज्य सरकार ने इन्हें स्वयं खरीदा नहीं था।

*२९—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—क्या सरकार बतायेगी कि माडर्न मेटल इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड नाम की कम्पनी जो under Liquidation थी उसमें १०० रुपये के मूल्य के २००० आर्डनरी शेयर्स की शक्ल में सरकार का जो दो लाख रुपया लगा हुआ था उसमें से कितना वापस मिल पाया, कितना मिलना शेष है और कितना डूब गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—इन दो लाख रुपयों में सरकार को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। और चूंकि अब कम्पनी के पास कोई सम्पत्ति शेष नहीं रही, भविष्य में कुछ मिलने की आशा भी नहीं है। अतः सरकार का २लाख रुपया अब अप्राप्य समझना चाहिए।

*३०-३२—श्री विजयसिंह—[१६ वें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या ३९-४१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

मोहम्मदपुर थाने में अपराध

*३३—श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना मोहम्मदपुर खाला, जिला बाराबंकी में जनवरी, सन् १९६२ से ३१ अगस्त, सन् १९६२ तक कितने डाके व मर्डर के केस हुये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उक्त अवधि में थाना मोहम्मदपुर, जिला बाराबंकी में कुल ३ हत्या व १ डकैती की घटना हुई।

*३४—श्री द्विजेन्द्रनारायण—क्या सरकार को इस थाने के मौजूदा स्टाफ के बारे में कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां।

*३५—श्री द्विजेन्द्रनारायण—क्या सरकार मौजूदा स्टाफ को ट्रान्सफर करके जनता की सुरक्षा की ओर ध्यान देने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सुरक्षा का प्रबन्ध ठीक चल रहा है। ट्रान्सफर की कोई आवश्यकता इस समय नहीं प्रतीत होती।

भूलेपुर ग्राम में खलियान के लिए झगड़ा

*३६—श्री हरिनाथ तिवारी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक २६ सितम्बर, १९६२ को ग्राम भूलेपुर, तहसील टांडा, जिला फैजाबाद में काश्तकारों के खलिहान में गल्ला मय पयाल के रखने के प्रश्न पर एक वर्ग के ३०० व्यक्तियों ने उन पर सशस्त्र हमला किया जिसके परिणामस्वरूप १२ व्यक्ति घायल हुए, जिनमें से २ की स्थिति चिन्ताजनक है ? यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—२६ सितम्बर, १९६२ को नहीं, बल्कि २० सितम्बर, १९६२ को ग्राम भूलेपुर में खलिहान के लिये एक भूमि के टुकड़े के बारे में दो दलों में विवाद खड़ा हो गया। एक दल के ५५ व्यक्तियों ने दूसरे दल के ७ व्यक्तियों को मारा पीटा जिससे सातों व्यक्तियों को चोटें आईं—६ को साधारण तथा एक को गम्भीर। इस सम्बन्ध में बसखारी थाने पर मुकदमा दर्ज किया गया और जांच हो रही है।

मुरादाबाद जिले में नरौली ग्राम सुधार कमेटी

*३७—श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला मुरादाबाद के चन्दौसी चुनाव क्षेत्र में कुछ लोगों ने अभी हाल में एक समानान्तर सरकार बनायी थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

*३८--क्या उस सरकार ने अपना न्यायालय भी बनाया था जिसक सम्बन्ध म पुलिस ने कुछ कागजात पकड़े हैं ?

*३९--क्या यह बात सत्य है कि उस न्यायालय की आज्ञा से नरौली गांव में एक मकान पर बलपूर्वक दूसरे को कब्जा दिलाया गया तथा उसका सामान भी गाड़ियों में भरवाकर अन्यत्र भिजवा दिया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां। कुछ व्यक्तियों ने ग्राम नरौली, थाना चन्दौसी, जिला मुरादाबाद में ग्राम सुधार कमेटी के नाम से एक संस्था कायम की थी। इस संस्था द्वारा मामलों के निबटारे के लिये दरख्वास्तें ली जाती थीं तथा आदेश भी जारी किये जाते थे। नरौली ग्राम में एक मकान का ताला तोड़ने की स्वीकृति उक्त कमेटी ने एक ऐसे व्यक्ति की दरख्वास्त पर दी थी जो किरायेदार का भाई लगता है। मामले में सी० आई० डी० द्वारा जांच अभी जारी है। जांच समाप्त होने पर उचित कार्यवाही की जायगी।

आगरा आतिशबाज की दुकान में विस्फोट

*४०--**श्री बालोजी अग्रवाल** (जिला आगरा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा नगर में २४ सितम्बर, १९६२ को एक आतिशबाज की दुकान में विस्फोट हुआ है ? यदि हां, तो उसमें कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ? क्या दुकान में जो कागजात बरामद हुए हैं उसमें दुकानदार का पाकिस्तान का पासपोर्ट भी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--२४-९-६२ को नहीं बल्कि २५-९-६२ को मोहम्मद हनीफ नामक आतिशबाज की दुकान में विस्फोट हुआ जिससे एक आदमी की मृत्यु हुई है। इस सम्बन्ध में दुकान की तलाशी में जो कागजात पाए गये उसमें मोहम्मद हनीफ का इंडिया-पाकिस्तान पासपोर्ट भी है।

उस्का बाजार थाने में अपराध स्थिति

*४१--**श्री जगदीश** (जिला बस्ती)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पुलिस थाना, उस्का बाजार, जिला बस्ती में गत दो वर्षों में कितने व्यक्तियों का चालान किया गया तथा अपराध की बढ़ोत्तरी किस अनुपात में अगले वर्ष से हुई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सन् १९६० में १२७ व्यक्तियों का तथा सन् १९६१ में १८१ व्यक्तियों का चालान किया गया ।

सन् १९६० के कुल अपराध से ९१ प्रतिशत बढ़ोत्तरी सन् १९६१ में हुई तथा १९६१ से १९६२ में (३१ अक्तूबर, १९६२ तक) ३३ प्रतिशत औसत बढ़ोत्तरी हुई।

*४२--**श्री जगदीश**--चालान किये गये केसों में से कितने प्रतिशत को सजा हुई, कितनी अपीलें हुयीं और कितनी अपीलें बहाल रहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सन् १९६० में चालान किये गये मुकदमों में से ७० प्रतिशत व सन् १९६१ में ८२ प्रतिशत सजायाब हुए। १९६१ के ८ मुकदमे विचाराधीन हैं।

सन् १९६० के ३ मुकदमों में और सन् १९६१ के ५ मुकदमों में अपीलें हुईं । १९६१ के एक मुकदमें की अपील स्वीकार हुई, शेष सब अपीलें अस्वीकृत कर दी गईं ।

*४३--**श्री जगदीश**--जिन व्यक्तियों को जज ने निर्दोष पाया उनको भी क्या हिस्ट्रीशीटर दर्ज किया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---ऐसे किसी व्यक्ति की हिस्ट्री-शीट नहीं खोली गई, जो सेशन्स कोर्ट से निर्दोष छूटा हो।

रायबरेली-सुल्तानपुर सड़क पर ट्रक दुर्घटना में श्री रामपाल की मृत्यु

*४४---**श्री रतीपाल** (जिला रायबरेली)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रायबरेली जिले में १ अगस्त, १९६२ से १६ सितम्बर, १९६२ तक ट्रकों, राजकीय बसों आदि मोटर गाड़ियों द्वारा कितनी मृत्यु दुर्घटनावश हुई हैं? क्या सरकार को ज्ञात है कि रायबरेली-सुल्तानपुर रोड पर ऐन सड़क पर एक ट्रक द्वारा दुर्घटना के फलस्वरूप एक ग्राम सभापति की सुबह लगभग ८ बजे मृत्यु होने पर उसकी लाश पुलिस ने प्रायः ५ बजे सायंकाल उठवाई? सरकार इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिये क्या कदम उठा रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---उक्त अवधि में राय बरेली जिले में केवल एक मृत्यु ट्रक दुर्घटना से हुई। १५ सितम्बर, १९६२ को पौने दस बजे दिन में रायबरेली-सुल्तानपुर रोड पर प्राइवेट ट्रक नं० यू० पी० आर० ९८३३ से यह दुर्घटना हुई जिसके फलस्वरूप श्री रामपाल, सभापति, ग्राम पूरे सिद्धा की मृत्यु हुई। दुर्घटना की सूचना थाना कोतवाली पर ११ बजे दिन को उसी तिथि में हुई। मौके पर आवश्यक कार्यवाही करने के पश्चात् लाश पुलिस द्वारा पोस्ट मार्टम के लिये घटना स्थल से सवा चार बजे सायंकाल भेजी गई।

इस प्रकार की दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये निम्नलिखित कार्यवाही की जा रही है :---

(१) चलती हुई गाड़ियों की गति की चेकिंग स्पेशल स्क्वायड द्वारा समय-समय अचानक कराई जाती है।

(२) गाड़ियों की चेकिंग राजपत्रित अधिकारियों (गजटेड अफसरान) तथा पुलिस द्वारा बराबर की जा रही है और मोटर वेहिकिल्स रूल्स के किसी भी नियम के उल्लंघन करने पर आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

(३) पुलिस कर्मचारी एवं अधिकारीगण ग्रामों के दौरों में ग्राम जनता को सड़क के नियमों का ज्ञान कराते हैं।

गोसाईंगंज थाने में छविनाथ हरिजन की बहन मार डालने की घटना

*४५---**श्री चन्द्रबलीसिंह** (जिला देवरिया)---क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला लखनऊ, थाना गोसाईंगंज ग्राम मडुआ के श्री छविनाथ हरिजन ने अपनी बहन के उक्त थाना और जिला के ग्राम आदमपुर तिमौली में दिनांक २५ मार्च, १९६२ को जला कर मार डालने की सूचना पुलिस को दी है? यदि हां, तो प्रार्थना-पत्र की प्रतिलिपि क्या सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे और क्या बतावेंगे कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई तथा कितने लोगों का इस सम्बन्ध में चालान हुआ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---श्री छविनाथ हरिजन ने अपनी बहन को जलाकर माल डाले जाने की कोई रिपोर्ट थाना गोसाईंगंज में नहीं की थी। श्री छविनाथ का २५ मार्च, १९६२ का एक प्रार्थना-पत्र जो थाना इंचार्ज गोसाईंगंज को सम्बोधित था वास्तव में एस० पी० लखनऊ को प्राप्त हुआ। इसकी एक प्रति संलग्न है। श्री छविनाथ का १६ अप्रैल, १९६२ का एक प्रार्थना-पत्र जिसमें पहले के प्रार्थना-पत्र का जिक्र था, भी एस० पी० को मिला। मामले की जांच सर्किल इंस्पेक्टर द्वारा कराई गई जिससे ज्ञात हुआ कि मृत्यु पानी में डूबने के फलस्वरूप हुई थी। लाश पंचायतनामे के बाद वारिसों को दे दी गई थी। किसी गिरफ्तारी का प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६७५ पर।)

कोतवाली, शाहजहांपुर में पंचायत सेक्रेटरी के खिलाफ रिपोर्ट

*४६—**श्री राममूर्ति 'अंचल'** (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर कोतवाली में कोई इस विषय की रिपोर्ट दर्ज हुई है कि ३० सितम्बर, १९६२ को सरपंच, न्याय पंचायत, नौसिया (जिला शाहजहांपुर) के चुनाव में वोट देने के लिये विकास खंड कार्यालय, भावल खेड़ा, मुहल्ला तारीन बहादुरगंज, शाहजहांपुर को जाते हुए दो वोटरों को रास्ते में ददऊ की पुलिया पर कुछ हथियार बन्द लोगों ने, जिनमें एक पंचायत सेक्रेटरी भी थे, घेर लिया और जबर्दस्ती उन्हें पकड़ कर नौसिया ग्राम में ले गये तथा वोट देने का समय निकल जाने के बाद ही छोड़ा?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। दिनांक ३०-९-६२ को कोतवाली, शाहजहांपुर में इस आशय की एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

*४७—**श्री राममूर्ति 'अंचल'**—क्या सरकार इस रिपोर्ट का विवरण तथा इस पर की गई कार्यवाही की बाबत जानकारी सदन को देने की कृपा करेगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—रिपोर्ट का विवरण संलग्न है। इस रिपोर्ट के आधार पर मामला १४७, १४८, ३४२, ५०६ भा० द० वि० के अन्तर्गत दर्ज किया गया, जो अभी जेरे तफतीश है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ९७६ पर)

*४८—**श्री राममूर्ति 'अंचल'**—क्या उपर्युक्त पंचायत सेक्रेटरी को मुअत्तल किया गया है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं।

औद्योगिक आस्थान, आगरा में जल-व्यवस्था

*४९—**श्री बालोजी अग्रवाल**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा नगर महापालिका ने औद्योगिक बस्ती, आगरा में पानी की सप्लाई के लिये ३ लाख रुपये की मांग की है? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है?

लघु उद्योग मंत्री (श्री फूलसिंह)—जी हां, औद्योगिक आस्थान, आगरा को मीठा पानी सप्लाई करने के निमित्त ५.७५ लाख रु० की अनुमानित धनराशि स्वीकृत की गयी है, जिसमें से सरकार ३ लाख रुपये स्वयं खर्च करेगी तथा २.७५ लाख रुपया नगर महापालिका, आगरा निजी कोष से लगायेगी।

रामनगर, जिला नैनीताल, बैंक डकैती संबंधी जीप

*५०—**श्री नौरंगलाल** (जिला बरेली) तथा **श्री मुहम्मद हुसैन** (जिला बरेली)—क्या सरकार को पता है कि जिला जज, बरेली के इजलास के पीछे एक जीप कई साल से सरकारी देख-रेख में पड़ी हुई है जिस पर सरकार का काफी रुपया निगरानी में खर्च हो रहा है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, रामनगर, जिला नैनीताल बैंक डकैती केस से सम्बन्धित एक जीप केस एग्जीबिट्स के रूप में कई साल से जिला जज की आज्ञानुसार रक्खी हुई है। इस गाड़ी की देख-रेख पर सरकार का कोई अतिरिक्त व्यय नहीं हुआ है।

*५१—**श्री नौरंगलाल** तथा **श्री मुहम्मद हुसैन**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अब तक कितना रुपया उस जीप की निगरानी में खर्च हो गया है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रश्न ५० के उत्तर के आधार पर इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

अमरोहा में हैण्डीक्राफ्ट कोआपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए श्रीमती मंजूर फातिमा की दरख्वास्त

*५२—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार बतायेगी कि श्रीमती खातमा बेगम, साकिन अमरोहा, जिला मुरादाबाद ने एक दरख्वास्त जरी बनाने की कोआपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिये सन् १९६१ में दी थी, तो इस विषय में क्या हुआ ?

श्री फूलसिंह—श्रीमती खातमा बेगम के नाम से कोई दरख्वास्त इस सम्बन्ध में नहीं आई। बल्कि एक दरख्वास्त २० सितम्बर, सन् १९६१ को श्रीमती मंजूर फातिमा द्वारा एक हैंडीक्रेफ्ट कोआपरेटिव सोसाइटी बनाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुई, जिस पर अभी जांच-पड़ताल की कार्यवाही समाप्त नहीं हुई है। जांच में विलम्ब पर सरकार आवश्यक कार्यवाही कर रही है।

फैजाबाद के "जन मोर्चा" को सरकारी विज्ञापन न मिलना

*५३—श्री ऊदल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद के प्रकाशन सहकारी समिति लि०, फैजाबाद द्वारा विगत पांच वर्षों से निकलने वाले दैनिक "जन मोर्चा" को सन् १९६० से अब तक सरकारी विज्ञापन तथा जिले की अदालती नोटिसें मिलती हैं या नहीं ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)—जी नहीं। अभद्र (Scurrilous) सामग्री और उत्तेजनात्मक एवं कटुतापूर्ण आलोचनायें छापने के कारण विज्ञापन व अदालती नोटिस नहीं दिये जाते हैं।

*५४—श्री ऊदल—क्या उपरोक्त दैनिक "जन मोर्चा" द्वारा सरकारी विज्ञापनों व अदालती नोटिसों के सम्बन्ध में जिलाधीश को कोई प्रार्थना-पत्र सन् १९६० व ६१ व ६२ में दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही की गई ?

श्री बनारसीदास—२४ अप्रैल, १९६२ को एक आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है जिसके बारे में जिलाधीश द्वारा जांच की जा रही है।

सहकारी भण्डार, कमलसागर का भटनी चीनी मिल पर बकाया

*५५—श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मुख्य मन्त्री दिनांक १३ सितम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ५ के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि कथित धनराशि की वसूली के लिये रिकवरी सार्टिफिकेट कब जारी किये गये हैं और रुपये का भुगतान किसानों को कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ग्रामोन्नति सहकारी भंडार, कमलसागर, जिला आजमगढ़ द्वारा भटनी चीनी मिल को सप्लाई किये गये गन्ने की ६१-६२ सीजन की बकाया रकम अर्थात् ४६,०५३.०७ रुपये की वसूली के लिये रिकवरी सार्टिफिकेट १८ जुलाई, १९६२ को जारी किया गया था। उक्त गन्ने की बकाया रकम जो सहकारी भंडार को निर्दिष्ट मिल से पानी थी, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटी, आजमगढ़ को किसानों को शीघ्र भुगतान करने के लिये दे दी गई है।

सिविल अस्पताल, हजरतगंज, लखनऊ

*५६—श्री रतीपाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ के सिविल अस्पताल, हजरतगंज में कितने डाक्टर, कम्पाउन्डर एवं नर्सें हैं तथा इसमें कितनी चारपाइयों की व्यवस्था है, इसी अस्पताल में १९६१-६२ में कुल कितने रोगी इलाज के लिये आये तथा भर्ती किये गये तथा कितने रुपये की दवा सरकार ने दी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---सिविल अस्पताल, हजरतगंज, लखनऊ में डाक्टर, कम्पाउन्डर तथा नर्सों की संख्या क्रमशः १३ (जिसमें ८ डाक्टर रिजर्व ड्यूटी के भी सम्मिलित हैं), ८ व ७ हैं। इस अस्पताल में ५० शय्याओं का प्रबन्ध है। इसी अस्पताल में १९६१-६२ में ६,२८,८४२ रोगी इलाज के लिये आये तथा उनमें से २,५८३ भर्ती किये गये और १,६७,७०० रु० दवा के लिये दिये गये।

झांसी का दैनिक "बुन्देलखण्ड"

*५७---**श्री लखपतराम शर्मा**---क्या सूचना मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि क्या यह सही नहीं है कि बुन्देलखंड अखबार जो झांसी से कभी-कभी प्रकाशित होता है अपने को दैनिक बुन्देलखंड लिखता है? क्या सूचना मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उपरोक्त अखबार मार्च, सन् १९६१ से अगस्त, १९६२ तक कितनी बार व किस-किस माह में प्रकाशित हुआ?

श्री बनारसीदास---सही है। १९६१ की मार्च में १६, अप्रैल में १८, मई में १०, जून में २, जुलाई में ४, अगस्त में ११, सितम्बर में ८, अक्तूबर में ५, नवम्बर में ४,व दिसम्बर में १ तथा वर्ष १९६२ की जनवरी में ७, फरवरी में ८, मार्च में ६, अप्रैल में शून्य, मई में १, जून में ९, जुलाई में ७ व अगस्त में ६ बार प्रकाशित हुआ।

सहकारी गन्ना समिति, एरा द्वारा गन्ने की खरीद

*५८---**श्री रामचरण शाह**---क्या गन्ना विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६१-६२ के सीजन में सहकारी गन्ना समिति एरा रूमरिया, जिला खीरी द्वारा चन्दपुरा रसिया बेहड़ के सेन्टर के कितने किसानों का कितने मन के गन्ने का सट्टा किया गया था उनमें से कितने किसानों का कितने मन गन्ना लिया गया?

श्री दाऊदयाल खन्ना---आवश्यक सूचना संलग्न पत्र में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ९७७ पर)

*५९---**श्री रामचरण शाह**---क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त सेन्टर के जिन किसानों का गन्ना बिल्कुल नहीं लिया गया और खेत पर ही सूख गया उनके नुकसान का दिलाने की कोई व्यवस्था क्या सरकार करेगी?

श्री दाऊदयाल खन्ना---उक्त सेन्टर से पेराई हेतु उपलब्ध सभी गन्ना मिल द्वारा खरीद लिया गया था अतः किसी प्रकार की क्षति पूर्ति करने का प्रश्न नहीं उठता।

किरतपुर व नजीबाबाद थानों में १०७ के मुकदमे

*६०---**श्री श्रीराम** (जिला बिजनौर)---क्या मुख्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बिजनौर जिले के किरतपुर थाने व नजीबाबाद थाने में दफा १०७ व १०७/१७ भारतीय दंड-विधि संहिता के मातहत मार्च, १९६२ से सितम्बर, १९६२ तक सरकार की ओर से कितने मुकदमे चलाये गये?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---कुल २१ मुकदमे सरकार की ओर से चलाये गये।

*६१---**श्री श्रीराम**---क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इन मुकदमों में सरकार का कितना रुपया खर्च हुआ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---३५ रु० ९६ नये पैसे।

हमीरपुर जिले में कत्ल

*६२—श्री मोहनलाल अहिरवार (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछले ५ वर्षों में हमीरपुर जिले में कुल कितने कत्ल हुये तथा उससे संबंधित निम्नलिखित विवरण की प्रतिवर्ष क्या स्थिति रही—

१—कितने कत्ल हुये ;

२—कितने कत्लों में कातिलों का कोई पता नहीं चला ;

३—कत्ल के कितने मामलों की पुलिस ने final report लगा दी ;

४—कितने अभियोगों में अभियुक्त बरी हो गये ;

५—कितने अभियुक्तों को कितने अभियोगों में जेल की सजा हुई;

६—कितने अभियोगों में फांसी की सजा हुई ;

७—कितने अभियोग अब भी अदालतों में चल रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—गत ५ वर्षों में हमीरपुर जिले में कत्ल की २१० घटनाओं की रिपोर्ट हुई, इनसे संबंधित वांछित विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ६७८ पर)

राज्य इंजीनियरिंग वर्क्स, सीतापुर की क्षमता

*६३—श्री डल्लाराम (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य इंजीनियरिंग वर्क्स, सीतापुर की वार्षिक क्षमता क्या है और उसे राज्य द्वारा कितना वार्षिक लोहे का कोटा दिया जाता है ?

श्री फूलसिंह—राज्य इंजीनियरिंग वर्क्स, सीतापुर की वार्षिक उत्पादन क्षमता (पिग आइरन) लोहे की ढलाई की १,४०० टन है और लोहे के फैबरिकेशन की क्षमता ४०० टन है तथा उसे राज्य सरकार द्वारा प्रदेश को आइरन एवं स्टील के उपलब्ध कोटे में से १९५८–५९ से निम्नलिखित कोटा दिया गया :

	टन
१९५८–५९	२१
१९५९–६०	८६
१९६०–६१	४६
१९६१–६२	२६
१९६२–६३	४

(अप्रैल से सितम्बर तक)

*६४—श्री डल्लाराम—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि सीतापुर जिले में कितने व्यक्तियों को सन्दूक (उत्पादन) निर्माण के लिये लोहे का कोटा दिया जाता है तथा उन व्यक्तियों द्वारा गत वर्ष कुल कितने सन्दूकों का निर्माण हुआ ?

श्री फूलसिंह—सीतापुर जिले में संदूक (उत्पादन) के निर्माण के लिये उद्योग विभाग की तरफ से किसी भी व्यक्ति को कोटा नहीं दिया जाता है अतः गत वर्ष में कोटा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों द्वारा कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

गोंडा जिले में विद्युतीकरण

*६५—**श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल** (जिला गोंडा)—क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किन-किन निकायों व ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—गोंडा जिले के निम्नलिखित ५ नगरों का विद्युतीकरण द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किया गया था :—

१—नवाबगंज, २—कोलनलगंज, ३—उतरौला, ४—मनकापुर, ५—तुलसीपुर।

*६६—**श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल**—क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले में तृतीय पंचवर्षीय योजना में किन निकायों व ग्रामों का विद्युतीकरण किया जायेगा और कहां-कहां से बिजली प्राप्त की जायेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत गोंडा जिले के निम्नलिखित ४ नगरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

१—भितौरा, २—धानेपुर, ३—खरगूपुर, ४—वजीरगंज। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अन्य नगरों के विद्युतीकरण हेतु जांच की जा रही है, उक्त नगरों को बहराइच तैल विद्युतगृह से बिजली दी जा रही है।

*६७—**श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल**—क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बलरामपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का राष्ट्रीयकरण करने को वह सोच रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक ? इसमें कितना धन व्यय होगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—राज्य विद्युत् परिषद् ने निश्चय किया है कि बलरामपुर राज इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, बलरामपुर को उसके लाइसेंस की अवधि के समाप्त होने पर (१८-५-१९६४) खरीद लिया जाय। कम्पनी की सम्पत्ति का मूल्यांकन कराया जा रहा है और अभी यह नहीं कहा जा सकता कि उसके खरीदने में कितना धन व्यय होगा।

मैनपुरी जिले में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच

*६८—**श्री रामसिंह** (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस (कम्पलेन्ट) ने अप्रैल, १९६१ से अप्रैल, १९६२ तक मैनपुरी जिले में कितने भ्रष्टाचार के केसों की जांच की, उसमें कितने पर कार्यवाही हुई और कितने केस झूठे पाये गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैनपुरी जिले के डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस (कम्पलेंट) ने इस अवधि में भ्रष्टाचार के ७८ मामलों की जांच की। इनमें से ३४ मामलों में आवश्यक वैभागिक कार्यवाही की गई और शेष ४४ मामले सही नहीं पाये गये।

रायबरेली जिले में किसान मेले

*६९—**श्री शिवनाथसिंह** (जिला कानपुर), **श्री उग्रसेन**, **श्री रतीपाल**, **श्री गिरजाप्रसाद** (जिला गोंडा), **श्री पितईराम** (जिला रायबरेली), **श्री रामआसरे** (जिला बाराबंकी) तथा **श्री राधेश्याम शर्मा** (जिला मथुरा)—क्या सरकार बतायेगी कि वित्तीय वर्ष १९६१-६० में रायबरेली जिले के अन्तर्गत किन-किन विकास क्षेत्रों में किसान मेले हुये हैं ? इन किसान मेलों के लिये सरकार ने प्रत्येक विकास क्षेत्र को कितने रुपये दिये हैं और कितना रुपया चन्दे द्वारा जनता से एकत्रित किया गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—वांछित विवरण माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ६७६ पर)

चमोली जिले में झूले के पुल

*७०—**श्री गंगाधर मैठाणी** (जिला चमोली)—क्या यह सही है कि जिला चमोली उत्तराखंड प्रशासन के अधीन मध्यमहेश्वर नदी पर जुगासू और सरस्वती नदी पर क्यारगढ़ में पक्के झूला पुल बनाना स्वीकृत है ? यदि हां, तो ये पुल कब स्वीकृत हो गये थे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—केवल जुगासू पर पुल बनाने की स्वीकृति नवम्बर, १९६० में दी गई थी । प्रश्न में उल्लिखित दूसरे पुल के निर्माण की कोई योजना नहीं है । हां, क्यारगढ़ पर मानसूना ग्राम के निकट पुल बनाने की योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना में अवश्य सम्मिलित है किन्तु अभी तक उसके तखमीने नहीं बने ।

*७१—**श्री गंगाधर मैठाणी**—क्या यह सही है कि इन पुलों के निर्माण के लिये टेंडर कई बार हो गये ? यदि हां, तो अभी तक कुल कितनी बार ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जुगासू पर पुल निर्माण के लिये चार बार टेंडर आमंत्रित किये गये किन्तु एक भी टेंडर नहीं आया ।

*७२—**श्री गंगाधर मैठाणी**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कब से इनका निर्माण प्रारम्भ हो जायेगा और कब तक पुल बन कर तैयार हो जायेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अब तखमीनों का बढ़ी दरों के हिसाब से संशोधन किया जा रहा है । साथ ही भारत सरकार से अपेक्षित तारों (wire ropes) के आयात की प्रार्थना की गई है वर्तमान स्थिति में यह कहना संभव नहीं है कि कार्य कब प्रारम्भ हो सकेगा या पुल बनकर कब तक तैयार हो जायगा ।

देवरिया, सदर अस्पताल का महिला कक्ष

*७३—**श्री चन्द्रबलीसिंह**—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिला के सदर अस्पताल के महिला कक्ष में प्रसव हेतु २ सितम्बर, १९६१ से ५ सितम्बर, १९६२ तक कितनी महिलायें भर्ती हुईं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—५७० ।

*७४—**श्री चन्द्रबलीसिंह**—(क) उनमें कितनी विना अभिभावक और कितनी अभिभावकों के साथ थीं ?

(ख) उनमें कितनी महिलायें बच्चे सहित बचीं ?

(ग) उनमें कितनी महिलायें बच्चे सहित मरीं ?

(घ) उनमें कितनी महिलायें स्वयं मरीं और बच्चा जिन्दा बचा ?

(ङ) उनमें कितनी महिलाओं के सिर्फ बच्चे मरे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—क्रमशः ९ और ५६१; ५१७; ६; ८; ३९ ।

*७५—श्री चन्द्रबलीसिंह—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उपरोक्त अस्पताल में उपरोक्त अवधि में प्रसव हेतु भर्ती कितनी महिलायें तथा उनके अभिभावकों से आवश्यक दवाइयों को बाजार से मंगाया गया ? कितने दवा न ला सके ? आवश्यक दवा न ला सकने वाली कितनी प्रसूता औरतें मरी हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—बाजार से दवा खरीदने के लिये किसी से भी नहीं कहा गया और न ही कोई महिला विना दवा के मरी ।

लखनऊ जिले में पुलिस कर्मचारियों का हाउस एलाउन्स

*७६—श्री दयाराम शाक्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ जिले तथा लखनऊ नगर में पुलिस कांस्टेबिल, हेडकांस्टेबिल, सब-इंसपेक्टरों का उन दिनों का हाउस एलाउन्स काट लिया जाता है जिन दिनों वह छुट्टी पर चले जाते हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? यदि नहीं, तो पिछले समय में काटा हुआ भत्ता वापस करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—पुलिस कांस्टेबुल, हेड कांस्टेबुल तथा सब इंसपेक्टरों को हाउस एलाउंस नहीं दिया जाता है वरन् उनके लिये किराये से मुक्त मकान के दिये जाने की व्यवस्था है । जिन कर्मचारियों के लिये यह व्यवस्था नहीं हो पाती है उन्हें उसके एवज में निर्धारित दर तक मकान का किराया दिया जाता है । नियमों के अनुसार छुट्टी पर चले जाने वाले कर्मचारियों के लिये छुट्टी की अवधि में किराये से मुक्त मकान की व्यवस्था नहीं है । अतः उस अवधि में दिये जाने वाला किराया भी नहीं दिया जाता है । तदनुसार भत्ते के काटे जाने या उसके वापस करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

गुड़, राब एवं खाण्डसारी इकाइयों पर नियंत्रण

*७७—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या ग्राम लघु उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश को गुड़ खंडसारी यूनिटों के संचालकों द्वारा किये जाने वाले अवैध कार्यों को पकड़ने तथा उचित कार्यवाही करने हेतु किन-किन क्षेत्रों में बांटा गया है और उनमें कितने-कितने कर्मचारी नियुक्त हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—गुड़, राब एवं खांडसारी इकाइयों पर नियंत्रण रखने के लिये समस्त उत्तर प्रदेश को ११ क्षेत्रों में विभाजित किया गया है । हर क्षेत्र में एक क्षेत्रीय अधिकारी है जिसके अधीन आवश्यकतानुसार अतिरिक्त खांडसारी अधिकारी एवं खांडसारी निरीक्षक नियुक्त हैं ।

अधिकारियों की संख्या तथा उनका क्षेत्रीय विभाजन संलग्न तालिका में दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ६८० पर)

*७८—श्री रामसिंह (मैनपुरी)—[हटा दिया गया ।]

मुरादाबाद में "स्टेनलेस स्टील" के कारखाने

*७९—श्री शराफत हुसैन रिजवी—क्या उद्योग मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि इस समय मुरादाबाद शहर में कितने ऐसे कारखाने हैं जो स्टेनलेस स्टील के बर्तन बनाने के काम करते हैं, उनके नाम क्या हैं ?

श्री फूलसिंह—इस समय मुरादाबाद शहर में स्टेनलेस स्टील के बर्तन बनाने के कार्य चार कारखाने करते हैं जिनके नाम निम्नलिखित हैं :—

१—मेसर्स मित्तल रोलिंग मिल्स, बुद्ध बाजार, मुरादाबाद ।
२—मेसर्स एम० एस० गुप्ता एन्ड ब्रदर्स, जीलाल स्ट्रीट, मुरादाबाद ।
३—मेसर्स मुहम्मद उमर कारखानेदार, ठठेरा, मुरादाबाद ।
४—मेसर्स एवरेस्ट इंडस्ट्रीज, बर्तन बाजार, मुरादाबाद ।

*८०—श्री शराफत हुसैन रिजवी—क्या उद्योग मंत्री यह भी बतायेंगे कि गत तीन वर्षों में उन कारखानों को अलग-अलग कितना कोटा स्टेनलेस स्टील का दिया गया है और यह कोटा किस आधार पर दिया गया ?

श्री फूलसिंह—वर्ष १९६०-६१ के पहले स्टेनलेस स्टील की प्राप्ति के लिये उद्योग निदेशकालय द्वारा एसेन्शियलिटी सर्टीफिकेट (Essentiality Certificate) जारी किये जाते थे । सन् १९६०-६१ में भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को १५ टन का कोटा दिया गया जिसमें से मित्तल रोलिंग मिल्स, बुद्ध बाजार, मुरादाबाद को १४ टन दिया गया ।

स्टेनलेस स्टील संस्थाओं को उनकी कार्यक्षमता, पिछले वर्षों में माल की खपत और जिला उद्योग अधिकारी की सिफारिश के आधार पर बांटा जाता है ।

*८१—श्री शराफत हुसैन रिजवी—क्या उद्योग मंत्री यह भी बतायेंगे कि यह कोटा उनको मुरादाबाद में लाकर वितरित किया जाता है या किसी अन्य स्थान से एलाट होने वाले व्यक्ति को मुरादाबाद लाना पड़ता है ?

श्री फूलसिंह—जी नहीं । यह माल स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन, कलकत्ता अथवा अन्य डिपो से लेना होता है ।

भवनियापुर ग्राम प्रधान का निलम्बन

*८२—श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जनपद के विकास खंड बन्नी कोडर के ग्राम भवनियापुर खेवली के प्रधान के विरुद्ध पेयजल के अनुदान का अपव्यय करने की शिकायत थी ? क्या जांच हेतु यह मामला जिला पंचायत अधिकारी को जिला नियोजन अधिकारी ने ९ जुलाई, १९६२ को सुपुर्द किया ? इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां । शिकायत की जांच सहायक जिला पंचायत अधिकारी द्वारा कराई गई और उनकी रिपोर्ट के आधार पर भवनियापुर के प्रधान को दिनांक ६ नवम्बर, १९६२ से निलम्बित कर दिया गया है । चूंकि पेय जल कूप के संबंध में अनियमित ढंग से धन स्वीकृत कराने में वर्तमान प्रधान के अतिरिक्त भूतपूर्व प्रधान एवं पंचायती मंत्री के दोषी होने की संभावना है । इसलिये यह मामला विस्तृत जांच करने एवं मुकद्दमा चलाने हेतु पुलिस को दे दिया गया है ।

*८३—श्री विजयसिंह—[हटा दिया गया ।]

कांटेदार तार बनाने के कारखाने

*८४—श्री विजयसिंह—क्या ग्राम व लघु उद्योग मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में कांटेदार तार बनाने के लिये कितने कारखाने हैं, किन-किन जिलों में हैं और उनकी वार्षिक उत्पादन capacity क्या है ?

श्री फूलसिंह—उत्तर प्रदेश में कांटेदार तार बनाने के १५ कारखाने हैं । यह कारखाने कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, देहरादून तथा देवरिया में हैं और इनकी वार्षिक उत्पादन capacity ३,४५० टन है ।

पब्लिक प्रासीक्यूटर के वेतन में वृद्धि

*८५—श्री मुन्नूसिंह (जिला बहराइच)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १० मई, १९६२ के सदन में उपमंत्री गृह विभाग ने जो बयान दिया था कि कोर्ट इंसपेक्टर तथा सहायक कोर्ट इंसपेक्टर की तनख्वाहें जनवरी, १९६२ से बढ़ा दी गईं, तो क्या बढ़ी हुई तनख्वाहे उनको मिलने लगी हैं ? यदि नहीं, तो वह उनको कब से मिलने लगेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---पब्लिक प्राजीक्यूटर तथा सहायक पब्लिक प्राजीक्यूटर के वेतन-क्रमों में की गई वृद्धि के आदेश १९ नवम्बर, १९६२ को जारी हो गये हैं और अब उन्हें नये वेतन-क्रमों में वेतन १ जनवरी, १९६२ से मिलने लगेगा ।

हापुड़ अस्पताल को अनुदान

*८६---**श्री बालोजी अग्रवाल**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मेरठ के जिलाधीश द्वारा फरवरी, १९६२ में घोषणा की गई थी कि सरकार हापुड़ अस्पताल को ४ लाख ६५ हजार रुपया अनुदान देगी ? यदि हां, तो क्या वह अनुदान दिया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जिलाधीश मेरठ द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*८७---**श्री सुखदेवप्रसाद** (जिला गोंडा)---[हटा दिया गया ।]

झांसी से प्रकाशित समाचार-पत्र

*८८---**श्री लखपतराम शर्मा**---क्या सूचना मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि मार्च, सन् १९६२ से सितम्बर, सन् १९६२ तक झांसी से कितने अखबार साप्ताहिक व दैनिक समय पर नियमित रूप में प्रकाशित होते रहे, व कितने अखबार इस अवधि में दैनिक अथवा साप्ताहिक कभी-कभी अनियमित रूप में प्रकाशित हुये, उनके नाम क्या हैं ?

श्री बनारसीदास---२ दैनिक व ४ साप्ताहिक समाचार-पत्र नियमित रूप से तथा २ दैनिक व १३ साप्ताहिक समाचार-पत्र अनियमित रूप से प्रकाशित हुये इनके नाम इस प्रकार हैं:---

दैनिक नियमित---

(१) जागरण (२) भास्कर ।

साप्ताहिक नियमित---

(१) जन-समाचार (२) श्रृंखला (३) इंसाफ (४) भारती ।

दैनिक अनियमित---

(१) साधना संदेश (२) बुन्देलखण्ड ।

साप्ताहिक अनियमित---

(१) नया कदम (२) राजदूत (३) मार्ग दर्शन (४) जन सेवी (५) राष्ट्र भक्त (६) पावन (७) झांसी न्यूज (८) दर्पण (९) राष्ट्र मानस (१०) घुटाला (११) पवन प्रभाग (१२) झांसी समाचार (१३) यंग ब्लड ।

मिलक अस्पताल के कम्पाउंडर के विरुद्ध शिकायत

*८९---**श्री हरीशकुमार गंगवार** (जिला बरेली)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५७ से सरकारी अस्पताल मिलक, जिला रामपुर में बराबर कम्पाउन्डर के पद पर कार्य करने वाले श्री ब्रजस्वरूप जौहरी का स्थानान्तरण न किये जाने के कारण क्या हैं जब कि उक्त कम्पाउन्डर के विरुद्ध कई शिकायती पत्र जनता ने सिविल सर्जन रामपुर को भेजे हैं जिनमें इनके विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये गये हैं ?

*६०--क्या सरकार उन कारणों पर प्रकाश डालने की कृपा करेगी जिनके कारण श्री ब्रजस्वरूप जौहरी का २४ जुलाई, १९६२ को रामपुर को किया गया तबादला ३१ जुलाई, १९६२ को रद्द कर दिया गया ? क्या सरकार जनहित को दृष्टि में रख कर उनका तबादला शीघ्र ही करने के निर्देश देगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सूचना एकत्र की जा रही है ।

सहारनपुर से चलने वाली ट्रेनों में दुरवस्था

*६१--**श्री ब्रह्मदत्त मायर**--क्या सरकार सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर गाड़ियों के चलने से पहले या उसके फौरन बाद नीलामी इत्यादि का ढोंग रख कर लोगों को लूटने, उनकी नकदी छीन लेने तथा सवारियों का माल नीचे गिरा लेने की जो घटनायें दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं उसको देखते हुये सुरक्षा की कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सहारनपुर रेलवे स्टेशन से चलने वाली गाड़ियों में अनधिकृत रूप से नीलाम इत्यादि करने वाले गिरोह के कुछ व्यक्तियों पर रेलवे ऐक्ट, रेलवे स्टोर्स ऐक्ट व अफीम ऐक्ट के मुकदमें कायम किये गये हैं व अभियुक्त जेल में हैं । इसके अतिरिक्त गिरोह के अन्य कुछ सदस्यों का चालान १०७/११७ सी० आर० पी० सी० में किया गया है ।

थाना नवाबगंज के अन्तर्गत डकैतियां

*६२--**श्री मेवालाल जायसवाल** (जिला इलाहाबाद)--क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३१ जुलाई, १९६२ से लगायत ४ अगस्त, १९६२ तक इलाहाबाद जिला के पश्चिमी क्षेत्र सोराम थाना नवाबगंज के अन्तर्गत कितनी डकैतियां पड़ीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस अवधि में इलाहाबाद जिले के थाना नवाबगंज के अन्तर्गत ३ डकैतियां पड़ीं ।

जिला परिषदों से संबंधित चुनाव

*६३--**श्री मदनपालसिंह** (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला परिषद् के हर विकास क्षेत्र समिति से जो दो सदस्यों का चुनाव होना निर्धारित है उसका चुनाव कब होगा ?

*६४--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला परिषद् के अध्यक्षों का चुनाव कब तक होगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ में जिला परिषदों के संगठन के सम्बन्ध में जो प्राविधान था उसमें कुछ संशोधन कर दिये गये हैं । संशोधन विधेयक विधान मंडल द्वारा गत ६ दिसम्बर को पारित हुआ है । संशोधित प्राविधानों के अधीन अब नियम बनाये जा रहे हैं और उन नियमों के बन जाने के बाद ही जिला परिषदों से सम्बन्धित चुनाव कराये जा सकेंगे और तभी उसका कोई कार्यक्रम निश्चित किया जा सकेगा ।

कानपुर-झांसी ट्रेन पर छात्रों द्वारा आहत गार्ड

*६५--**श्री मतोलासिंह** (जिला बांदा)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत माह कानपुर-झांसी रेलवे ट्रेन पर छात्रों द्वारा आहत गार्ड के उत्तराधिकारियों को क्षतिपूर्ति के रूप में सरकार कुछ सहायता करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--रेल विभाग केन्द्रीय सरकार के अधीन है । अतः इस सम्बन्ध में प्रदेशीय सरकार द्वारा अनुदान दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

*९६—श्री मतोलासिंह—क्या यह सत्य है कि उक्त हत्या के मुलजिम एक लड़के को ताजीरात हिन्द की दफा ३०२ का मुलजिम होने के बाद भी जमानत पर छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस सम्बन्ध में धारा ३०२/१४७/१४८/१४९/३३७ आई० पी० सी० के अधीन मामला दर्ज किया गया और ९ लड़के गिरफ्तार किये गये, इनमें से एक घटना से सम्बन्धित न पाये जाने पर रिहा कर दिया गया तथा शेष न्यायालय द्वारा जमानत पर छोड़ दिये गये ।

*९७—श्री मतोलासिंह—क्या सरकार सम्बन्धित लड़कों तथा अध्यापकों को अविलम्ब स्कूल से निकाल कर उनके खिलाफ करेक्टर रोल में बैड इंट्री करने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस सम्बन्ध में दो अध्यापक मुअत्तल कर दिये गये हैं ।

फैजाबाद जिले के लिए नवीन औषधालय

*९८—श्री सुखरामदास (जिला फैजाबाद)—क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जिले में सरकार ने गत ३ वर्षों में कितने औषधालय खोलने की आज्ञा प्रदान की थी और कहां-कहां ? क्या अहिरौली रानीमऊ में भी औषधालय खोलने की सरकार द्वारा आज्ञा हुई थी ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सूची संलग्न है ।

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ९८१ पर)

*९९—श्री सुखरामदास—क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अहिरौली रानीमऊ में औषधालय शीघ्र खोलने के लिये आज्ञा के बाद कितनी दरख्वास्तें पड़ीं और उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—औषधालय खोलने के लिये अभी कोई आदेश जारी नहीं हुआ । कई दरख्वास्तें आईं और उन पर आवश्यक जांच कराई गई ?

*१००—श्री सुखरामदास—क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस औषधालय के लिये बिल्डिंग बनाने तक के लिये निःशुल्क इमारत देने के लिये प्रार्थना-पत्र प्राप्तियों के आये हैं ? यदि अब तक वह औषधालय नहीं खोला गया तो क्या सरकार शीघ्र ही वह औषधालय खोलने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—औषधालय के लिये सरकारी बिल्डिंग बनने तक निःशुल्क भवन देने का आश्वासन आया है परन्तु जब तक औषधालय की स्थापना का आदेश नहीं जारी हो जाता उसके उपयोग का प्रश्न नहीं उठता । औषधालय खोलने के प्रश्न पर अगले वर्ष पुनः विचार किया जायगा ।

जैथरा के थानेदार के विरुद्ध शिकायत

*१०१—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा) तथा श्री लोकपालसिंह (जिला एटा)—क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला एटा, थाना जैथरा के नगला बली के सौदान और रामफल नामी दो व्यक्तियों में एक शीशम के पेड़ पर झगड़ा था ? उसका फैसला अफ़सर दोयम ने खुद ले कर ही और अपना फर्नीचर बनवा लिया ? क्या यह बात सही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सर्वश्री सौदान तथा रामफल के बीच एक शीशम के पेड़ पर झगड़ा अवश्य था किन्तु अफसर दोयम ने इस सम्बन्ध में न तो कोई जांच की और न कोई फैसला ही किया ? अफसर दोयम द्वारा फर्नीचर बनवाने की बात सही नहीं पाई गई ।

समथर के निकट जीवन डाकू को मारने वालों को इनाम देने की सिफ़ारिश

*१०२—**श्री काशीप्रसाद द्विवेदी** (जिला झांसी)—क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डेढ़ वर्ष पूर्व झांसी जिले के कस्बा समथर के पास जीवन डाकू एक पुलिस अधिकारी द्वारा मारा गया था ? यदि हां, तो कितना रुपया उक्त पुलिस अधिकारी को इनाम में दिया गया है तथा उक्त डाकू के मारने में किन-किन लोगों का हाथ था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—दिनांक १३-१४ नवम्बर, १९६१ को कस्बा समथर से लगभग एक मील दूरी पर थानाध्यक्ष समथर व अन्य पुलिस कर्मचारियों द्वारा जीवन डकैत मारा गया था।

इस सम्बन्ध में अभी तक किसी पुलिस अधिकारी अथवा कर्मचारी को कोई इनाम नहीं दिया गया। उक्त डाकू को निम्नांकित पुलिस कर्मचारियों द्वारा मारा गया :—

(१) श्री महेन्द्रपाल सिंह, थानाध्यक्ष,
(२) श्री शिवसागर, एस० आई०,
(३) हेड कां० शफीउल्ला,
(४) हेड कां० लाल बिहारी,
(५) कां० गफ्फार अली,
(६) कां० रहमान खां,
(७) कां० अब्दुल रहमान,
(८) कां० वरदानी सिंह,
(९) कां० चम्पा लाल,
(१०) कां० दूध नाथ,
(११) कां० महेश चन्द्र,
(१२) कां० विशाल सिंह,
(१३) कां० लक्षमन दास,
(१४) कां० बृजपाल सिंह ।

पनघटिया घाट संबंधित घाटों की मल्लाही

*१०३—**श्री जगदीश**—क्या सरकार इस बात को बतायेगी कि जिला बस्ती में राप्ती के पनघटिया घाट के साथ ठेके में कुछ ऐसे घाटों का नाम है जिस पर कभी पानी था लेकिन अब बहुत साल से खुश्क रास्ता है लेकिन पैदल या गाड़ी पर रास्ते पर चलने वाले से जबरदस्ती मल्लाही ली जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन नामों को हटाने का कष्ट करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—अन्तरिम जिला परिषद् से प्राप्त सूचना के अनुसार पनघटिया घाट के साथ तीन घाट और ठेके पर दिये जाते हैं। (१) अतरी, (२) मूही और (३) मुसहरा। बरसात में इन घाटों पर काफी पानी रहता है किन्तु गरमी के दिनों में अतरी और मुसहरा घाट जो कि राप्ती नदी के उप नदी पर स्थित है सूख जाते हैं। नियमानुसार इन सूखे घाटों पर मल्लाही लेने का ठेकेदार को पूरा अधिकार है।

*१०४–१०५—**श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह** (जिला गोंडा) तथा **श्री विजयसिंह**—[४ दिसम्बर, १९६२ को प्रश्न संख्या ७१–७२ के अन्तर्गत उत्तर दिये गये।]

*१०६–१०८—**श्री रामप्यारे** (जिला मिर्जापुर)—[२०वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यक्षों का चुनाव

*१०९—श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अगस्त मास में होने वाले जिला अन्तरिम परिषद् के अध्यक्षीय चुनाव पुनः स्थगित कर दिये गये हैं? यदि स्थगित हो गये, तो क्यों? यदि नहीं स्थगित हुये हैं, तो यह चुनाव कब तक सम्पन्न हो जायँगे?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी नहीं। अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यक्षों का चुनाव गत वर्ष हुआ था? वर्तमान अन्तरिम जिला परिषद् का कार्यकाल ३१ दिसम्बर, १९६२ तक है। उसके उपरान्त अन्तरिम जिला परिषदों का स्थगन जिला परिषदें ग्रहण कर लेंगी। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् संशोधन विधेयक विधान सभा से स्वीकृत हो गया है उसके पारित होने के उपरान्त सर्वप्रथम जिला परिषदों की स्थापना एवं उनके सदस्यों के चुनाव की कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी। तदुपरान्त अध्यक्षों का चुनाव होगा। इसलिये अभी से चुनाव की निश्चित तिथि बतलाना सम्भव नहीं है।

जिला पंचायत कार्यालय, नैनीताल में निर्वाचन संबंधित अभिलेख

*११०—श्री खुशीराम (जिला पिथौरागढ़)—विधान सभा की बैठक दिनांक ९ अगस्त, १९६२ ई० के प्रश्न संख्या २५० के उत्तर के क्रम में क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शिकायतों पर जो उचित कार्यवाही की गई वह किस प्रकार की क्या कार्यवाही की गई?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—श्री इन्द्रलाल को यह सूचना दी जा चुकी है कि वह प्रतिलिपि शुल्क जमा कर नियमानुसार प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करें। इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही नियमानुसार प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर ही की जा सकेगी।

*१११—श्री खुशीराम—क्या यह सही है कि जिला पंचायत अधिकारी द्वारा पत्र संख्या १३२२४/७/२१/२/३०, दिनांक १७ नवम्बर, १९६१ ई० से जो सूचना प्रार्थी को दी गई, वह प्रश्नकर्त्ता को दी गई सूचना से पृथक प्रकार की है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी नहीं, जिला पंचायत अधिकारी के पत्र संख्या १३२२४/७/२/२/३०, दिनांक १७ नवम्बर, १९६१ ई० में प्रार्थी को दी गई सूचना प्रश्नकर्त्ता को दी गई सूचना से विभिन्न नहीं है। वह केवल अधिक विस्तृत है।

ट्रक दुर्घटनाएं

*११२—श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—सरकार की ओर से तारांकित प्रश्न ३ व ४ नत्थी (ख) तारीख २७ सितम्बर, १९६२ को उत्तर में कहा गया कि १३ मई, १९६१ और १५ मई, १९६२ के दरमियान १,२१७ मनुष्य और ३०० मवेशी ट्रकों के कारण सड़कों पर मृत्यु को प्राप्त हुये? क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इनमें से कितने सरकारी व गैर-सरकारी सामान ढोने वाले ट्रक थे और कितनी सवारी बसें थीं?

*११३—उसी अर्से में कितने मनुष्य व मवेशी रोडवेज बसों द्वारा मौत के घाट उतरे?

*११४—मृत्यु संख्या ऐसी दुर्घटनाओं से सन् १९५९-६० से १९६०-६१ में कम हुयी या ज्यादा?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिये वांछित सूचना एकत्र करने में जो श्रम एवं समय लगेगा वह प्रश्नों की उपयोगिता के अनुपात में न होगा।

सहारनपुर जिले में हस्त-करघा व कुटीर उद्योग

*११५—श्रीमती शकुन्तलादेवी (जिला सहारनपुर)—क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला सहारनपुर के कितने ग्रामों में सरकार की ओर से हस्त-करघा व कुटीर उद्योग चालू हैं ?

*११६—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जिला सहारनपुर में इन उद्योगों के द्वारा कितने बेरोजगारों को रोजी मिली ?

*११७—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में कितने छोटे उद्योग व कुटीर उद्योग वह चालू करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फूलसिंह—वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

*११८-११९—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—[२०वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

यमुना साउथ बैंक स्टेशन के स्टेशन मास्टर के क्वार्टर की लूट

*१२०—श्री लखपतराम शर्मा—क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है सितम्बर, सन् १९६२ से १० अक्तूबर, १९६२ के बीच जिला हमीरपुर के यमुना साऊथ बैंक स्टेशन मास्टर व उनकी पत्नी को बदमाशों द्वारा बुरी तरह मारपीट की गई व सरकारी रुपया लूटा गया ? यदि यह सत्य है, तो अभियुक्तों के विरुद्ध और कर्मचारियों की सुरक्षा की क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—दिनांक ५ अक्तूबर, १९६२ को थाना सुमेरपुर पर लिखाई गई रिपोर्ट के अनुसार पिछली रात लगभग ९ बजे, २० व्यक्तियों ने स्टेशन मास्टर, यमुना साउथ बैंक स्टेशन को तथा उनकी पत्नी को मारा तथा घायल किया और प्वाइंट्स मैन को बांधने के बाद उन लोगों के क्वार्टरों से सामान लूटा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुरक्षा के लिये उस क्षेत्र में गश्त पर विशेष ध्यान दिया गया है।

नजीबाबाद तहसील में कत्ल

*१२१—श्री श्रीराम—क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ जुलाई, १९६२ से ३० सितम्बर, १९६२ तक नजीबाबाद तहसील में कितने कत्ल हुये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—दो कत्ल हुये।

आयुर्वेदिक चिकित्सकों का वेतन-क्रम

*१२२—श्री भगौतीदीन (जिला जौनपुर)—क्या सरकार को मालूम है कि श्रम विभाग के आयुर्वेदिक चिकित्सकों का वेतन-क्रम केवल ७५-५-१२०-८-२०० है ? यदि हां, तो क्या सरकार उनकी योग्यता तथा सेवाओं का ख्याल करते हुये उनके वेतन-क्रम २००-४०० तक देने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह वेतन-क्रम कितने दिन में सरकार प्रारम्भ करने का इरादा करती है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां।

उनको २०० से ४०० का वेतन-क्रम देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*१२३—श्री भगौतीदीन—क्या सरकार श्रम विभाग के आयुर्वेदिक चिकित्सकों को निजी प्रैक्टिस करने की आज्ञा पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कितने दिनों में सरकार निर्णय देने का इरादा करती है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---जी हां।

जितना जल्दी सम्भव हुआ इस प्रश्न पर निर्णय ले लिया जायगा।

स्टार पेपर मिल, सहारनपुर में छुट्टियां

*१२४---श्री जयगोपाल (जिला सहारनपुर)---क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्टार पेपर मिल, सहारनपुर में जनवरी, १९६२ से अब तक मजदूरों को कितनी नेशनल हालीडेज दी गईं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---स्टार पेपर मिल, सहारनपुर में जनवरी, १९६२ से अब तक मजदूरों को उत्तर प्रदेश औद्योगिक अधिष्ठान (राष्ट्रीय छुट्टी) अधिनियम, १९६१, के अन्तर्गत २६ जनवरी, १५ अगस्त तथा २ अक्तूबर, १९६२ को राष्ट्रीय छट्टियां दी थी। जिन श्रमिकों को उपरोक्त राष्ट्रीय छुट्टी नहीं दी उनको उन दिनों का दुगना वेतन का भुगतान उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कर दिया गया था।

बाराबंकी में चश्मे का कारखाना

*१२५---श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी में इसी वर्ष चश्मा बनाने के लिये किसी कारखाने आपटिको कं० की स्थापना हुई है? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त कारखाने के मालिक कौन-कौन हैं?

श्री फूलसिंह---जी हां। कारखाने के चार साझेदार हैं :---

१---श्री गिरजाशंकर तिवारी,
२---श्री हरीकुमार पाण्डेय,
३---श्री रूपकिशोर टंडन,
४---श्रीमती सरोजनी मेहरोत्रा।

*१२६---श्री मुकुटबिहारीलाल---अब तक सरकार द्वारा उक्त संस्थान को कितना-कितना रुपया सहायता के रूप में सरकार द्वारा मंजूर किया जा चुका है तथा उसमें से कितना धन अब तक दिया जा चुका है?

श्री फूलसिंह---अब तक १५,००० रु० का ऋण स्वीकृत किया जा चुका है किन्तु इसमें से कुछ भी अभी तक नहीं दिया गया है।

*१२७---श्री मुकुटबिहारीलाल---यह धन किन शर्तों पर दिया गया है तथा अदायगी का स्वरूप क्या होगा?

श्री फूलसिंह---प्रश्न नहीं उठता।

रायबरेली जिले में उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र

*१२८---श्री रतीपाल---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रायबरेली जिले में किन-किन स्थानों पर चमड़े के उद्योग और प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं? क्या खुले हुये उद्योगों एवं प्रशिक्षण केन्द्रों ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है? यदि हां, तो १९६१-६२ में उद्योग में कितना रुपया सरकार का व्यय हुआ और कितने रुपये का उत्पादन हुआ तथा प्रशिक्षण केन्द्र खोलने में सरकार का क्या व्यय हुआ और कितने छात्र अब प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं?

श्री फूलसिंह---वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

*१२९---श्री जयगोपाल---[हटा दिया गया।]

उद्योग विभाग संबंधित पुंज प्रशिक्षण केन्द्र, खागा

*१३०—श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—क्या लघु उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उद्योग विभाग के अन्तर्गत कोई लघु उद्योग केन्द्र खागा, जिला फतेहपुर में खोला गया था? यदि हां, तो क्या वह चल रहा है? यदि बन्द हो गया है, तो उसके बन्द किये जाने के क्या कारण हैं?

श्री फूलसिंह—उद्योग विभाग के अन्तर्गत एक पुंज-प्रशिक्षण केन्द्र (ट्रेनिंग कलस्टर) खागा, जिला फतेहपुर में खोला गया था और वह अब भी चल रहा है।

*१३१—श्री रक्षपालसिंह—क्या सरकार इस बात को देखते हुये कि जिला फतेहपुर जो बहुत पिछड़ा है वहां उद्योग के कारखाने व प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की कृपा करेगी?

श्री फूलसिंह—जी नहीं।

राठ औषधालय

*१३२—श्री डूंगरसिंह (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राठ, जिला हमीरपुर के औषधालय को Provincialise किया जा रहा है? यदि हां, तो कब तक?

*१३३—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राठ, जिला हमीरपुर में कोई महिला औषधालय खोलने की योजना है? यदि हां, तो वह कब तक खुल जायेगा और उसके खोलने के लिये अब तक क्या कार्यवाही हो चुकी है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सूचना एकत्र की जा रही है।

सण्डीला थानान्तर्गत सुन्दर की मृत्यु

*१३४—श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन्डीला, जिला हरदोई में ११ सितम्बर, १९६२ को सुन्दर तथा उसके बाप कालिका को थाना इन्चार्ज थाने में रात को ८ बजे ले गये और उसे मारा जिससे उसकी हालत खराब हो गयी, बेहोश हो गया तथा १२ सितम्बर, १९६२ को सुबह चार बजे अस्पताल भेजा, जहां वह मर गया?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—घटना इस प्रकार है कि दिनांक ११ सितम्बर, १९६२ को ग्राम सोरा कोठी, थाना संडीला निवासी सुन्दर पुत्र श्री कालिका को ग्राम बरोनी के कुछ लोगों ने मारा जिसके फलस्वरूप सुन्दर के सर में गहरी चोटें आईं। उसके पिता श्री कालिका ने उसे थाने ले जाकर मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। सुन्दर अस्पताल भेजा गया। वहां डाक्टर ने उसका हर सम्भव उपचार किया परन्तु सर में लगी घातक चोटों के फलस्वरूप दूसरे दिन सुबह उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने कोई मारपीट नहीं की।

*१३५—श्री मोहनलाल वर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सुन्दर की रिपोर्ट थाने में ११ सितम्बर, १९६२ को न लिख कर १३ सितम्बर, १९६२ को उसके बाप को बुला कर १२ सितम्बर, १९६२ की तारीख डलवा कर दस्तखत करवाये? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—रिपोर्ट ११ सितम्बर, १९६२ को दर्ज हुई। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*१३६—श्री मोहनलाल वर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या कालिका ने मंत्री जी को इस विषय पर कोई शिकायती पत्र लिखा है? यदि हां, तो कब और उस पर क्या कार्यवाही हुई? क्या उसकी जांच के समय पुलिस-इंचार्ज भी मौजूद थे और अस्पताल के डाक्टर ने क्या बयान दिया?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––जी हां, श्री कालिका के क्रमशः दिनांक १७ सितम्बर, १९६२ व १५ सितम्बर, १९६२ के दो पत्र सरकार को प्राप्त हुए थे। पहले पत्र के बारे में पुलिस अधीक्षक, हरदोई ने जांच की और जांच से पुलिस के विरुद्ध आरोप निराधार पाए गए। मेडिकल अफसर संडीला डिस्पेंसरी ने अपने बयान में बताया कि उन्होंने ११-१२ सितम्बर, १९६२ को १२ बजे रात को सुन्दर की डाक्टरी जांच की थी जो बुरी तरह से नशे में था। उन्होंने उसे तुरन्त भरती कर लिया था और यथासम्भव पूर्ण उपचार किया था। सुन्दर के जो चोटें लगी थीं उनके देखते हुए बचने की आशा लगभग नहीं के बराबर थी।

जांच करते समय थाना इंचार्ज मौजूद नहीं थे।

कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल, इटावा की ऐडहाक कमेटी

*१३७––**श्री सुखलाल** (जिला इटावा)––क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल इटावा की ऐडहाक कमेटी कब और किस कार्य के लिये बनायी गयी थी और उस कमेटी में कौन-कौन मेम्बर हैं ?

श्री फूलसिंह––यू० पी० कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल लि० इटावा की ऐडहाक कमेटी २७-३-५८ को उसके बाई लाज (bye-laws) की रजिस्ट्री होने पर संचालक बोर्ड के चुनाव तक मिल के प्रबन्ध-कार्य को चलाने के लिए बनाई गई थी। इस कमेटी में निम्नलिखित सदस्य हैं :––

१––डाइरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज	.. ..	प्रेसीडेंट
२––श्री नवाब एजाज रसूल	.. ..	सदस्य
३––श्री पी० सी० सक्सेना	.. ..	,,
४––श्री सी० पी० गुप्ता	.. ..	,,
५––श्री हयात मुहम्मद	.. ..	,,
६––श्री शफात अहमद	.. ..	,,
७––डिप्टी डाइरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज (हैन्डलूम)	..	सेक्रेटरी
८––डिप्टी रजिस्ट्रार (इन्डस्ट्रियल कोआपरेटिव)	..	सदस्य ।

*१३८––**श्री सुखलाल**––क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस मिल में कितनी बुनकर समितियों ने हिस्से खरीदे हैं ?

श्री फूलसिंह––३८७ बुनकर समितियों ने।

*१३९––**श्री सुखलाल**––क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ऐडहाक कमेटी में बुनकर ही रक्खे गये हैं अथवा दूसरे लोग ? अगर हां, तो क्यों और उनके नाम क्या हैं ?

श्री फूलसिंह––(क) उक्त ऐडहाक कमेटी में बुनकर भी हैं तथा अन्य लोग भी हैं।

(ख) दूसरे लोगों को रखने का कारण यह है कि मिल की स्थापना के समय ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो अनुभवी हों ताकि मिल की स्थापना हेतु मशीनों, भवन निर्माण आदि कार्यों की देखभाल भली भांति कर सकें। सर्वश्री हयात मुहम्मद तथा शफात अहमद बुनकर हैं। शेष गैर बुनकर हैं।

*१४०––**श्री केशरीप्रसाद पांडेय** (जिला जौनपुर)––[२०वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

*१४१––**श्री केशरीप्रसाद पांडेय**––[४ दिसम्बर, १९६२ को प्रश्न १०१ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

पंचमहानगरियों के लिए महिला पुलिस

*१४२—**श्री झारखंडेराय**—क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि राज्य सरकार राज्य की पंचमहानगरियों में महिला पुलिस के दस्तों के नियुक्ति की योजना पर विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—पुलिस महानिरीक्षक के पास से योजना प्राप्त होने पर सरकार विचार करेगी।

*१४३—**श्री झारखंडेराय**—यदि हां, तो क्या सरकार उसकी पूर्ण रूपरेखा से सदन को अवगत करायेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इसका प्रश्न नहीं उठता।

गुरसहायगंज के थानेदार की चरित्र पुस्तिका में प्रतिकूल अभियुक्ति

*१४४—**श्री कोतवालसिंह भदौरिया** (जिला फर्रुखाबाद)—क्या गृह मंत्री को इस बात की कोई सूचना मिली है कि फर्रुखाबाद जिले के गुरसहायगंज थाने की पुलिस ने अमोलर गांव सभा के प्रधान से रिश्वत ली है और उन्हें पार्टीबन्दी के आधार पर किसी गलत केस में फांसना चाहते हैं ? अगर हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक गुरसहायगंज पुलिस के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ग्राम अमोलर के प्रधान ने इस आशय का प्रार्थना-पत्र दिया था कि गुरसहायगंज थाने के दरोगा ने उन्हें डकैती में बन्द करने की धमकी देकर रिश्वत देने का वादा करा लिया। जांच से रिश्वत के आरोप असत्य पाये गये परन्तु थानेदार द्वारा ग्राम प्रधान के कुछ जातीय मामलों में दिलचस्पी लेने के कारण उनके Character Roll में Bad Entry कर दी गई है।

गुरसहायगंज थानान्तर्गत श्री ब्रजबिहारीलाल के कत्ल की जांच

*१४५—**श्री गंगाप्रसाद वर्मा** (जिला एटा)—क्या मुख्य मंत्री को यह जानकारी है कि फर्रुखाबाद जिले में गुरसहायगंज थाना के अन्तर्गत माधोनगर निवासी श्री ब्रजबिहारीलाल का कत्ल दिनांक १० जून, १९६२ को हुआ था ? उस कत्ल के सम्बन्ध में पुलिस ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, किन्तु श्री ब्रजबिहारीलाल का कत्ल दिनांक १०-६-६२ को नहीं बल्कि १७-६-६२ को हुआ था। पुलिस ने इस मामले में जांच के उपरान्त धारा १४८/३०४ भा० द० वि० के अन्तर्गत ८ व्यक्तियों का चालान किया था किन्तु अभियुक्त सेशन्स न्यायालय द्वारा छोड़ दिये गये।

*१४६—**श्री गंगाप्रसाद वर्मा**—क्या यह सही है कि इस कत्ल होने के पहिले ही पुलिस को कई एक प्रार्थना-पत्र दिये जा चुके थे कि फलां आदमी यह कत्ल करने वाले हैं ? यदि हां, तो गुरसहायगंज थाना की पुलिस ने कत्ल करने वालों के विरुद्ध तथा ब्रजबिहारीलाल के जीवन की रक्षा के लिए कोई व्यवस्था क्यों नहीं की ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस सम्बन्ध में एक प्रार्थना-पत्र अवश्य प्राप्त हुआ था। श्री ब्रजबिहारीलाल की सुरक्षा का प्रबन्ध क्यों नहीं हो सका इसकी जांच की जा रही है।

बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ का नर्सिंग स्टाफ

*१४७—**श्री सूबेदार सिंह** तथा **श्री बृजेश्वर सहाय** (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अब बलरामपुर अस्पताल लखनऊ में नर्सिंग स्टाफ कितना है और उसमें कितने स्थायी हैं और कितने अस्थायी हैं और जो अस्थायी कार्य कर रहे हैं उनकी नौकरी का समय कितना कितना हो गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ में कार्य करने वाले नर्सिंग स्टाफ की संख्या ३२ है। उसमें से १८ स्थायी और १४ अस्थायी हैं। अस्थायी नर्सिंग स्टाफ की नौकरी की अवधि उनके नाम के समक्ष संलग्न सूची में लिखी है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ९८२ पर)

कुरावली थानान्तर्गत अपराध

*१४८—**श्री गणेशचन्द्र काछी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले के थाना कुरावली में सन् १९६२ ई० में कितनी चोरियां, डकैतियां व कत्ल हुये हैं और क्या यह सच है कि जो उपरोक्त घटनायें हुई हैं उनमें अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है और न यह मालूम हो सका है कि कौन-कौन अपराधी हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—१९६२ में (२६ नवम्बर तक) उक्त थाने के अन्तर्गत चोरी की १०८, डकैती की ८ और कत्ल की ७ घटनाओं की रिपोर्ट हुई है। चोरी की १७, डकैती की ८ और कत्ल की ३ घटनाओं के सम्बन्ध में अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

*१४९—**श्री कमलासिंह यादव** (जिला गाजीपुर)—[२० वें गुरुवार के लिए स्थगित किया गया।]

गन्ना सुपरवाइजरों का भत्ता

*१५०—**श्री मैनेजर सिंह** (जिला बलिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गन्ना विकास विभाग के सुपरवाइजरों को दस रुपया और ११ रुपया मासिक भत्ता दिया जाता है जब कि उनके कार्यों या कार्यक्षेत्रों में कोई अन्तर नहीं है ? यदि हां, तो इस भिन्नता का क्या कारण है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—गन्ना विकास विभाग के सुपरवाइजरों को ९ रु० और ११ रु० प्रति माह के हिसाब से यात्रा भत्ता मिलता है। यात्रा भत्ते की राशि में भिन्नता का कारण यह है कि उनके कार्यों और कार्यक्षेत्रों में अन्तर है। भिन्न-भिन्न जिलों में कुछ सुपरवाइजरों के पास बड़े क्षेत्र हैं और कुछ के पास छोटे क्षेत्र हैं।

आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सालय

*१५१—**श्री देवीदत्त** (जिला नैनीताल)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस समय प्रदेश में कितने आयुर्वेदिक व यूनानी चिकित्सालय कार्य कर रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त— इस समय प्रदेश में कुल ५५८ आयुर्वेदिक एवं ९२ यूनानी राजकीय औषधालय कार्य कर रहे हैं। इनके अतिरिक्त राजकीय आयुर्वेदिक कालेज से सम्बद्ध एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय भी कार्य कर रहा है।

गाजीपुर जिले के राजनीतिक नेता के विरुद्ध जांच

*१५२—**श्री रघुवीर, श्री रामसुन्दर शास्त्री** (जिला गाजीपुर), **श्री झिलमिट-राम** (जिला गाजीपुर) तथा **श्री झारखंडेराय**—क्या गृह मंत्री यह बतायेंगे कि गाजीपुर जिला के एक चोटी के राजनीतिक नेता के विरुद्ध ३०७ के अपराध में जांच-पड़ताल करने के लिए सी० आई० डी० के डी० आई० जी० गाजीपुर भेजे गये थे ? यदि हां, तो उस केस के सिलसिले में सरकार को क्या रिपोर्ट मिली है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं। कुछ अन्य शिकायतों के सम्बन्ध में डी० आई० जी०, सी० आई० डी० द्वारा जांच करायी गई थी। उनकी रिपोर्ट गोपनीय है और उसका विवरण सदन में प्रकाशित करना जनहित में उचित न होगा।

जोतकर विधेयक के विरोध में गिरफ्तारियां

*१५३—**श्री गंगाप्रसाद** (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जोतकर विधेयक, सन् १९६२ के विरोध के सम्बन्ध में किन-किन राजनैतिक दलों के कितने-कितने लोग गिरफ्तार किये गये हैं और किन-किन जिलों के गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या कितनी-कितनी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जोतकर विधेयक, सन् १९६२ के विरोध के सम्बन्ध में लखनऊ जिले में ७८५ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे जो सब जनसंघ दल के ही थे। इनमें ७८२ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के, १ व्यक्ति पश्चिमी पंजाब तथा दो व्यक्ति बिहार के थे। इस सम्बन्ध में की गई गिरफ्तारियों की जिलेवार तालिका संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ६८३ पर)

*१५४—**श्री गंगाप्रसाद**—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उपरोक्त आन्दोलन में कितने व्यक्तियों को सजा हुई और कितने व्यक्तियों को जुर्माना हुआ और कितने व्यक्ति माफी मांगने पर छोड़ दिये गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उक्त आन्दोलन में किसी व्यक्ति को कोई सजा अथवा जुर्माना नहीं हुआ। आन्दोलन समाप्त किये जाने पर सरकार ने सारे मुकदमे वापस ले लिये एवं सब व्यक्तियों को बिना मुकदमा चलाये रिहा कर देने के आदेश जारी कर दिये। जिन गिरफ्तार व्यक्तियों को माफी मांगने पर छोड़ दिया गया था उनकी संख्या ७० थी।

राजकीय डिप्लोमा पालिटेक्निक स्कूलों में फीस

*१५५—**श्री रामलखन वकील** (जिला वाराणसी)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय डिप्लोमा पालिटेक्निक स्कूलों में फीस जो पहले नहीं ली जाती थी इस साल लगा दी गयी है ? यदि हां, तो फीस लगने का क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। पहिले राजकीय पालीटेक्निक में केवल एक रुपया महीना या बिल्कुल ही फीस नहीं पड़ती थी किन्तु सहायता प्राप्त पालीटेक्नीकों में २० रु० से ३० रु० महीना तक फीस पड़ती थी। नाम मात्र फीस पड़ने के कारण राजकीय पालीटेक्नीकों में दाखिले के लिए बहुत भीड़ होती थी और सहायता प्राप्त पालीटेक्नीकों में अधिक फीस पड़ने के कारण जगहें खाली पड़ी रहती थीं। इसके अतिरिक्त पालीटेक्नीक में हर विद्यार्थी पर सालाना लगभग ७२० रु० खर्च लगता है अतः इसका कुछ बोझ लड़कों को भी उठाना चाहिए।

*१५६--श्री रामलखन वकील--क्या मुख्य मंत्री को मालूम है कि जी० टी० आई० गवर्नमेंट टेक्निकल इन्स्टीट्यूट लखनऊ में बहुत सी जगहें विद्यार्थियों के प्रवेश की खाली होते हुए भी वहां के अधिकारियो नें प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों को यह कह कर वापस कर दिया कि दाखिले तथा फीस जमा करने की तिथि समाप्त हो गयी है जब कि उनके प्रार्थनापत्र पहले से पड़े थे और वे प्रवेश की पूरी योग्यता रखते थे? यदि हां, तो ऐसा क्यों हुआ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--गवर्नमेंट पालीटेक्निक (पुराना जी० टी० आई०) लखनऊ में दाखले की अन्तिम तिथि बोर्ड आफ टेक्निकल एजूकेशन, उत्तर प्रदेश ने अवस्था विशेष में १० अगस्त से बढ़ाकर २० अगस्त कर दी थी और उस तारीख तक सभी २४० सीटें भर भी गई थीं। परन्तु उपरान्त कुछ विद्यार्थियों ने पढ़ना छोड़ दिया जिसके कारण ३६ सीटें खाली हो गईं। उनके भरने का कोई सवाल पैदा नहीं होता क्योंकि दाखले की अन्तिम तिथि (२० अगस्त, १९६२) पहले ही बीत चुकी थी और इसकी अवधि और बढ़ाना उचित नहीं समझा गया।

*१५७--श्री रामलखन वकील--क्या यह सत्य है कि डाइरेक्टर आफ टैक्निकल एजूकेशन कानपुर ने राजकीय डिप्लोमा पालिटेक्निक स्कूलों की खाली जगहों की पूर्ति के लिये सरकार को कार्यक्रम निश्चित करने के लिये पत्र भी लिखा था? यदि हां, तो उक्त राजकीय पालिटेक्निक स्कूलों की खाली जगहों को भरने के सम्बन्ध में सरकार का क्या विचार है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां। परन्तु इन पालिटेक्निक में खाली जगहों को अन्तिम तिथि समाप्त हो जाने के बाद भरा जाना उचित नहीं समझा गया।

खीरी जिले में खाण्डसारी, गुड़ धंधा

*१५८--श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी)--क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अगामी गन्ना सीजन, १९६२-६३ के लिये खण्डसारी तथा गुड़ के धन्धे के चलाने के लिये, क्रशर्स लगाने के लिये, विभागीय स्वीकृति दिये जाने के लिये क्या नियम, उप-नियमादि बनाये गये हैं?

श्री दाऊदयाल खन्ना--खांडसारी तथा गुड़ के धन्धे चलाने हेतु क्रशर (Crusher) लगाने के लाइसेंस 'उत्तर प्रदेश खांडसारी शक्कर निर्माताओं को लाइसेंस देने की आज्ञा, १९६० तथा "उत्तर प्रदेश (क्रय-कर) अधिनियम, १९६१" के अनुसार दिये जाते हैं। यही नियम १९६२-६३ सीजन के लिये भी लागू है।

*१५९--श्री छेदालाल चौधरी--क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त कथित नियम, उप-नियमादि के अन्तर्गत खीरी जिले से कुल कितने प्रार्थना-पत्र विभाग को क्रशर्स लगाने के लिये प्राप्त हुये हैं और उनके निर्णय कब तक होने की आशा है?

श्री दाऊदयाल खन्ना--जिला खीरी से २८-११-६२ तक क्रशर के लाइसेंस के लिये ४३ प्रार्थना पत्रों में ३५ पर निर्णय हो चुका है तथा शेष विचाराधीन हैं।

*१६०-१६१--श्री रामलखनसिंह (जिला बस्ती)--[२०वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

*१६२-१६४--श्री रामकिशोर त्रिपाठी--[२०वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

प्रान्तीय रक्षक दल के कमाण्डेण्ट

*१६५--श्री उमादत्त (जिला सुल्तानपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रान्तीय रक्षा दल में कितने असिस्टेंट कमान्डेन्ट हैं और वे लगातार कितने दिनों तक एक ही स्थान पर नियमतः रह सकते हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––प्रान्तीय रक्षक दल में इस समय तीन असिस्टेंट कमान्डेंट हैं। इन लोगों के एक स्थान पर नियुक्त रहने के विषय में कोई पाबन्दी लागू नहीं की गई है क्योंकि यह पद सिर्फ प्रधान कार्यालय लखनऊ के लिये ही स्वीकृत है।

*१६६––**श्री उमादत्त**––क्या यह सही है कि उपरोक्त असिस्टेन्ट कमान्डेंट में से कोई लगातार ६ वर्षों से एक ही स्थान पर हैं? यदि हां, तो उनका स्थानान्तरण अब तक क्यों नहीं किया गया?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––सर्वश्री वीरेंद्र वर्मा व धर्मदेव शर्मा, असिस्टेंट कमान्डेंट प्रांतीय रक्षक दल हेड क्वार्टर्स पर ६ वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं। इन दोनों का स्थानान्तरण नहीं हो सकता क्योंकि जिन जगहों पर यह काम कर रहे हैं वह प्रान्तीय रक्षक दल प्रधान कार्यालय के लिये ही स्वीकृत हैं।

*१६७––**श्री मुन्नूसिंह**––[२०वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

अतारांकित प्रश्न

बदायूं जिले में घूसखोरों की गिरफ्तारी

१––**श्री धूमप्रसाद** (जिला फैजाबाद)––क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं में सितम्बर, १९६२ में कुल कितने राजकीय कर्मचारी घूस लेने के अपराध में डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट पुलिस द्वारा पकड़े गये?

२––क्या सरकार बतायेगी कि घूस लेने के अपराध में पकड़े गये उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––जिला बदायूं में सितम्बर, १९६२ में तीन राजकीय कर्मचारी घूस लेने के अपराध में उप-पुलिस-अधीक्षक द्वारा पकड़े गये।

इन तीनों व्यक्तियों के विरुद्ध धारा १६१ भारतीय दण्ड विधान तथा धारा ५(२) प्रिवेंशन आफ करप्शन ऐक्ट के मुकदमें दर्ज करके उनको जेल भेजा गया।

तीनों मामलों में जांच जारी है।

बाबूगढ़, चिड़ियाला, भगवानपुर स्टेशनों पर रेलवे कर्मचारियों की सुरक्षा

३––**श्री हिम्मतसिंह**––क्या सरकार बतायेगी कि बाबूगढ़ (जिला मेरठ) चिड़ियाला, (सहारनपुर) भगवानपुर (जिला मुरादाबाद) स्टेशनों पर पिछले दो वर्षों में रेलवे कर्मचारियों पर कितनी वारदातें हुईं? उसमें कितनी हत्यायें हुईं तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––पिछले दो वर्षों में सम्बन्धित स्टेशनों पर ऐसी कोई वारदात नहीं हुई।

हैंसर बाजार अस्पताल से लाशें न मिलने की शिकायत

४––**श्री श्यामलाल** (जिला बस्ती)––क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किस नियम के अनुसार बस्ती जिले में दुबौलिया गांव में गत ३० अगस्त को गोली चलने के फलस्वरूप जो तीन गरीब किसान मार डाले गये थे उनकी लाशें उनके घर वालों को नहीं दी गईं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––उन तीन व्यक्तियों की मृत्यु हैंसर बाजार अस्पताल में हुई थी। पोस्ट-मार्टम के पश्चात् उन व्यक्तियों के घर वालों से शवों को ले जाने के लिये कहा गया पर वे शव नहीं ले गये। तत्पश्चात् शवों का जल प्रवाह कर दिया गया। यह सत्य नहीं है कि उनके शवों को उनके घर वालों को नहीं दिया गया।

बांदा जिले में अपराध

५—**श्री लखपतराम शर्मा**—क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी सन् १९६० से अगस्त, सन् १९६२ तक बांदा व बांदा जिले में कितने कत्ल व डकैती व राहजनी हुई व कितने अपराधों में पुलिस द्वारा अपराधियों को न्यायालय द्वारा दंडित कराया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस अवधि में बांदा व बांदा जिले में कुल ११९ कत्ल, २८ डकैती तथा १९ राहजनी की घटनायें हुई और उनमें क्रमशः २८, १० व ९ मामलों में सजा हुई ।

सरोजिनी नायडू अस्पताल, आगरा की इमारत, हरिजन पुलिस सब-इंस्पेक्टर

६—**श्री छत्रपति अम्बेश** (जिला आगरा)—क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपया करेंगे कि सरोजिनी नायडू अस्पताल, आगरा की अभी जो तीन मंजिल इमारत बनी है उसमें कुछ दरार आ गयी है और फर्श बैठ गया है ? यदि हां, तो सरकारी कर्मचारी एवं ठेकेदार जो इससे सम्बन्धित थे, उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—छतों और लिन्टर्स के जोड़ों के पास कुछ मामूली दरारें दिखलाई पड़ती हैं और कुछ स्थानों पर फर्श भी धसक गये हैं। उनको ठीक करने के लिये उचित कार्यवाही हो रही है। ठेकेदार या सरकारी कर्मचारियों का कोई दोष नहीं पाया गया अतएव उन पर कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

७—**श्री छत्रपति अम्बेश**—क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, १९६१ से अगस्त, १९६२ तक पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर या सब इस्पेक्टर कितने हरिजन नौकरी में लिये गये और कितने पृथक किये गये और पृथक किये जाने का क्या कारण था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जनवरी, १९६१ से अगस्त, १९६२ तक पुलिस विभाग में १९ हरिजन सब-इंस्पेक्टर नौकरी में लिये गये जिनमें से सात निकाल दिये गये क्योंकि उनकी सेवायें पुलिस विभाग में वांछनीय नहीं थी। उपर्युक्त काल में किसी हरिजन को इंस्पेक्टर के पद पर नौकरी में लिये जाने का प्रश्न नहीं उठता यह पद पदोन्नति द्वारा भरा जाता है ।

वाराणसी जिले में महिलाओं को चिकित्सा सुविधायें

८—**श्री रघुनाथसिंह** (जिला वाराणसी)—क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में टी० बी० आदि विशेष अस्पतालों में महिलाओं के लिये कितनी सीटें सुरक्षित रखी गयी हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वाराणसी जिले के लेबेट अस्पताल, रामनगर में टी० बी० वॉर्ड है जिसमें महिलाओं के लिये ८ शैय्यायें सुरक्षित हैं। अन्य रोगों से सम्बन्धित वहां कोई विशेष अस्पताल नहीं है ।

९—**श्री रघुनाथसिंह**—पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में वाराणसी जिले में महिला डाक्टरों की संख्या कितने प्रतिशत बढ़ी है और वर्तमान संख्या में नगर और देहात के लिये उनकी नियुक्ति का अनुपात क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वाराणसी जिले में प्रथम एवं द्वितीय पंच-वर्षीय योजनाओं की अवधि में महिला डाक्टरों की संख्या ५० प्रतिशत बढ़ी है तथा वर्तमान संख्या में नगर तथा देहात में उनकी नियुक्ति का अनुपात ५:४ है।

वाराणसी जिले में हाथी दांत तथा लकड़ी खिलौना प्रशिक्षण केन्द्र

१०—**श्री रघुनाथसिंह**—क्या लघु और कुटीर उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में हाथी दांत शिल्प तथा लकड़ी के खिलौने के प्रशिक्षण केन्द्र कब और कहां-कहां स्थापित किये गये ?

श्री फूलसिंह—हाथी दांत शिल्प प्रशिक्षण केन्द्र रामनगर (वाराणसी) में ८ नवम्बर, १९५१ में स्थापित किया गया और लकड़ी के खिलौने का प्रशिक्षण केन्द्र खुजवा (वाराणसी) में १-११-४७ में स्थापित किया गया ।

११—**श्री रघुनाथसिंह**—इन प्रशिक्षण केन्द्रों से विगत जून महीने तक अलग-अलग कितने प्रशिक्षित निकले ?

१२—इन प्रशिक्षण केन्द्र उत्पादन केन्द्र में अलग-अलग कितना उत्पादन विगत जून महीने तक हुआ ?

श्री फूलसिंह—वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ९८४ पर)

बाजपुर कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी तथा अन्य चीनी मिलों से बक़ाया की वसूली

१३—**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ३१ मार्च, १९६१ को खत्म होने वाली अवधि तक बाजपुर कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी के ऊपर सरकार का जो १७.९८ लाख रुपया cane cess बकाया था उसमें से कितना वसूल हो चुका है और कितना १६ सितम्बर, १९६२ तक बकाया पड़ा था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस मिल पर सेस-पर्चेज की मद के अन्तर्गत २ जून, ६१ तक का जो रुपया १३,९०,०३७.४१ बकाया था उसमें से १३ अक्तूबर, ६२ तक ५ लाख रुपये वसूल हो चुका है और शेष ८,९०,०३७.४१ रुपये बकाया है ।

१४—**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी**—क्या सरकार १६ सितम्बर, १९६२ तक प्रदेश की जिन-जिन चीनी मिलों पर बकाया था मय बकाया धनराशि के, उनकी सूची सदन की मेज पर रखते हुये बताने की कृपा करेगी कि उक्त राशि को वसूलने के लिये वह क्या कदम उठा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस प्रदेश की जिन चीनी मिलों पर ३०-९-६२ को सेस-पर्चेज टैक्स की जो रकम बकाया थी उसका विवरण †संलग्न तालिका 'क' में दिया हुआ है। इस बकाया रकम की वसूली के लिये रिकवरी सार्टीफिकेट जारी कर दिये गये हैं और सम्बन्धित जिलाधीशों को सख्ती से वसूली करने के निर्देश भेज दिये गये हैं।

१५—**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी**—क्या सरकार उन चीनी मिलों की जो प्रदेश में स्थित है, सूची मय उस धनराशि के जो, १६ सितम्बर, १९६२ को गन्ना उत्पादकों की मिलों के ऊपर बाकी था सदन की मेज पर रखते हुये यह बतायेगी कि इस बकाया राशि की तुरन्त अदायगी के लिये सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस प्रदेश की जिन चीनी मिलों पर निर्दिष्ट तारीख तक जो गन्ने का मूल्य बकाया था और उसमें से वसूली के बाद जो १५-१२-६२ को स्थिति थी उसका विवरण संलग्न † तालिका "ख" में दिया हुआ है। देनदार मिलों से सख्ती से वसूली के लिये सम्बन्धित जिलाधीशों को उचित निर्देश भेज दिये गये हैं ।

---

†छापी नहीं गई ।

मेडिकल कालेजों से संबंधित चिकित्सालयों को अनुदान

१६---**श्री छत्रपति अम्बेश**---क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर, लखनऊ एवं आगरा के मेडिकल कालेज से सम्बन्धित चिकित्सालयों को क्रमशः प्रतिवर्ष कितनी-कितनी धनराशि दवाइयों के लिये दी जाती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---कानपुर, आगरा व लखनऊ के मेडिकल कालेजों से सम्बन्धित चिकित्सालयों को दवाओं के लिये निम्नलिखित धनराशि सालाना दी जाती है---

अस्पतालों के नाम	दवाओं के लिये वार्षिक धनराशि
कानपुर	
	रु०
(१) लाला लाजपतराय अस्पताल	७७,६००
(२) यू० एच० एम० अस्पताल	८४,८००
(३) ए० एच० एम० व डफरिन अस्पताल	३८,०००
(४) आई० डी० अस्पताल व टी० बी० अस्पताल	१६,०००
आगरा	
(१) सरोजिनी नायडू अस्पताल	२,१६,२००
लखनऊ	
(१) किंग जार्ज अस्पताल	३,२५,०००
(२) चिल्ड्रेन अस्पताल	२०,०००
(३) क्वीन मेरी अस्पताल	२३,१००
(४) टी० बी० क्लीनिक तथा अस्पताल	२६,०००

१७---**श्री छत्रपति अम्बेश**---यदि तीनों की धनराशि के वितरण में अन्तर है, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---उपर्युक्त तीनों मेडिकल कालेजों से संबंधित चिकित्सालयों की शैय्याओं की संख्या में अन्तर होने तथा अन्य स्थानीय विशेषताओं व आवश्यकताओं के कारण इन अस्पतालों में दवाओं के लिये दी जाने वाली धनराशि में अन्तर है । इसके अतिरिक्त आगरा व लखनऊ में कुछ विशेष चिकित्साओं जैसे पैड्रियाट्रिक्स (Paedriatrics) इत्यादि का भी प्रबन्ध है ।

१८-१९---**श्री छत्रपति अम्बेश**---[१८वें सोमवार के लिये प्रश्न ३-४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

२०-२१---**श्री हलीमुद्दीन** (जिला मुरादाबाद), **श्री खेमचन्द** (जिला आगरा) तथा **श्री श्यामलाल**---[५ दिसम्बर, १९६२ को प्रश्न ४९-५० के अन्तर्गत उत्तर दिये जा चुके हैं ।]

जल नाविक श्रम सहकारी समिति, माहपुरवा की दरख्वास्त

२२—**श्री हलीमुद्दीन, श्री खेमचन्द** तथा **श्री श्यामलाल**—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला जल नाविक श्रम सहकारी समिति, माहपुरवा (बहराइच) ने नाव चलाने के लिये घाटों को प्राप्त करने के लिये दरख्वास्त लगभग डेढ़ साल हुआ दी थी लेकिन उस पर अब तक कोई कार्यवाही नही हुई और समिति को घाट भी नहीं मिले, इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी नहीं । ऐसी कोई दरख्वास्त प्राप्त नहीं हुई ।

मुजफ्फरनगर जिले में बिजली

२३—**श्री रामचन्द्रसिंह** (जिला सहारनपुर)—क्या विद्युत् मंत्री कृपा कर यह बतायेंगे कि जिला मुजफ्फरनगर के कुछ ग्रामों के लिये विद्युत् मंजूर हुई है ? यदि हां, तो किन-किन ग्रामों को और कब तक बिजली इन ग्रामों में आ जायेगी और इसके खर्चे की क्या योजना होगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां । तृतीय पंचवर्षीय योजना में ग्रामों तथा नगरों के विद्युतीकरण की एक परियोजना है जिसके अन्तर्गत अभी तक मुजफ्फरनगर जिले में २४ नगरों के विद्युतीकरण की स्वीकृति हो चुकी है । जिसमें से ८ नगरों का विद्युतीकरण हो चुका है और अन्य १६ नगरों का विद्युतीकरण आवश्यक सामान उपलब्ध होने पर चालू वित्तीय वर्ष में होने की संभावना है । इन नगरों में नाम संलग्न सूची में दिये हुये हैं ।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ ९८५ पर)

कबरई विकास क्षेत्र में 'मगरिया' नाले पर पुल की आवश्यकता

२४—**श्री मदनपालसिंह**—क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला हमीरपुर, तहसील महोबा विकास क्षेत्र कबरई के "मगरिया" नाले पर पुल का निर्माण करने का कोई विचार है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—सूचना एकत्र की जा रही है ।

आजमगढ़ जिले की रंगमऊ गांव सभा

२५—**श्री मंगलदेव**—क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के क्षेत्र मारटीनगंज के ग्राम सभा रंगडीह फरहामऊ के प्रधान को अब तक गांव सभा का चार्ज नहीं मिला है ? यदि हां, तो क्या कारण है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—आजमगढ़ जिले के मार्टीनगंज क्षेत्र में रंगडीह फरमामऊ नाम का कोई गांव सभा नहीं है । इस क्षेत्र में रंगमऊ नाम की एक गांव सभा है जिसके प्रधान को गांव सभा का पूर्ण चार्ज दिनांक २९ सितम्बर, १९६२ को मिल चुका है ।

२६—**श्री मंगलदेव**—क्या यह सही है कि उक्त ग्राम सभा के प्रधान ने जिला पंचायत अधिकारी, आजमगढ़ को दिनांक ३१ अगस्त, १९६१ को चार्ज पाने के लिये लिखित आवेदन किया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी नहीं ।

मनकापुर केन यूनियन के चुनाव

२७—श्री ईश्वरशरण (जिला गोंडा)—क्या यह सत्य है कि मनकापुर केन यूनियन के गत तीन चुनाव वैधानिक रूप से नहीं हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वैधानिक चुनाव होने में अभी कितना समय लगेगा ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—जी हां । मनकापुर केन यूनियन के संचालक मंडल की दिनांक १६-११-६२ की बैठक में, यूनियन की आगामी वार्षिक साधारण सभा में वैधानिक निर्वाचन करने का प्रस्ताव पारित हो गया है । यूनियन की आगामी वार्षिक साधारण सभा की तिथि अभी निश्चित नहीं हो पाई है ।

२८—श्री ईश्वरशरण—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मनकापुर यूनियन में गन्ने की गाड़ियों से कितनी कटौती दामों में होती है और वह रकम कहां-कहां खर्च होती है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—मनकापुर गन्ना समिति में कटौतियां, गन्ना कृषकों के गन्ने की कीमत में से इस प्रकार की गई है :—

०.२५ न० पै० प्रति गाड़ी, ए० पी० हायर सेकेन्डरी स्कूल हेतु ।

०.०३ न० पै० प्रति गाड़ी, सड़क सुधार हेतु ।

०.०३ न० पै० प्रति गाड़ी, आंख के अस्पताल हेतु ।

यह रकम उसी कार्य के लिये खर्च होती है जिसके लिये यह काटी जाती है ।

२९-३१—श्री गंगाधर मैठाणी—[१६ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

मनकापुर विकास क्षेत्र में तकावी व ऋण

३२—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह तथा श्री विजयसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि खंड विकास क्षेत्र मनकापुर जिला गोंडा के द्वारा पहली जनवरी, १९६२ से ३० जून, १९६२ तक कितने लोगों को कितना रुपया किस-किस विकास कार्य के लिये तकावी कर्ज के रूप में दिया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ ९८६ पर)

३३—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह तथा श्री विजयसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त धनराशि में से कितनी तकावी कर्ज की रकमें विकास क्षेत्र कमेटी से स्वीकृत होकर दी गयीं और कितनी रकमें विकास क्षेत्र अधिकारी ने स्वतः अपने अधिकार से बांटी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—सारी धनराशि विकास खंड समिति की स्वीकृति से बांटी गई ।

३४—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह तथा श्री विजय सिंह—जो रकम विकास क्षेत्र कमेटी के मंजूरी से बांटी गयीं वह किन तारीखों के किस नम्बर प्रस्ताव के अनुसार है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—विकास क्षेत्र कमेटी मनकापुर के प्रस्ताव संख्या १०, दिनांक २९ अप्रैल, १९६२ के अनुसार रकमें बांटी गई हैं ।

३५—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह तथा श्री वियजसिंह—जो रकम विकास क्षेत्र अधिकारी ने स्वतः अपने अधिकार से बांटी तो वह किस अथवा राज्य आज्ञा के आधार पर किया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---प्रश्न नहीं उठता है ।

३६-३७---**श्री रघुवीर**---[११ दिसम्बर, १९६२ के प्रश्न संख्या ५३-५४ के अन्तर्गत उत्तर दिये जा चुके है ।]

जामो विकास खण्ड के ए० डी० ओ० के खिलाफ शिकायत

३८---**कुंवर रुद्रप्रतापसिंह** (जिला सुल्तानपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सुल्तानपुर जिले के विकास खंड जामो के भूतपूर्व ए० डी० ओ० श्री रामजुड़ावन पांडेय । जिनका अभी हाल में स्थानान्तरण हुआ है क्या उनके विरुद्ध कुछ गबन के मुकदमे चल रहे हैं ? यदि हां, तो कितने, कहां-कहां के, कितनी धनराशि के गबन के मुकदमे चल रहे हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---जी नहीं । श्री रामजुड़ावन पांडेय के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं चल रहा है ।

३९---**कुंवर रुद्रप्रतापसिंह**---क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उनमें से कितने पर क्या निर्णय लिया जा चुका है ? क्या जांच के पश्चात् उस पर कड़ी से कड़ी सजा देने की कृपा करेगी कि भविष्य में जनता के धन का दुरुपयोग करने का किसी का साहस न पड़े ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---प्रश्न नहीं उठता है ।

४०---**कुंवर रुद्रप्रतापसिंह**---क्या सरकार श्री रामजुड़ावन पांडेय जी का प्रथम अगस्त, १९६२ से जाने की तिथि के tour प्रोग्राम की प्रतिलिपि प्रदान करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---उनके १-८-६२ से १५-९-६२ तक के दौरे का विवरण माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'त' आगे पृष्ठ ९८७-९८८ पर)

मैनपुरी जिले में उद्योग के लिये सहायता

४१---**श्री रामसिंह** (मैनपुरी)---क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला मैनपुरी में सन् १९५७ से सन् १९६२ तक कितना-कितना रुपया किस-किस उद्योग के लिये हर साल दिया गया ?

श्री फूलसिंह---जिला मैनपुरी में वित्तीय वर्ष १९५७-५८ से लेकर १९६१-६२ तक कुल ४० उद्योगों को ६,३०,३९८.२५ रुपया दिया गया जिसकी विस्तृत सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'थ' आगे पृष्ठ ९८९-९९१ पर)

बरेली जिले में विकास खंडों को कृषि सहायता

४२---**श्री हरीशकुमार गंगवार**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली जिले के अन्तर्गत कौन-कौन सी छाया विकास क्षेत्र हैं जहां पिछले २ वर्षों से कृषि व समाज कल्याण के लिये कोई अनुदान नहीं मिला ? अनुदान न मिलने का कारण क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—बरेली जिले में पिछले दो वर्षों से ४ छाया विकास क्षेत्र थे । इनमें कोई भी अनुदान समाज कल्याण के लिये नहीं दिया गया क्योंकि शासन की ओर से जो अनुदान समाज कल्याण के लिये मिलता है वह केवल शहरी क्षेत्रों के लिये ही होता है ग्रामीण क्षेत्रों के लिये नहीं । कृषि कार्यों के लिये ८,२९२ रुपये पिछले दो वर्षों में निम्न छाया विकास क्षेत्रों को दिया गया जिसका ब्योरा इस प्रकार है :—

नाम छाया विकास क्षेत्र	धन	व्यक्तियों की संख्या जिन्हें धन दिया गया	छाया क्षेत्र की अवधि
	रु० न० पै०		
१—रिछा	७२.५०	१	१—१०—६० ३१—३—६१
२—फतेहगंज	४,८००.००	२२	१०—१०—६० ३०—९—६१
३—मदपुरा	१,७०६.००	१	१—१—६१ ३१—३—६२
४—क्यारा	१,७१३.५०	१	१—१०—६१ ३०—९—६२

गाजीपुर जिले में पुलिस योजना

४३—**श्री राजनाथसिंह** (जिला गाजीपुर)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत गाजीपुर जनपद में किन-किन पुलिस स्टेशनों का पुनर्निर्माण तथा विस्तार हो रहा है ? किन-किन स्थानों पर नये पुलिस स्टेशनों की स्थापना प्रस्तावित है तथा उनकी स्थापना कब से होने जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—पुलिस विभाग की कोई स्कीम तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं है अतः वांछित सूचना देने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सुरेन्द्रकुमार सेठ, अलीगढ़

४४—**श्री बाबूसिंह** (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सुरेन्द्रकुमार सेठ अलीगढ़ को अब तक उद्योग के लिये कुल कितना रुपया यू० पी० सरकार से दिया गया है और कितनी किस्त समय पर नहीं आयी ?

श्री फूलसिंह—कुछ नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अल्मोड़ा पालिटेक्निक में नियुक्तियां

४५—**श्री रामसुन्दर शास्त्री**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अल्मोड़े में गवर्नमेंट पालिटेक्निक सुपरिन्टेडेंट की जो जगह रिक्त हुई थी और उसकी मार्च महीने में जो पूर्ति हुई वह किस विधि से तथा अब दो जगहें उस डिपार्टमेंट में वाइस प्रिंसिपल, बरेली व कैबिनेट इंस्ट्रक्टर, बरेली की रिक्त हुई हैं उनकी पूर्ति कैसे की जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अल्मोड़े में गवर्नमेंट पालिटेकनिक सुपरिन्टेन्डेन्ट की जगह ज्येष्ठता के आधार पर भरी गई है, वाइस प्रिंसिपल बरेली का स्थान अभी तक रिक्त है तथा लोक सेवा आयोग से इस पद को विज्ञापित करने की प्रार्थना की गई है । इसे अस्थाई रूप से भरने के लिये प्राविधिक निदेशालय कानपुर द्वारा यह पद विज्ञापित किया गया है और नियुक्ति का प्रश्न विचाराधीन है । कैबिनेट इंसट्रक्टर बरेली का पद भी ज्येष्ठता के आधार पर अस्थाई रूप से भर लिया गया है । लोक सेवा आयोग से इस पद की भी विज्ञापित करने की प्रार्थना की गई है ।

कचौंसी-लहरपुर सड़क

४६---**श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल** (जिला इटावा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले के अन्तर्गत कचौंसी स्टेशन से मधवापुर होकर लहरपुर तक सड़क बनाने की योजना डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी ने श्रमदान तथा ग्राम समाजों के फंड्स तथा डी० पी० सी० के अनुदान से बनाने की बनायी थी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---जी नहीं ।

४७---**श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल**---यदि हां, तो उस पर अब तक कितनी मिट्टी पड़ चुकी है और कब तक सड़क के पूर्ण हो जाने की आशा है ?

श्रीमतीसुचेता कृपालानी---प्रश्न नहीं उठता ।

जामों विकास खंड के भवन निर्माण का ठेका

४८---**कुंवर रुद्रप्रताप सिंह**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नजपद सुल्तानपुर के विकास खंड जामों के भवन निर्माण का कुल ठेका कितने में हुआ है ? कार्य के होते कितने दिन हो गये तथा किस निश्चित तिथि तक वह पूर्ण होगा ?

श्रीमती सुचेता कृपलानी---जामों ब्लाक के भवन निर्माण के लिये कुल १,०४,००० रुपया स्वीकृत हुआ जिसमें से ६३,००० रुपये का काम दो ठेकेदारों को क्रमशः ४३,५०० रुपये तथा १९,५०० रुपये ठेके पर दिया जा चुका है। पहले ठेकेदार ने २३ फरवरी, सन् १९६२ से कार्य प्रारम्भ किया जिसकी प्रगति ८० प्रतिशत है तथा दूसरे ठेकेदार ने २३ जून, १९६२ से काम प्रारम्भ किया जिसकी प्रगति ४० प्रतिशत है शेष ४१,००० रुपये का ठेका सीमेंट मिलने पर दिया जावेगा ।

सीमेंट न मिलने के कारण कार्य को पूरा करने में कुछ कठिनाई है, परन्तु इस बात का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है कि कार्य शीघ्रातिशीघ्र सम्पन्न हो जाय ।

४९---**कुंवर रुद्रप्रताप सिंह**---क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि जनपद सुल्तानपुर के विकास खंड जामों में नारी कल्याण केन्द्र खोलने की योजना कब तक चालू हो जायगी ? क्या वहां शीघ्र A. D. O. की नियुक्ति की बात सोची जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---यह विकास खंड १ अक्तूबर, १९६१ को पूर्व प्रसार सेवा क्षेत्र से प्रथम सोपान क्षेत्र में परिवर्त्तित हुआ है, विभागीय नियमानुसार नारी कल्याण केन्द्र की स्थापना प्रथम सोपान क्षेत्र होने के तृतीय वर्ष में की जाती है ।

जुडीशियल मैजिस्ट्रेट, झांसी के विचाराधीन चुंगी संबंधी मुकदमे

५०---**श्री लखपतराम शर्मा**---क्या यह सही है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सिटी, झांसी के यहां कोई मुकद्दमा धारा ४२४, २०१, १२०-बी आई० पी० सी०, थाना नवाबाद, झांसी की पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है जो न्यायालय में है ? यदि हां तो मुकद्दमा किन-किन अभियुक्तों के विरुद्ध व किस प्रकार का व कब से चल रहा है और किसकी रिपोर्ट पर यह मकद्दमा चलाया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---प्रश्न कर्त्ता महोदय की रिपोर्ट पर थाना नवाबाद की पुलिस ने एक अभियोग सं० ११८/६१ दर्ज किया और उसके आधार पर तीन मुकदमें जिनका विवरण निम्न प्रकार है धारा ४२४/२०१/१२०-बी भा० दं० वि० के अन्तर्गत चलाये । ये मुकदमे दिनांक ५-१०-१९६१ से जुडीशियल मजिस्ट्रेट सिटी, झांसी के न्यायालय में चल रहे हैं ।

१-मुकदमा सं० २७१/६१ में अभियुक्त १-किशनलाल, २-राम प्रकाश, ३-चिरंजीत, ४-मोतीलाल, ५-अड़कूराम है ।

२---मुकदमा सं० २७२/६१ में अभियुक्त १---रामचरन, २---अड़कूराम, ३---मोतीलाल है । उपरोक्त धाराओं के साथ-साथ अभियुक्तों के विरुद्ध धारा १५५ एम० बी० ऐक्ट का भी अभियोग हैं ।

३---मुकदमा सं० २७३/६१ में अभियुक्त १---तिलकराम, २---अड़कूराम ३---मोतीलाल ४---किशनलाल, ५---चिरजीतलाल है ।

इन तीनों मामलों में अभियुक्तों की विरुद्ध एक दूसरे के मदद से भिन्न-भिन्न प्रकार का सामान बिना चुंगी अदा किये म्युनिसिपल बोर्ड की हद में लाने के संबंध में विविध धाराओं के आरोप हैं ।

अम्बर चरखा

५१---**श्री रतीपाल**---क्या सरकार अम्बर चर्खा के प्रसार हेतु ऋण के रूप में सहायता देती है ? यदि हां, तो रायबरेली जिले में कुल कितना ऋण इस मद में अब तक दिया गया है ? रायबरेली जिले की किन-किन तहसीलों में किन-किन स्थानों पर उपरोक्त अम्बर चर्खा केन्द्र खोले गये हैं तथा उन के संचालन में सरकार का वेतन आदि के रूप में वार्षिक व्यय क्या है और कते सूत आदि से कितना धन प्राप्त हुआ ?

श्री फूलसिंह---अम्बर चरखा के प्रसार हेतु राज्य सरकार द्वारा ऋण के रूप में सहायता नहीं दी जाती है,अतः रायबरेली जिले में इस मद में ऋण दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता । चूंकि रायबरेली जिले में सरकार द्वारा अम्बर प्रशिक्षण की कोई भी योजना नहीं चल रही है अतः प्रश्न के अवशिष्ट भाग का उत्तर देने का प्रश्न नहीं उठता ।

गोसाईंगंज के लिये जनाना अस्पताल

५२---**श्री महादेव** (जिला फैजाबाद)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोसाईगंज (फैजाबाद) में जनाना अस्पताल कब बनने जा रहा है ? उसमें इतनी देरी क्यों की जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---गोसाईगंज में जनाना अस्पताल बनने के लिये स्वीकृति दी जा चुकी है । चूंकि अभी भूमि उपलब्ध नहीं है, अतएव निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है ।

मड़ियाहूं थाने में श्री इबादुल्ला को बन्द करने का मामला

५३---**श्री जगन्नाथ राव** (जिला जौनपुर)---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २७-२८ सितम्बर, सन् १९६२ को रात्रि को चोरारी ग्राम, सभापति थाना मड़ियाहूं जिला जौनपुर के श्री इबादुल्ला मियां को थानेदार मड़ियाहूं ने हवालात में बन्द कर दिया, इसका कारण क्या था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---दिनांक २७ सितम्बर, १९६२ को थानेदार मड़ियाहूं ने उक्त श्री इबादुल्ला मियां को डी० एस० ओ० कानपुर की रिपोर्ट पर दफा ३/७ इसेंशियल कमोडिटीज ऐक्ट (Essential Commodities Act) के अन्तर्गत थाने की हवालात में बन्द किया था क्योंकि वह बिला लाइसेन्स गल्ला बेचते हुये पाये गये थे।

५४---**श्री जगन्नाथ राव**---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यदि २८ सितम्बर को मड़ियाहूं टाउन एरिया नागरिकों ने उपरोक्त अन्याय के विरोध में हड़ताल रक्खी, हजारों की संख्या में एकत्र होकर सभा को तथा परगनाधीश मड़ियाहूं के सामने कुछ मांगें रक्खीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---हड़ताल कराने की कोशिश की गयी थी, परन्तु कोशिश असफल रही। विरोधियों ने जो सभा की थी उसमें लगभग १०० आदमी एकत्र हुए थे और उन्होंने कुछ मांगे परगनाधीश मड़ियाहूं के सामने रक्खी थीं।

५५---**श्री जगन्नाथ राव**---क्या गृह मंत्री इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि इस सम्बन्ध में एस० डी० एम० मछलीशहर के इजलास में मुकदमा विचाराधीन है।

शोहरतगढ़ के लिये जनाना अस्पताल

५६---**श्री माधो प्रसाद त्रिपाठी** (जिला बस्ती)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कस्बा सोहरतगढ़, जिला बस्ती में कोई जनाना अस्पताल बनाने की योजना सरकार की ओर से है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी हां।

५७---**श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी**---यदि उपरोक्त अस्पताल बनाने की योजना है, तो क्या कोई भूमि उसके लिये प्राप्त की गयी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---राजा साहब शोहरतगढ द्वारा दान की गयी भूमि जनाना अस्पताल के लिये स्वीकार की गयी थी, लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार वह भूमि भराऊ है तथा निर्माण कार्य के लिए उपर्युक्त नहीं है। अतः अन्य उचित भूमि की खोज की जा रही है।

५८---**श्री मतोलासिंह**---[हटा दिया गया।]

पचपेड़वा ग्राम सभा प्रधान की मुअत्तली

५९---**श्री चन्द्रबलीसिंह**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिला की पचपेड़वा ग्राम सभा का वर्तमान ग्रामचुनाव जब से हुआ है तब से कितने प्रधान किन आरोपों पर मुअत्तल किये गये ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---जिला गोंडा की पचपेड़वा ग्राम सभा के ग्राम चुनाव के उपरान्त केवल एक प्रधान श्री मुहम्मद अब्दुल्लाह ग्राम सभा एवं ग्राम समाज के अभिलेखों में गड़बड़ी करने एवं अपहरण की आशंका में मुअत्तल किये गये हैं।

६०---**श्री चन्द्रबलीसिंह**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त प्रधानों में से किसी प्रधान ने अपने विरुद्ध चलाये जाने वाले चुनाव याचिका में जिस परगनाधीश को प्रतिपक्षी बनाया था उसी ने चुनाव याचिका खारिज कर और पुनः उसके जीत जाने पर उस प्रधान को मुअत्तल कर दिया ? क्या उपरोक्त में से किसी प्रधान ने उस क्षेत्र के तहसीलदार पर इस्तगासा दाखिल किया है और वह प्रधान इस्तगासा के बाद उसी अधिकारी की सिफारिश पर मुअत्तल कर दिया गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---पचपेड़वा ग्राम सभा के प्रधान श्री मुहम्मद अब्दुल्ला के विरुद्ध दायर चुनाव याचिका दिनांक १४ नवम्बर, १९६१ को आदम पैरवी में खारिज हो गई। ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई कि परगनाधीश बलरामपुर को किसी प्रधान ने चुनाव याचिका में प्रतिपक्षी बनाया है। अब तक किसी प्रधान ने तहसीलदार के विरुद्ध कोई इस्तगासा दाखिल नहीं किया है। अतः इस्तगासा के उपरान्त मुअत्तली की सिफारिश का प्रश्न नहीं उठता।

६१---**श्री चन्द्रबलीसिंह**---क्या सरकार बतायेगी कि उस ग्राम का आज कौन प्रधान है और इन प्रधानों के मुअत्तल किये जाने वाली शिकायतों पर वह कौन सी कार्यवाही कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---आजकल उक्त ग्राम सभा पचपेड़वा के प्रधान पद पर वहां के उप प्रधान श्री बिसमिलाह कार्य कर रहे हैं।

श्री मुहम्मद अब्दुल्लाह प्रधान के निलम्बन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही परगनाधीश बलरामपुर के विचाराधीन है।

मिर्जापुर बिजली कम्पनी के हिसाब किताब की जांच

६२---**श्री ऊदल**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विद्युत निरीक्षक, उत्तर प्रदेश के कार्यालय से सितम्बर, सन् १९६२ में मिर्जापुर बिजली कम्पनी के हिसाब-किताब की जांच करने के लिय् कुछ जांचकर्त्ता गये थे। यदि हां,तो जांच में क्या क्या गड़बड़ी पायी गयी और क्या जांच की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गयी है और उसकी एक प्रति सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मिर्जापुर बिजली कम्पनी के हिसाब किताब के सम्बन्ध में जांच करने के लिये विद्युत निरीक्षक के कार्यालय की आडिट पार्टी जूलाई १९६२ में मिर्जापुर गयी थी जांच की रिपोर्ट जो सरकार को प्राप्त हुई है उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'य' आगे पृष्ठ ९९२-९९४ पर)

६३-६५---**श्री सूरजलाल गुप्त, वकील** (जिला गोंडा)---[२० वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

रुदौली अस्पताल

६६---**श्री मुकटबिहारीलाल**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले के रुदौली अस्पताल में १ अप्रैल ,१९६१ से ३० मार्च, १९६२ तक आने वाले कुल मरीजों की संख्या कितनी रही तथा उक्त वर्ष के लिये सरकार द्वारा कितने रुपये की दवा दी गयी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---रुदौली, बाराबंकी में एक पुरुष चिकित्सालय तथा एक महिला चिकित्सालय है। दोनों चिकित्सालयों में १ अप्रैल, १९६१ से ३० मार्च, १९६२ तक आने वाले कुल रोगियों की संख्या वित्तीय वर्ष १९६१-६२ (अर्थात १ अप्रैल, १९६१ से ३१

मार्च, १९६२ तक) आने वाले कुल रोगियों की संख्या तथा वित्तीय वर्ष १९६१–६२ में सरकार द्वारा दवा के लिये दी गई धनराशि इस प्रकार है :—

	पुरुष चिकित्सालय	महिला चिकित्सालय
१ अप्रेल, १९६१ से ३१ मार्च, १९६२ तक के रोगी ..	६२,९१६	८,९३२
१ अप्रैल, १९६१ से ३१ मार्च, १९६२ तक के रोगी ..	६३,१६७	९,०८३
वित्तीय वर्ष १९६१–६२ में दवा की धनराशि ..	१,२८३ रुपये ३३ नये पैसे	१,८६८ रुपये ९९ नये पैसे

६७—श्री मुकुटबिहारीलाल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त अस्पताल में उपरिलिखित वर्ष में व्यवस्था तथा वेतन आदि पर अलग अलग कुल कितना धन व्यय किया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उक्त अस्पताल में वितीय वर्ष १९६१–६२ में व्यवस्था तथा वेतन आदि पर अलग अलग कुल जितना रुपया व्यय हुआ उसके आंकड़े निम्नांकित हैं :—

	पुरुष चिकित्सालय	महिला चिकित्सालय
वेतन आदि पर ..	६,१७३ रुपये ३२ नये पैसे	३,६०३ रुपये ५० नये पैसे
व्यवस्था पर ..	२,१४७ रुपये ५५ नये पैसे	२,९०१ रुपये ४ नये पैसे

हमीरपुर जिले में नया थाना

६८—श्री मदनपालसिंह—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला हमीरपुर में ग्राम खरेला, तहसील मौहदा में थाना स्थापित किया जा रहा है ?

६९—यदि हां तो क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि क्या ग्राम जखेड़ी, थाना राठ, जिला हमीरपुर को नये स्थापित थाना खरेला में लिया जा रहा है ? यदि हां तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं, प्रदेश में थानों व चौकियों की संख्या बढ़ाये जाने तथा उनके क्षेत्रफल को पुनःसंगठित किये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश पुलिस आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर सरकार ने पुलिस महा निरीक्षक से अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये कहा है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर यदि आवश्यकता अनुभव हुई तो हमीरपुर जिले के ग्राम खरैला में थाना स्थापित किये जाने तथा उसका क्षेत्रफल निर्धारित किये जाने के विषय में विचार किया जायगा।

७०—श्री मदनपाल सिंह—क्या सरकार को ग्राम जखेड़ा, थाना राठ, जिला हमीरपुर की जनता की ओर से प्रार्थना-पत्र मिले है जिनमें जखेड़ी ग्राम को थाना राठ में ही रखने की प्रार्थना की गयी है ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं ।

७१—श्री शिवेन्द्रप्रताप—[२० वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

टूरिस्ट विश्राम गृह

७२—श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५० से १९६२ तक टूरिस्टों (पर्यटकों) के सुभीते के लिए किन किन स्थानों में गढ़वाल चमोली गढ़वाल, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा और पिठौरागढ़ जिलों में टूरिस्ट विश्रामगृह निर्माण किये गये हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'द' आगे पृष्ट ९९५ पर)

७३—श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—सरकार का पर्यटकों के लिए उक्त जिलों में और कहां-कहां विश्राम गृह बनाने का विचार है ?

श्री मुजफ्फर हसन—वर्तमान संकट कालीन समय में ऐसा कोई विचार नहीं है ।

७४—श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—जहां कहीं उक्त जिलों में पर्यटक विश्राम गृह नहीं है क्या सरकार उन स्थानों में स्थानीय लोगों को जो बनाना चाहें उनको टूरिस्ट होटल निर्माण करने के लिए ऋण देने को तैयार होगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी नहीं ।

लैन्सडाउन दुगड्डा ट्रक दुर्घटना

७५—श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—क्या यह बात सही है कि गत सितम्बर के प्रथम सप्ताह में या उसके लगभग ४-५ स्त्रियां अथवा पुरुष जो सड़क के किनारे लैन्सडाउन दुगड्डा मोटर रोड पर दिवार पर बैठे थे उन पर एक ट्रक टकरायी और उनमें से कुछ मर गये और कुछ के चोट आयी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त— जी हां ।

७६—श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—क्या सरकार द्वारा मृतक और जख्मी व्यक्तियों को या उनके वारिसों को ट्रक मालिक से उपयुक्त मुआवजा मृत्यु तथा चोट व इलाज के लिये दिलाया गया ? यदि हां तो कितना प्रत्येक व्यक्ति के लिये दिया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मृतक स्त्रियों के वारिसान तथा घायल व्यक्तियों को अभी तक कोई मुआविजा नहीं दिया गया ।

राही विकास क्षेत्र

७७—श्री रतीपाल—क्या सरकार को ज्ञात है कि रायबरेली जिले के राही विकास क्षेत्र कार्यालय की भूमि से १९६०-६१ और १९६१-६२ में खेती द्वारा अनाज पैदा किया गया है ? यदि हां तो उक्त वित्तीय वर्षों में कितने मन अनाज पैदा हुआ तथा कितने रुपयों की आय उस अनाज से सरकार को हुई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--विकास क्षेत्र राही, जिला रायबरेली के कार्यालय की भूमि में १९६०-६१ व १९६१-६२ में खेती द्वारा कोई अनाज नहीं पैदा किया गया और उससे कोई आय नहीं हुई ।

७८--**श्री रामसिंह**---[१६ वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

७९-८०--**श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल**--[२० वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

ग्रामीण जनशक्ति उपयोग योजना

८१--**श्री विजयसिंह**---क्या सरकार बतायेगी कि Utilization of man power की योजना के अन्तर्गत किन-किन जिलों में काम करवाने पर वह विचार कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--ग्रामीण जनशक्ति उपयोग योजना के अन्तर्गत प्रथम तथा द्वितीय चरणों में निम्नलिखित जिलों में योजनाएं ली गई हैं :--

प्रथम चरण :--जिला मथुरा तथा गोरखपुर ।

द्वितीय चरण :--जिला वाराणसी, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, देवरिया, बस्ती, गोंडा, फैजाबाद, बहराइच, इटावा तथा बारांबंकी ।

इनके अतिरिक्त तृतीयचरण में निम्नलिखित जिलों के लिये योजनाओं के सम्बन्ध में भारत सरकार के योजना आयोग से अनुरोध किया गया है जो कि अभी भारत सरकार के विचाराधीन है । फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, खीरी, उन्नाव, सीतापुर, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, आगरा, अलीगढ़, आजमगढ़, रामपुर, मुरादाबाद, झांसी, जालौन वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, मिर्जापुर, इटावा, बुलन्दशहर तथा मुजफ्फरनगर ।

८२--**श्री विजयसिंह**---क्या सरकार यह बतायेगी कि योजना के लागू करने के आर्थिक व सामाजिक आधार क्या होंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--ग्रामीण जनशक्ति योजना के मुख्य आधार हैं ग्रामीणों का आर्थिक व सामाजिक उत्थान । यह योजना उन जिलों में लागू की जाती है जहां पर आबादी घनी है और मुख्यतः कृषि पर निर्भर है और जहां बेकारी अधिक है । साथ ही साथ जिन निर्धनों को काम नहीं मिलता है या काम कम मिलता है उन्हें बेकार दिनों में काम देकर उनका आर्थिक स्तर ऊंचा किया जा सके ।

८३--**श्री विजयसिंह**---क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उपरोक्त योजना के अन्तर्गत कितना धन केन्द्रीय सरकार से प्राप्त हो रहा है और जिलेवार खर्च किये जाने की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--प्रथम चरण की योजनाओं का पूरा धन केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रारम्भिक काल में वहन होगा । द्वितीय तथा तृतीय चरणों की योजनाओं पर केन्द्रीय सरकार ५० प्रतिशत ऋण के रूप में तथा ५० प्रतिशत ग्राण्ट के रूप में देगी ।

प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय चरणों में खर्च किये जाने वाली धनराशि का जिलेवार अनुमानित विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ९९६-९९७ पर ।)

फर्रुखाबाद जिले में पंचायती चुनाव कर्मचारियों का एलाउन्स

८४--**श्री कोतवालसिंह भदौरिया**---क्या सरकार को इस बात की पूर्ण जानकारी है कि पिछले पंचायत चुनाव में फर्रुखाबाद जिले में जिन प्रसार अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों ने काम किया है उन्हें अब तक एलाउन्स नहीं दिया गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---पंचायतों के पिछले तृतीय सामान्य निर्वाचन में जिन अध्यापकों तथा कर्मचारियों ने कार्य किया था उनमें से अधिकांश को यात्रिक एवं दैनिक भत्ता दिया जा चुका है।

८५---**श्री कोतवालसिंह भदौरिया**---अगर हां, तो अब तक अलाउन्स न देने का क्या कारण है? क्या सरकार शीघ्र ही ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे उन्हें एलाउन्स मिल सके?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---कुछ कर्मचारियों को यात्रा भत्ता अभी तक नहीं मिला, उसका मुख्य कारण यही है कि उनके यथाविधि बने बिल समय पर प्राप्त नहीं हो सके तथा एक वर्ष व्यतीत हो जाने के कारण उनकी एकाउन्टेन्ट जनरल द्वारा पूर्व समीक्षा आवश्यक हो गयी। उसे भी शीघ्र पूरा करके यथोचित भुगतान करने की कार्यवाही की जा रही है।

८६-८७---**श्री सुखलाल**---[२०वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

सहसवान ब्लाक में हरिजन कूप

८८---**श्री उल्फतसिंह** (जिला बदायूं)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ब्लाक दहगवां एवं ब्लाक सहसवान, जिला बदायूं में हरिजनों के लिये मकान और कुवां सन् १९६१-६२ में कितने बनवाये गये और कहां-कहां बनवाये गये?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---ब्लाक दहगवां में सन् १९६१-६२ में कोई मकान व कुवां हरिजनों के लिये नहीं बनवाया गया।

ब्लाक सहसवान में कोई मकान हरिजनों के लिये नहीं बनवाया गया। केवल चार कुएं ग्राम कोलिहाई, दम्बीनगर, मसूदपुर व खंडुआ में बनाये गये।

८९---**श्री उल्फतसिंह**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम दहगवां, ब्लाक दहगवां, जिला बदायूं में सन् १९५९-६० में जो खरंजा के वास्ते चन्दा वसूल किया गया था वह खरंजा बन कर तैयार हो गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---ग्राम दहगवां, ब्लाक दहगवां, जिला बदायूं में सन् १९५९-६० में खरंजे के लिय कोई चन्दा वसूल किया गया---इसकी सूचना शासन को नहीं है।

९०---**श्री उल्फतसिंह**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम दहगवां, ब्लाक दहगवां, जिला बदायूं में सन् १९५९-६० और १९६०-६१ में किस-किस जगह के लिये खरंजा मंजूर किया गया था?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---ग्राम दहगवां, ब्लाक दहगवां, जिला बदायूं में सन् १९५९-६० में एक खरंजा श्री उल्फतसिंह के मकान से श्री सहजादतेली के मकान तक मंजूर हुआ था। सन् १९६०-६१ में एक खरंजा श्री श्यामलाल के मकान से होली तक मंजूर हुआ था।

मुरादाबाद जिले में आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस

९१---**श्री रियासत हुसैन**---क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद में १ मार्च, १९६२ के बाद कितने लाइसेंसेज बारह बोर राइफल और रिवाल्वर के मंजूर किये गये?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जिला मुरादाबाद में १ मार्च, १९६२ से ३० नवम्बर, १९६२ तक २६८ लाइसेंस १२ बोर के, १० राइफल के तथा ११ रिवाल्वर के स्वीकृत किये गये।

९२---**श्री रियासत हुसैन**---क्या गृह मन्त्री यह बतायेंगे कि थाना मूंडापांडे, जिला मुरादाबाद के अन्तर्गत किन-किन गांवों में कितने व्यक्तियों को बन्दूक, राइफल या रिवाल्वर के लाइसेंस दिये गये?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मार्च, १६६२ से ३० नवम्बर, १६६२ तक थाना मूंडा पांडेय के क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को बन्दूक, राइफल या रिवाल्वर के लिये दिये गये लाइसेंसों का पूर्ण विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'न' आगे पृष्ठ ६६८ पर)

६३--श्री रियासत हुसैन--क्या मन्त्री बतायेंगे कि जनवरी, सन् १६६२ के बाद कुल कितनी दरख्वास्तें, जिला मुरादाबाद में हथियारों के लाइसेंसों के लिये आयीं और उनमें कितनी वी० डी० एस० स्कीम की थीं और कितनी नामंजूर की गयीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जनवरी, १६६२ से ३० नवम्बर, १६६२ तक कुल १,०१२ प्रार्थना-पत्र हथियारों के लिये प्राप्त हुए, जिनमें से ३५ प्रार्थना-पत्र वी० डी० एस० स्कीम के सम्बन्ध में थे, इन ३५ प्रार्थना-पत्रों में से २५ स्वीकृत किये गये और शेष विचाराधीन हैं।

फतेहपुर जिले में कांस्टेबिलों की भर्ती

६४--श्री रघुवीर सहाय कैथवार--क्या पुलिस मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर के पुलिस अधिकारियों द्वारा गत सितम्बर अथवा इसी अक्तूबर, १६६२ में रंगरूटों (कांस्टेबिलों) की नियुक्ति की गयी है ? यदि हां, तो किस योग्यता के कितने रंगरूट (कांस्टेबिल) भर्ती किये गये हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां। दो हाई स्कूल पास व्यक्ति भर्ती किये गये हैं।

६५--श्री रघुवीर सहाय कैथवार--क्या पुलिस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त महीनों में फतेहपुर जिले में भर्ती किये गये रंगरूटों (कांस्टेबिलों) में कितने हरिजन नियुक्त किये गये हैं और उनका अनुपात क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सितम्बर व अक्तूबर, १६६२ में फतेहपुर जिले में नियुक्त किये गये रंगरूटों में कोई हरिजन नहीं था।

६६--श्री रघुवीर सहाय कैथवार--क्या यह सही है कि हाई स्कूल व इण्टर पास एवं पूर्ण योग्य चार हरिजनों को रंगरूटों (कांस्टबिलों) के पद पर नियुक्त करने के बाद में जिला फतेहपुर के पुलिस अधिकारियों विशेषतया कप्तान ने उन्हें हटा दिया है ? यदि हां, तो ऐसा करने का क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--उपर्युक्त महीनों में कोई हरिजन रंगरूट हटाया नहीं गया। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

कम्प्लेंट आफिसर

६७--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश में किन-किन जिलों में Complaint Officer नियुक्त हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस समय प्रदेश के किसी भी जिले में कम्प्लेण्ट अफसर नियुक्त नहीं हैं।

६८-१००--श्री रामकिशोर त्रिपाठी--[२०वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

मुरादाबाद जिले में विभिन्न अपराधों के मुकदमे

१०१--श्री रियासत हुसैन--क्या गृह मन्त्री बतायेंगे कि जिला मुरादाबाद में जनवरी, १६६० के बाद कितने मुकदमे कत्ल, डकैती और राहजनी के पुलिस ने चालान किये और उनमें से कितने सजायाब और कितने छूटे और कितने अदालत में चल रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'प' आगे पृष्ठ ६९९ पर)

१०२—**श्री शिवेन्द्रप्रताप**—[२०वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

आफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल, इलाहाबाद का स्थानान्तरण

१०३—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या सरकार इलाहाबाद में आफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल को लखनऊ में लाना चाहती है? यदि हां, तो इलाहाबाद से स्कूल को क्यों हटाया जा रहा है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। स्कूल को इलाहाबाद से हटाकर बख्शी के तालाब के निकट स्थित नार्मल स्कूल में भेजने के दो कारण हैं। प्रथम तो यह है कि सरकार उक्त ट्रेनिंग स्कूल को ऐसी जगह रखना चाहती थी जहां अफसरों को ग्रामीण क्षेत्रों के तथा विकास खंडों के सम्बन्ध में क्रियात्मक अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हो सके। नये स्थान में ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। दूसरे, लोक सेवा आयोग को अपने कार्यालय के लिये एक बड़े भवन की आवश्यकता थी।

१०४—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या सरकार के पास आफिसर्स स्कूल को हटाने के विरोध में वहां के नागरिकों का विरोध-पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इलाहाबाद नगरमहापालिका की ओर से एक विरोध-पत्र प्राप्त हुआ था। चूंकि स्कूल को लखनऊ ले जाने का निर्णय बहुत पहले हो चुका था, अतः उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। सरकार ने अब स्कूल को आपत्तिकालीन स्थिति तक बन्द कर दिया है।

बन्दूक लाइसेंस

१०५—**श्री कोतवालसिंह भदौरिया**—क्या मुख्य मन्त्री, दिनांक १८ अक्तूबर, १९६२ के नत्थी (ग), प्रश्न संख्या ६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नया आर्म्स ऐक्ट तथा आर्म्स रूल्स, १ अक्तूबर, १९६२ से लागू होने के बाद बन्दूकों के लाइसेंस प्राप्त करने में क्या-क्या सुविधाएं तथा सुगमता हो गयी हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—पुराने आर्म्स ऐक्ट व रूल्स के अन्तर्गत बन्दूकों के लाइसेंसों के लिये चरित्र सम्बन्धी योग्यता के अतिरिक्त प्रार्थी की वित्तीय स्थिति का पर्याप्त होना एक आवश्यक शर्त थी, परन्तु नये आर्म्स ऐक्ट व रूल्स के अनुसार अब वित्तीय शर्त नहीं रह गई है। इस प्रकार अब जन-साधारण को लाइसेंस प्राप्त करने में सुगमता हो गई है।

देवरिया जिले के किसानों का स्मृति-पत्र

१०६—**श्री चन्द्रबलीसिंह**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक १८ अक्तूबर, १९६२ को सोशलिस्ट पार्टी के नेतृत्व में प्रदर्शन कर के किसानों ने देवरिया के जिलाधीश को एक स्मृति-पत्र दिया है? यदि हां, तो क्या उसे सदन की मेज पर रखने की कृपा की जायगी तथा क्या सरकार बतायेगी कि उस पत्रक के सुझावों के अनुसार वह कौन-सा कदम उठाने जा रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी हां। स्मृति-पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रक्खी है। जहां तक मांग नं० ३ का सम्बन्ध है बाढ़ की रोक थाम की योजनाएं विचाराधीन हैं एवं जिलाधीश को बाढ़-पीड़ित व्यक्तियों की सहायतार्थ अनुदान स्वीकृत किया जा चुका है। अन्य मांगों पर सरकार द्वारा किसी विशेष जिले के लिये अलग से कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'फ' आगे पृष्ठ १००० पर।)

रायबरेली जिले में थाना कोतवाली के अन्तर्गत कत्ल

१०७--**श्री रतीपाल**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली जिले में थाना कोतवाली के अन्तर्गत कोई कत्ल २-३ अक्तूबर, १९६२ को हुआ है जिसे पुलिस ने आत्म-हत्या के रूप में दिखलाया है और सिविल सर्जन ने अपनी रिपोर्ट में मृत्यु का कारण आन्तरिक एवं वाह्य चोटें दिखायी हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---थाना कोतवाली, जिला रायबरेली के अन्तर्गत दिनांक २/३-१०-१९६२ की रात में एक कत्ल की घटना हुई थी और पुलिस ने उसे भा० द० वि० की धारा ३०२ के अन्तर्गत दर्ज किया है। विवेचना जारी है। सिविल सर्जन की रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु गला घोटने तथा दम घुटने के कारण हुई।

१०८---**श्री रतीपाल**---क्या पुलिस ने कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

गन्ना सहकारी समिति, इकबालपुर में गोलमाल

१०९---**श्री ऊदल**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि (रुड़की) गन्ना सहकारी समिति इकबालपुर के निरीक्षकों द्वारा अभी हाल में कोई जांच की गयी है और उसमें लाखों रुपये का गोलमाल मिला है? यदि हां, तो किन-किन मदों में कितने रुपयों का गबन है?

श्री दाऊदयाल खन्ना---जांच हो रही है। अभी तक गबन का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।

११०---**श्री ऊदल**---क्या सरकार बतायेगी कि इस सम्बन्ध में कुछ कर्मचारियों को मुअत्तल कर दिया गया है, वे कौन-कौन हैं और उनके खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गयी?

श्री दाऊदयाल खन्ना---समिति के हिसाब सम्बन्धी कागजात गायब करने के सम्बन्ध में समिति के एकाउन्टेन्ट को मुअत्तल किया गया है और पुलिस को रिपोर्ट कर दी गई है।

यूपिका कर्मचारी

१११---**श्री हिम्मत सिंह**---क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, १९६२ से अब तक, उत्तर प्रदेश में यूपिका (UPICA) के कितने डिपो बन्द करने पड़े और उससे कितने कर्मचारी बेकार हुए?

श्री फूलसिंह---

(क) ८,
(ख) १५।

११२—श्री हिम्मतसिंह—क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यूपिका (UPICA) में जनवरी, १९६२ से अब तक कुछ नयी नियुक्तियां हुई हैं? यदि हां, तो उन में जो यूपिका के डिपो बन्द करने के कारण कर्मचारी बेकार हुए थे उनमें से कितने लोग वापस लिये गये?

श्री फूलसिंह—

(क) जी हां।

(ख) ३।

११३—श्री हिम्मतसिंह—क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यूपिका के कर्मचारियों के लिये क्या कोई Service Rules बनाये गये? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री फूलसिंह—(क) जी हां। पर ये नियम अभी लागू नहीं किये गये हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ में हाउस सर्जनों को वेतन न मिलना

११४—श्री ऋषिनारायण शास्त्री (जिला वाराणसी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ में पांच एम० बी० बी० एस० हाउस सर्जनों को जुलाई, १९६२ से अब तक वेतन नहीं मिला है? यदि हां, तो क्यों?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। चूंकि कथित पदों की अवधि वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिये बढ़ी नहीं है।

११५—श्री ऋषिनारायण शास्त्री—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त पांच पद कितने समय से सरकार की विधिवत् स्वीकृति के बिना चल रहे हैं और उनको स्वीकृति देने में इतना अधिक विलम्ब क्यों लग रहा है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कथित पद १ अप्रैल, १९६१ से बिना स्वीकृति ही चल रहे हैं। इन पदों की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन है। आशा है निर्णय शीघ्र ही हो जायगा।

११६—श्री रतीपाल—[२०वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

११७-११८—श्री राममूर्ति 'अंचल'—[२०वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

११९-१२१—श्री रामलखनसिंह—[हटा दिये गये।]

इलाहाबाद विश्वविद्यालय विद्यार्थियों का डी० आई० जी० पुलिस के विरुद्ध प्रदर्शन

१२२—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या गृह मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने २३ अक्तूबर, १९६२ को विश्वविद्यालय के छात्रों के जुलूस को निकाल कर पुरुषोत्तम दास पार्क में D. I. G. Police के बनाये हुए जनाजे को फूंका था? यदि हां, तो यह विरोध क्यों था?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। विद्यार्थियों का प्रदर्शन इस कथित आरोप पर आधारित था कि विगत २० अक्तूबर को गोरखपुर में गोली चलाने का आदेश उक्त डी० आई० जी० ने दिया था।

१२३-१२४—श्री कल्याणचन्द मोहिले—[२०वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

प्रधान, ग्राम सभा- दडिया के विरुद्ध अविश्वास

१२५--श्री खुशीराम--विधान सभा की बैठक, दिनांक १३ सितम्बर, १९६२ ई०, के प्रश्न संख्या ५२ के उत्तर के क्रम में क्या विकास मंत्री विकास खंड रामगढ़ में दिनांक १४ मई, १९६२ ई० को प्राप्त हुये सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--उक्त प्रार्थना-पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ब' आगे पृष्ठ १००१ पर)

घोसी विकास क्षेत्र के स्टोर-कीपर के विरुद्ध शिकायत

१२६--श्री रामसुन्दर पांडेय तथा श्री मदनपालसिंह-- क्या विकास मंत्री दिनांक १८ अक्तूबर, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५१ और १५२ के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि जमानत का कुल कितना रुपया जमा है और कितने रुपये के लिए मुलजिम बनाया गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--श्री जगदीश नरायन लाल की जमानत का रुपया ५११.५० नये पैसे जमा है तथा वे रुपया २,६९८.०७ नये पैसे के वसूल न होने के लिए मुल्जिम बनाये गये हैं।

१२७--श्री रामसुन्दर पांडेय तथा श्री मदनपालसिंह--[२० वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

१२८--श्री रामकिशोर त्रिपाठी--[२० वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

भ्रष्टाचार निरोध समिति, बाराबंकी

१२९--श्री रामकिशोर त्रिपाठी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला भ्रष्टाचार निरोध समिति, बाराबंकी ने विगत ५ वर्षों में क्या-क्या कार्य किये हैं और कितना धन किस-किस कार्य पर मासिक व्यय किया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--समिति द्वारा भ्रष्टाचार रोकने के सम्बन्ध में विचार विमर्श एवं प्रचार कार्य किया गया तथा प्राप्त शिकायतों पर आवश्यक कार्यवाही की गई। व्यय का ब्योरा संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'भ' आगे पृष्ठ १००२ पर)

१३०--श्री रामकिशोर त्रिपाठी--क्या यह सही है कि समिति का कार्यालय व्यक्तिगत मकान में है जसका ४० रुपया किराया दिया जाता है और उसी में भारत सेवक समाज का भी कार्यालय है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां।

१३१--श्री रामकिशोर त्रिपाठी--क्या यह सही है कि इसी मकान में दो प्रतिष्ठित व्यक्ति रहते हैं तथा दो कार्यालय हैं जब कि इसमें केवल ४ ही कमरे हैं ? यदि हां, तो वह कौन-कौन व्यक्ति हैं जो इसमें रह कर किराया समिति से चार्ज करते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--उक्त भवन में भ्रष्टाचार विरोधी समिति तथा भारत सेवक समाज के कार्यालय स्थित हैं। संयोजक, भारत सेवक समाज, उसी भवन में रहते हैं तथा भ्रष्टाचार विरोधी समिति के उपयोग में आने वाले कमरों का किराया लेते हैं। यह सही नहीं है कि भवन में केवल ४ ही कमरे हैं।

जामों विकास खण्ड को ग्रामीण शक्ति योजनान्तर्गत न लेना

१३२—कुंवर रुद्रप्रतापसिंह— क्या यह सच है कि ग्रामीण जन-शक्ति योजना (मैनपावर युटिलाइजेशन स्कीम) के अन्तर्गत विकास खंड जामोजनपद सुल्तानपुर की योजना पर इस कारण से विचार नहीं किया जायगा कि अनुमानित लागत योजना के अनुसार अधिक है तो सरकार बतलायेगी कि क्या क्षेत्र विकास अधिकारी जामो को इसकी सूचना नहीं थी जिसके कारण ऐसा हुआ ? यदि नहीं, तो कौन उत्तरदायी है ? क्या इसकी सूचना विकास खंड को दी गयी है ? यदि हां, तो किस तिथि में ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जामो मुसाफिरखाना जनपद की योजना पर इस कारण से विचार नहीं किया गया कि ग्रामीण जन-शक्ति योजना के अन्तर्गत कृषि उत्पादक योजनाओं को प्रथम प्राथमिकता दी जाती है तथा जनमार्गों को आखिरी प्राथमिकता दी जाती है। इसके अतिरिक्त यह जन-मार्ग सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत भी नहीं है। ऐसी स्थिति में किसी के उत्तरदायी होने का प्रश्न भी नहीं उठता, और विकास खंड को सूचित करने की आवश्यकता भी प्रतीत नहीं होती।

१३३—कुंवर रुद्रप्रतापसिंह—क्या सरकार पुनः योजना के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र लेकर अगले वित्तीय वर्ष में विचार करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—यदि इस जन-मार्ग को ग्रामीण जन-शक्ति योजना में सम्मिलित करने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग ने स्वीकार कर लिया तो अगले चरण में इसे लेने पर विचार किया जायेगा।

रायबरेली जिले के पंचायत घरों में रेडियो

१३४—श्री रतीपाल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रायबरेली जिले में कितनी ग्राम सभाओं के पास रेडियो हैं ? इनमें से कितने रेडियो पंचायत घर में रखे जाते हैं तथा कितने रेडियो सही अवस्था में कार्य कर रहे हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—रायबरेली जिले की ३६१ गांव सभाओं के पास रेडियो सेट हैं। इनमें से १७ रेडियो पंचायत घरों में रक्खे जाते हैं और इस समय २३३ रेडियो सेट सही अवस्था में कार्य कर रहे हैं।

मोहम्मदपुर बहादुरपुर खत्री ग्राम पंचायत का चार्ज

१३५—श्री हरीशकुमार गंगवार—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि तहसील लखनऊ के मोहम्मदपुर बहादुरपुर खत्री ग्राम पंचायत के सभापतित्व का कार्यभार श्री बैजूलाल जो दिनांक १३ अप्रैल, १९६२ को ग्राम प्रधान निर्वाचित किये गये थे, को अभी तक पदच्युत प्रधान श्री मातादीन से क्यों नहीं दिलाया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—मोहम्मदपुर बहादुरपुर खत्री ग्राम पंचायत के नव-निर्वाचित सभापति श्री बैजूलाल को समापतित्व का कार्यभार भूतपूर्व प्रधान श्री मातादीन से दिनांक ६ अक्तूबर, १९६२ को दिलाया जा चुका है।

१३६-१३७—श्री हरीशकुमार गंगवार—[२०वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

१३८-१३९—श्री शिवेन्द्रप्रताप—[२०वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

लखीमपुर-मोहम्मदी रोड पर आविला का पुल

१४०—श्री रामभजन (जिला खीरी)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला खीरी के अन्तर्गत लखीमपुर-मोहम्मदी रोड पर आविला का पुल जो कि बहुत कमजोर है उसे शीघ्र ठीक कराने का प्रयत्न किया जायेगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां। यह पुल लकड़ी का है और उसकी मरम्मत का प्रबन्ध किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश इंटरटेनमेंट्स ऐंड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९६२

सचिव, विधान सभा—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन को यह सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश इन्टरटेनमेंट्स ऐण्ड बैटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९६२ जो विधान सभा द्वारा ४ दिसम्बर, १९६२ को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक १२ दिसम्बर, १९६२ को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश स्टैम्प (संशोधन) विधेयक, १९६२

सचिव, विधान सभा—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन को यह सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश स्टैम्प (संशोधन) विधेयक, १९६२ जो विधान सभा द्वारा ६ दिसम्बर, १९६२ को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक १२ दिसम्बर, १९६२ को वापस प्राप्त हो गया है।

नियम ५२ व ५३ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—एक सूचना मेरे पास नियम ५३ के अन्तर्गत माननीय गेंदासिंह की आई है। उसको मैंने नियम ५२ के अन्तर्गत स्वीकार करके माननीय मंत्री जी के पास भेज दिया है। उसके ऊपर नियम ५२ में कल वक्तव्य होगा।

और एक मेघनाथसिंह शिशौदिया जी का है। इसको मैंने अस्वीकार कर दिया है। एक माननीय ऊदल जी का है उसको मैंने उचित कार्यवाही के लिये माननीय मंत्री जी के पास भेज दिया है। वह इस प्रकार है :—

"डाइरेक्टर टैक्निकल एजुकेशन, कानपुर के टैक्निकल की शिक्षा पाने वालों को देश में ५,००० रुपये तक तथा देश से बाहर जाने वालों को १०,००० रुपये ऋण के रूप में दिये जाते हैं, लेकिन यह रुपया समाप्त हो गया है, क्योंकि टैक्निकल शिक्षा में बढ़ोत्तरी हो गई है, परन्तु इस ग्रान्ट में बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। दिनांक १४-११-६२ को पायनियर में माननीय वित्त मंत्री जी का यह बयान छपा है कि टैक्निकल शिक्षा पर और अधिक जोर दिया जायगा, क्योंकि देश और प्रदेश में टैक्निकल लोगों की संख्या तुरन्त बढ़ानी है। परन्तु स्थिति यह है कि अभी इस लोन के बजट में रुपया समाप्त हो गया है जब कि वित्तीय वर्ष के चार महीने बाकी हैं। अतः सरकार इसके लिये तुरन्त उचित व्यवस्था करे अन्यथा टैक्निकल शिक्षा पर बुरा असर पड़ेगा।"

एक दूसरा माननीय बिपिनबिहारी जी का है वह भी मैंने माननीय मंत्री जी के पास भेज दिया है और उस पर उचित कार्यवाही हो जायगी। इस पर वक्तव्य नहीं हो सकेगा। वह इस प्रकार से है :—

"प्रदेश में मिट्टी के तेल पर मूल्यनियंत्रण की अधिकृत घोषणा होते ही बाजार से मिट्टी का तेल गायब हो गया है और अनेक एजेण्टों द्वारा जिनके पास भारी मात्रा में तेल का स्टाक

[श्री अध्यक्ष]

था उन्होंने चोर बाजारी के भावों से बेचना आरम्भ कर दिया है। पूरे प्रदेश में तेल की दूकानों पर लम्बी लम्बी लाइनें लगी हुई दिखाई पड़ती हैं। विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त समाचारों के आधार पर यह भी ज्ञातव्य है कि मोबिल आयल भी बाजार से गायब हो गया है।"

यही है। इसको मैं माननीय मंत्री जी के पास भेज रहा हूं।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)---क्या कोई प्रस्ताव दीपनारायणसिंह जी का भी है?

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)---मेरा विशेषाधिकार का प्रस्ताव था।

श्री अध्यक्ष---उस सम्बन्ध में आप मुझसे मिल लीजियेगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---जो किरोसीन आइल वाला नियम ५२ का आपने मंजूर किया है, उस पर फौरन कार्यवाही होनी चाहिये, बड़ी तबाही मची हुई है।

श्री अध्यक्ष---मैंने दफा ५२ में मंजूर नहीं किया है, लेकिन दोनों सूचनाएं संबंधित मंत्री के पास भेज दी हैं। उचित कार्यवाही के लिये।

श्री दीपनारायणसिंह---जी, आप मुझ से मिल लीजियेगा। मैं आपको सूचना दे दूं कि मैंने आपत्तिजनक शब्दावली को निकाल दिया है।

श्री दीपनारायणसिंह---मैं उसके लिये आपका शुक्रगुजार हूं, लेकिन माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो कहा है कि उस पर उन्हें खेद तो प्रकाश करना चाहिये, या फिर उस पर विचार होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---आप मेरे कमरे में आ जायं, मैं उनको बुला लूंगा वहीं।

राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दिये गये धन के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष---मेरे पास माननीय नत्थूसिंह ने एक सूचना भेजी है जो इस प्रकार है---

"चीनी आक्रमण के विरोध में जिलाधीश इटावा की अध्यक्षता में दिनांक ६-१२-१९६२ को हुई मीटिंग में मैंने घोषणा की थी कि जब तक सीमा संघर्ष चलता रहेगा मैं अपने मासिक वेतन का आधा अर्थात् १०० रुपया प्रति मास सुरक्षा कोष में जमा करता रहूंगा। इसकी सूचना पत्र द्वारा मैंने मुख्य मंत्री महोदय को भी दे दी थी। आप से निवेदन है कि आप मेरे वेतन से प्रति मास १०० रुपया श्री मुख्य मंत्री सुरक्षा कोष में जमा होने की व्यवस्था करने की कृपा करें।" वे धन्यवाद के पात्र हैं।

श्री परागीलाल तिवारी की ढिवकई, जिला झांसी में मृत्यु के संबंध में गृह उपमंत्री का वक्तव्य

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)---अध्यक्ष महोदय, जिस विषय की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है उसके तथ्य इस प्रकार हैं---

१३-११-१९६२ को श्री परागीलाल निवासी ग्राम सिमरधा, थाना गरौठा, जिला झांसी श्री मुन्नीलाल मिश्र के साथ बी० डी० सी० की मीटिंग के बाद वापस आ रहे थे। जब यह लोग अपने गांव के पास पहुंचे तो ३ अनजाने बदमाशों ने, जिनके पास बन्दूक व कुल्हाड़ी थी और जो पास में छिपे हुये थे, श्री परागीलाल व श्री मुन्नीलाल को पकड़ लिया। श्री मुन्नीलाल वहां से बच निकलने में सफल हुये और गांव में आकर शोर किया कि परागीलाल को बदमाश लोग मार रहे हैं। जब गांव के लोग इकट्ठा हुये और घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने श्री परागीलाल को खून से लथपथ मरे हुये पाया। उनके सर और गर्दन पर चोटें लगी हुई थीं।

इस घटना की रिपोर्ट श्री परागीलाल के भाई श्री महीपाल ने थाने में लिखाई। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में श्री मुन्नीलाल मिश्र और सालिगराम ब्राह्मण जो उनके गांव के हैं पर शुबहा लिखाया। इस शुबहा का कारण उन्होंने यह बताया कि श्री परागीलाल ने श्री मुन्नीलाल के विरुद्ध बहुत साल पहले कत्ल में गवाही दी थी और सालिगराम ब्राह्मण ने उस मुकदमे में श्री मुन्नीलाल की मदद की थी।

इस रिपोर्ट के आधार पर थाना गरौठा में एक मुकदमा भारतीय दण्ड विधान की धारा ३०२ के अन्तर्गत दर्ज किया गया और तत्काल ही जांच आरम्भ कर दी गयी। अभी तक किसी अभियुक्त का पता नहीं चला है और इसलिये कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। जो शुबहा श्री महीपाल ने श्री मुन्नीलाल और सालिग्राम के विरुद्ध लिखाया है वह बहुत हद तक सही प्रतीत होता है, परन्तु इन व्यक्तियों का हत्या से सम्बन्धित होने का कोई सीधा प्रमाण अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है और इसी कारण कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस मुकदमे की जांच हो रही है और इसका पता लगाने के लिये पूरा प्रयत्न किया जा रहा है।

यह कहना कि श्री परागीलाल के परिवार के लोगों को परेशान किया जा रहा है और उनको भी मौत के घाट उतारने की धमकियां दी जा रही हैं सही प्रतीत नहीं होता, क्योंकि प्राप्त सूचना के आधार पर मृतक के परिवार के लोग आजादी से आ जा रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। गांव के लोगों में भी किसी प्रकार का भय नहीं प्रतीत होता है और वे लोग भी आजादी से अपना काम कर रहे हैं।

२६ सितम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न ९ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

श्री अध्यक्ष--दिनांक २६ सितम्बर, १९६२ को विधान सभा के सदस्य श्री कल्याणचन्द मोहिले द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९ से सम्बन्धित विधान सभा के सदस्य श्री कल्याण-चन्द मोहिले तथा श्री श्रीराम के अनुपूरक प्रश्नों के सम्बन्ध में हरिजन एवं समाज कल्याण उपमंत्री का शोधन वक्तव्य होगा।

समाज कल्याण उपमंत्री (श्रीमती प्रकाशवती सूद)--अध्यक्ष महोदय, दिनांक २६ सितम्बर, १९६२ को श्री कल्याण चन्द मोहिले द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९ के सम्बन्ध में श्री कल्याण चन्द मोहिले तथा श्री श्रीराम ने अनुपूरक प्रश्न पूछे थे कि (१) क्या माननीया मंत्राणी जी बतायेंगी कि ये छात्रवृत्ति बंटने का क्या आधार है और (२) क्या सरकार को यह मालूम है कि १०वीं कक्षा से पहले जो हरिजन विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनको अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति नहीं दी जाती, क्या यह सच है ?

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि (१) मैट्रिक से पहले तो हर हरिजन छात्र को छात्रवृत्ति दी जाती है। मैट्रिक के बाद, कालेज में जाने पर जो विद्यार्थी उत्तीर्ण होते रहते हैं उन्हीं को यह छात्रवृत्ति दी जाती है तथा (२) जी नहीं।

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला। सही उत्तर इस प्रकार है (१) मैट्रिक तथा उससे पहले की कक्षाओं में हरिजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति उनकी योग्यता तथा निर्धनता को दृष्टि में रख कर दी जाती है। मैट्रिक के ऊपर की कक्षाओं में छात्रवृत्ति सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को और विशेष परिस्थिति में कुछ अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को भी उपलब्ध होती है। (२) जी हां।

(मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर देखिए नत्थी 'म' आगे पृष्ठ १००३ पर)

समाजवादी संयुक्त दल के संगठन के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष--एक सूचना माननीय सदस्यों को और देनी है। माननीय उग्रसेन, माननीय बलवानसिंह, माननीय रामसुन्दर पांडेय, माननीय नरसिंहनारायण पांडेय, माननीय होरीलाल यादव, माननीय राधेश्याम शर्मा, माननीय रियासत हुसैन और माननीय मैनेजरसिंह की एक सूचना आयी है। यह मैं पढ़कर सुना रहा हूं।

"हम प्रजा सोशलिस्ट पार्टी व सोशलिस्ट पार्टी के विधायकों ने आपस में मिल कर 'समाजवादी संयुक्त दल' का गठन किया है और इसी नाम से विधान सभा के अन्दर आज तारीख १३-१२-१९६२, दिन बृहस्पतिवार से बैठे हैं। हमारे दल ने सर्वसम्मति से निम्नलिखित पदाधिकारी का चुनाव किया है। इस दल की संख्या विरोधी पक्ष में सर्वाधिक है। अतः इस दल को विधान सभा में मुख्य विरोधी दल घोषित करने की कृपा करें। इसमें नेता माननीय उग्रसेन हैं, माननीय बलवानसिंह उपनेता हैं, माननीय रामसुन्दर पांडेय मुख्य सचेतक हैं, माननीय नरसिंहनारायण पांडेय, सचेतक हैं, माननीय होरीलाल यादव, मंत्री हैं, माननीय राधेश्याम शर्मा सहायक मंत्री हैं, माननीय रियासत हुसैन सहायक मंत्री हैं और माननीय मैनेजरसिंह कोषाध्यक्ष हैं।

एक प्रश्न मेरे सामने इस दल को विधान सभा में मुख्य विरोधी दल घोषित करने के सम्बन्ध में उठाया गया है। इस सम्बन्ध में मैं आदरणीय उग्रसेन जी और बलवान सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वे मुझ से मिल लें ताकि इस सिलसिले में बातचीत हो जाय।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--इस सम्बन्ध में जरा मुझे एक निवेदन करना है। वह यह है कि आप की शायद रूलिंग है कि जो दल बाहर भी होगा उसी को आप यहां मान्यता दे सकते हैं। यह सोशलिस्ट एकता दल बाहर तो है नहीं। यहां सदन के अन्दर अगर ऐसा होता है तो इनको यहां विरोधी दल का नेता नहीं बना सकते हैं, इसके ऊपर जरा आप को विचार करना होगा।

श्री अध्यक्ष--माननीय श्रीपालसिंह को इसके कहने की आवश्यकता नहीं थी। जब मैं इस बात पर निर्णय करने लगता तब वह कहते।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक निवेदन कर दूं....

श्री अध्यक्ष--नहीं, कृपया आप बैठें। (व्यवधान) देखिए मैंने कहा कि श्रीपालसिंह जी को यह कहने की जरूरत नहीं थी।

श्री रामसुन्दर पांडेय--श्रीमन्, मुझे इस पर कुछ नहीं कहना था। जब तक इस पर आप अपना निर्णय नहीं करते तब तक मुझे इसके ऊपर अपनी कोई राय नहीं देनी है। वह तो आप के विवेक पर निर्भर है। मैं यह कहना चाहता था कि तब तक आप हम लोगों को एक स्थान बता दें जहां कि हम लोग एक साथ बैठ सकें। उसके बाद आप जो डिक्लेयर करेंगे वह हम मानेंगे।

श्री अध्यक्ष--वह बता दिया जायगा।

(इस समय ११ बज कर ४६ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायणराय पीठासीन हुए।)

गोरखपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६२*

शिक्षा मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६२ [The Gorakhpur University (Amendment) Bill, 1962] पर जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

---

*१२ दिसम्बर, १९६२ की कार्यवाही में छपा है।

इस विधेयक के लाने की आवश्यकता इसलिये पड़ी कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी ऐक्ट जो मौजूदा है उसमें ऐसी कोई धारायें नहीं हैं जिनके आधार पर गोरखपुर में दस मील के भीतर किसी कालेज को गोरखपुर यूनिवर्सिटी एफिलिएट कर सके। जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम होगा इसी साल गोरखपुर में एक इंजीनियरिंग कालेज खोला गया है और आज दिक्कत उस इंजीनियरिंग कालेज की यह है कि वहां के विद्यार्थी किसी यूनिवर्सिटी में इम्तहान नहीं दे सकते जब तक कि वह कालेज यूनिवर्सिटी के द्वारा एफिलिएट न किया जाय। इस कारण यह विधेयक लाने की आवश्यकता पड़ी है कि यह अधिकार यूनिवर्सिटी को दिया जाय कि वह दस मील के भीतर जो टेकनिकल या इंजीनियरिंग के कालेजेज हों उनको वह एफिलिएट कर सके। मैं समझता हूं कि इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिये, क्योंकि यह तो एक ऐसा विधेयक है.....

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्यों से आग्रह है कि अगर आप लोग बातचीत करना चाहते हैं तो लाबी में चले जायं। एक महात्वपूर्ण विधेयक पर माननीय मन्त्री जी बोल रहे हैं, इस समय आपको शांत रहना चाहिये।

आचार्य जुगलकिशोर—जैसा कि मैं अभी कह रहा था इस विधेयक को पास करने में कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिये, क्योंकि एक कालेज वहां पर खोला गया है। उस कालेज के सामने दिक्कत है एफिलिएशन की और बिना उस दिक्कत को दूर किये हुये और यह अधिकार गोरखपुर यूनिवर्सिटी को दिये हुये वहां के विद्यार्थी इम्तहान में नहीं बैठ सकेंगे। इस कारण इस विधेयक को लाया गया है। मौजूदा कानून में यह है कि दस मील के भीतर कोई भी कालेज गोरखपुर निवर्सिटी में एफिलिएट नहीं हो सकता उसको दूर करके कोई कालेज के बदले में अतिरिक्त उन कालेजेज के जो इंजीनियरिंग या टेकनिकल शिक्षा से सम्बन्ध रखते हों इस आशय का संशोधन किया जा रहा है। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इसे स्वीकार करेंगे।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६२ को इस सदन की एक प्रवर समिति को भेजा जाय जिसे उसकी परिधि बढ़ाने का अधिकार हो और जो १५ दिन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

मान्यवर, जैसा माननीय मन्त्री जी ने कहा देखने में तो ऐसा लगता है कि जो संशोधन विधेयक लाया गया है वह एक बड़ा मामूली सा संशोधन विधेयक है और माननीय मन्त्री जी के कहने के अनुसार उसे इस सदन को स्वीकार करने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये।

लेकिन श्रीमन, मेरा कहना यह है कि यह संशोधन विधेयक, ऐक्ट का जो उद्देश्य था और मकसद है उसी के ऊपर कुठाराघात करता है। अगर आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी के सन् १९५० से जब से यह डेफ्ट बिल आया था कि इस यूनिसर्सिटी का निर्माण कैसे किया जाय उसको देखेंगे तो आप पायेंगे कि जिस समय यह यूनिवर्सिटी बनने लगी उसी समय से पूर्वी जिलों के लोगों के दिमाग में एक नक्शा था और वह यह कि यह एक ग्रामीण यूनिवर्सिटी होगी और इसी ध्येय और मकसद को लेकर वहां के लाखों और करोड़ों किसानों ने इस विश्वविद्यालय के बनाने में अपना योगदान दिया। अब जब यह बिल आया है तो उसका मतलब है कि गोरखपुर में जो इंजीनियरिंग कालेज है या देवरिया का एग्रीकल्चर कालेज है इन तीनों को यूनिवर्सिटी से सम्बन्धित न रखा जाय और सरकार चाहती है कि जो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की पावर्स हैं और जो उसके काम करने की पद्धति है उसपर सरकारी नियन्त्रण रखा जाय। मैं समझता हूं कि जो ऐक्ट था अगर याद करें तो सन् १९५६ में जो प्रवर समिति की रिपोर्ट थी जिस पर कि यह ऐक्ट आधारित था जिसको कि सदन ने पारित किया था। अगर आप उसको देखें तो आप इसके उद्देश्य और कारणों में पायेंगे, उसमें लिखा है कि

[श्री नरसिंहनारायण पांडेय]

"इस सोसाइटी ने सन् १९५० में ही विधेयक का पाडुंलेख प्रस्तुत किया था जो तब से सरकार के विचाराधीन रहा है। गोरखपुर में ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना से जिसे समीपवर्ती क्षेत्रों के कालेजों को सम्बद्ध करने का अधिकार प्राप्त हो आगरा विश्वविद्यालय का जिसके ऊपर निस्संदेह एक विश्वविद्यालय की निर्वहन शक्ति से कहीं अधिक भार है कार्यभार हल्का हो जायगा। इस विश्वविद्यालय को ग्रामीण स्वरूप देना अभिप्रेत था जिससे कि वह उस क्षेत्र के आर्थिक साधनों तथा समस्याओं के अनुरूप बन सके।" यह संयुक्त प्रवर समिति की रिपोर्ट है। इस विधेयक के द्वारा वह जो ऐक्ट का मनशा था जिसको पूरा करने के लिये करोड़ों जनता ने इस विश्वविद्यालय का निर्माण किया था आज उस पर ही हम आघात कर रहे हैं। इसलिये मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि वह इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करके पूर्वी जिलों की जनता के साथ न्याय करें जिसके लिये इसका बहुत बड़ा महात्व है चाहे वह उनके लिये या उनके अफसरों के लिये न हो। जिस प्रवर समिति को परिधि बढ़ाने का अधिकार दिया जाय और वह १५ दिन के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे और उस पर सदन शांतिपूर्वक विचार कर सके और इसको मंजूर कर सके। इन शब्दों के साथ मैं प्रवर समिति के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---श्रीमन्, गोरखपुर विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक जो इस समय विचाराधीन है उसका बहुत बड़ा महत्व है। यद्यपि उसके एक ही क्लाज में यह संशोधन आया है और देखने से ऐसा लगता है कि इसमें कुछ हां और नहीं का सवाल अधिक नहीं है और इसको स्वीकार कर लेना चाहिये। जहां तक प्रौद्योगिक और अभियांत्रिकी कालेजों का सम्बन्ध है उनका अलग नियन्त्रण रहे विश्वविद्यालय से, इस से सरकार की मनशा अपने हाथ में उनका नियन्त्रण लेने की है।

श्रीमन्, साथ ही साथ गोरखपुर विश्वविद्यालय पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक मरकज है और शिक्षा-दीक्षा की दृष्टि से वहां सारे उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं। वह जिस हालत में कार्य कर रहा है उस ओर मैं आपके द्वारा सारे सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस सारे विधेयक पर यह सदन सुचारु रूप से विचार करे, इसलिये कि इसमें कई धाराएं ऐसी हैं कि जिनमें संशोधन की नितान्त आवश्यकता है, ताकि इस विश्वविद्यालय का कार्य प्रशासन क्षमता के साथ चल सके। कई प्रश्न इसके सम्बन्ध में विधान सभा में उठ चुके हैं और वह ठीक से काम नहीं कर रहा है, जिसके कारण वहां की शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। उससे जितने सम्बन्धित डिग्री कालेज हैं उनके परीक्षा-फल जो भेजे गये उनको मैंने देखा। उनमें रजिस्ट्रार महोदय के दस्तखत हैं, यूनिवर्सिटी की सील है, लेकिन मार्क्स शीट खाली सादा पड़ा है। वह भरा नहीं गया। जो वाइस चांसलर हैं उनके जो काम करने का तरीका है उससे मैं समझता हूं कि वहां के वातावरण में गिरावट आती है। वहां के प्रोफेसरों की एक अजीब तरीके से भरती हो रही है और इस के अतरिक्त जो उससे सम्बन्धित कालेज हैं उनकी हालत ठीक नहीं है। उससे सम्बन्धित एक कालेज है सेंट इंड्यूज उसके विधान में दिया हुआ है कि उसकी मैनेजिंग कमेटी में तथा अन्य पदाधिकारी एक विशेष वर्ग के लोग होंगे। जनतन्त्र में इस प्रकार की व्यवस्था किसी कालेज की रहे यह उचित नहीं मालूम होता। इस ओर मैं माननीय मन्त्री जी का विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट करूंगा। जो वहां के शिक्षा के स्तर में गिरावट है और जो गड़बड़ी है उसे ठीक होना चाहिये। यह प्रवर समिति में इसे भेजने का संशोधन इसलिये पेश किया गया है कि टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स को यदि आप अलग रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं और यदि आपको इस विश्वविद्यालय को व्यापक बनाना है, तो वे यह इससे सम्बन्धित रहने चाहिये। इसके अतिरिक्त मूल अधिनियम की धाराओं को संशो-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

धित कर के इसे और व्यापक बनावें, ताकि वहां का स्तर ऊंचा हो सके और रजिस्ट्रार, वाइस चांसलर आदि की स्वच्छंदता समाप्त हो कर उसे आप नियन्त्रण में रख सकें, इसलिये मैं इस प्रवर समिति के संशोधन का समर्थन करता हूं।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब ऐसे अच्छे संशोधन के लिये भी कहा गया कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाय। मैं बड़े ध्यान से सुन रही थी कि प्रवर समिति के लिये क्या तर्क उपस्थित किये जाते हैं। जो बातें कही गयीं बिल्कुल विपरीत कही गयीं। कहा यह गया कि जो कालेजेज हैं उनके एफीलियेशन का प्रश्न छूट जाता है या उसमें बाधा पड़ती है। कहा गया कि जो मूल विधान है उस पर भी कुठाराघात होता है। मैं नहीं समझ पायी कि कुठाराघात कहां से होता है। यह जो संशोधन है उसमें तो स्पष्ट कहा गया है कि जो पहले की धारा थी कि—

> "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि विश्वविद्यालय के कान्वोकेशन हाल से दस मील के अर्धव्यास के भीतर कोई भी नया कालेज स्थापति नहीं किया जायगा" "के स्थान पर "किन्तु प्रतिबंध यह है कि विश्वविद्यालय के कानवोकेशन हाल से दस मील के अर्धव्यास के भीतर कोई भी ऐसा नया कालेज जो प्रौद्योगिक (टेक्नालाजी) या अभियान्त्रिकी (इंजीनियरिंग) का कालेज न हो स्थापति नहीं किया जायगा।" रख दिया जाय।

इसका मतलब यह है कि ऐसे कालेज जोकि टेक्निकल ऐजूकेशन को बढ़ाने वाले हों, उनके स्थापित होने में कोई बाधा नहीं डाली जायगी और ऐसे कालेज १० मील के अर्धव्यास में ही खुल सकते हैं। इस तरह से टेक्निकल ऐजूकेशन बढ़ाने में सरकार मदद करना चाहती है, उस पिछड़े इलाके को जिसकी कि दोहाई यहां पर बराबर हमारे माननीय नरसिंह नारायण जी देते रहते हैं। मैं समझती हूं कि इसको, जोकि बहुत ही सामयिक है और उचित है आपको मानना चाहिये। मेरा यह कहना है कि यह संशोधन जोकि गोरखपुर यूनिवर्सिटी ऐक्ट के अन्तर्गत है इसको प्रवर समिति में भेज कर केवल समय को ही अपव्यय करना है। प्रवर समिति में भेजने का मतलब तो यही होता है कि हम यह देखें कि इस संशोधन से वह कमियां पूरी हो सकती हैं जिसके लिये यह संशोधन रखा जा रहा है या नहीं। मैं समझती हूं कि आजकल जब कि इस बात की आवश्यकता है कि टेक्निकल एजूकेशन बहुत अधिक बढ़ाई जाय और उसके लिये अगर किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई भी विधान या ऐक्ट बाधक हो तो उसे हटाया जाय। यह गोरखपुर यूनिवर्सिटी का ऐक्ट है यह भी बहुत सोच समझ कर बनाया गया, लेकिन जब हमारे अधिकारियों का ध्यान इस बात की ओर गया कि यह जो प्रतिबन्ध है कि कोई भी नया कालेज स्थापति नहीं किया जायगा, उससे अगर कोई टेक्निकलए जूकेशन के सिलसिले में कोई कालेज आसपास खोला जाय, तो उसमें भी बाधा होती है। इसलिये इसको दूर करना चाहिये और उस उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही यह संशोधन यहां पर लाया जा रहा है। इसलिये आज प्रदेश और विशेषकर पूर्वी जिलों में जो उन्नति की बात कही जाती है और कहा जाता है कि वह जिले पिछड़े हुये हैं और यह समझा जाता है कि यहां पर भी इस एजूकेशन को बढ़ाना चाहिये। आर्थिक दृष्टि से भी यह हिस्सा पिछड़ा माना जाता है। इसलिये सरकार यह अच्छी तरह समझती है कि यदि उनको किसी प्रकार की ऐजूकेशन नहीं दी गई तो फिर वह लोग आगे क्या काम करेंगे, क्योंकि आजकल केवल सरकाढ़ी नौकरियों से ही काम नहीं चल सकता है। यदि हमको अपने देश और प्रदेश को आगे ब ाना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल एजूकेशन को फैलाना होगा। ऐसी हालत में जो यह संशोधन आया है यह बहुत उचित है। इसलिये मैं इस संशोधन का कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाय का विरोध करती हूं और बिल का समर्थन करती हूं।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—अधिष्ठाता महोदय, आप देखें कि इसमें केवल इतना ही दिया है कि.....

श्री अधिष्ठाता––मैं माननीय सदस्यों से पहले एक बात का आग्रह करना चाहता हूं कि पहले दिन जब आपने मुझे यहां पर पर मौका दिया था इस सभापति के आसन ग्रहण करने का तो उस समय मैंने यह निवेदन किया था कि लाबी के निर्माण का एक खास उद्देश्य कहा गया है। लाबी को कुछ राइटर्स ने 'ऐंटी चेम्बर' कहा है यदि आप लाबी के महत्त्व को देखेंगे तो आपको यह ज्ञात होगा कि लाबी ही वह उचित स्थान है जहां माननीय सदस्यों को कोई परामर्श या बातचीत करनी चाहिये। उस समय हमारी हैरानी और बढ़ जाती है जब हम बहुत से जिम्मेदार लोगों को इस व्यवस्था के विपरीत आचरण करते हुये देखते हैं। इसलिये और अधिक न कहकर, मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि आज मैं मानता हूं कि एक ऐसी घटना घटी है और ऐसा मसला सामने है जिस पर सम्भव है माननीय सदस्यों को, उसके सम्बन्ध में कुछ बातचीत करनी हो और वे कर रहे हों। आज के ऐसे अवसर पर ही लाबी का महत्त्व और भी बढ़ जाता है। आप देखेंगे कि वहां पर बहुत से प्रेस वाले लोग भी मिलते हैं। जो लोग भी अन्य दलों से परामर्श करना चाहते हैं या मन्त्री जी अपने सदस्यों से कोई परामर्श करना चाहते हैं तो वह लाबी में जा कर कर सकते हैं।

जब हमने इस व्यवस्था को दिया था तो हमको यह मालूम था कि लाबी में कोई आदमी बैठा हो और वहां कोई बातचीत कर रहा हो या कोई भाषण कर रहा हो, तो उसके विरुद्ध कोई प्रिविलेज का सवाल नहीं उठता। इसीलिये मैंने उसको सदन का एक हिस्सा या ऐंटी चेम्बर कहा। इसलिये मैं आग्रह करता हूं कि आज जो आवश्यक प्रश्न आपके मस्तिष्क में उठ रहे हैं उनके ऊपर लाबी में जाकर ही विचार विमर्श करें और यहां जो गम्भीर विधेयक गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बारे में चल रहा है, उसको चलने दें। यह दोनों के लिये अधिक उपयोगी होगा।

***श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट**––अधिष्ठाता महोदय, माननीय नरसिंहनारायण जी का जो प्रवर समिति का प्रस्ताव है, मैं उसके समर्थन के लिये दो शब्द कह देना चाहता हूं। जो उद्देश्य इस विधेयक के लाने का दिया हुआ है उसमें केवल इतना ही लिखा है––

"with a view to promoting the cause of technological and engineering education this restriction is sought to be removed in respect of colleges parting such education."

मैं उन सज्जनों से जो यह कहते हैं कि गोरखपुर के क्षेत्र में टेक्नीकल एजूकेशन को इस समय नहीं बढ़ा सकते हैं, इसलिये इस विधेयक को लाया जा रहा है, यह कहना चाहता हूं कि अगर इस समय वहां १० मील के दायरे में कोई टेक्नीकल इंस्टीट्यूट नहीं खोल सकते हैं तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी में उन सबजैक्ट्स को बढ़ाने में आपको क्या दिक्कत है। अगर ये इंस्टीट्यूशन उस दायरे में खोले जाते हैं और उस यूनिर्सासिटी के मातहत नहीं होते तो उसका एक नतीजा यह होगा कि वह किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के मातहत होंगे जो कहीं दूर होगी और इसी वजह से यह यूनिवर्सिटी खोली गई थी कि ज्यादा दूर से इंस्टीट्यूशन का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है। इसके अलावा एक बात और होगी कि जब बहुत से इंस्टीट्यूशन्स टेकनीकल और इंजीनियरिंग के इस १० मील के दायरे में खुल जायेंगे तो कभी भी इस यूनिवर्सिटी में वे सबजैक्ट्स नहीं रखे जा सकेंगे और यूनिवर्सिटी आगे पनप न पायेगी।

जिस समय विधेयक लाया जाता है, उस समय इन बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है और फिर उसके लिये संशोधन विधेयक लाना पड़ता है। इसको बार-बार न होने देने के लिये प्रवर समिति का प्रस्ताव रखा गया है कि और भी ऐसे वोकेशनल सबजेक्ट्स हो सकते हैं, जिनके लिये शांति से प्रवर समिति में विचार किया जा सकता है। इसलिये मैं उग्रसेन जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)---माननीय, जो तरमीम पेश की गयी है, उसकी मैं ताईद करता हूं। यद्यपि मैं इस विधेयक का भी समर्थन करता हूं, क्योंकि मेरा अपना विचार यह है कि ऐसे बुनियादी विश्वविद्यालय के विधान में घड़ी-घड़ी परिवर्तन नहीं होना चाहिये। इसलिये इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय जिससे उस पर सम्यक विचार विनिमय हो सके। कोई अन्य विषय ऐसा और भी हो सकता है जिसकी जरूरत इसमें महसूस हो, जिनके लिये भी यह प्रतिबन्धात्मक उपबन्ध हटा हो तो उनको भी इस विधेयक में सम्मिलित किया जा सकता है और किया जाना चाहिये, क्योंकि आज हमारे देश और प्रदेश की जो डेवलपिंग इकोनामी है उसमें टेक्निकल सबजेक्ट का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है तो ऐसी हालत में उधर हमारे देश का भी ध्यान और सरकार का भी ध्यान खींचता है और वह खींचना चाहिये। हमारे देश भर में टेक्निकल परसन्स की बहुत कमी है और खास कर इस संकट की बेला में, जो हमारे देश पर संकट आया है, उधर सरकार का और हम सब का ध्यान और तेजी से जाना चाहिये। इसलिये इस विधेयक की आत्मा का समर्थन करते हुए भी मैं समझता हूं कि अगर यह विधेयक सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय तो वहां बिचार विमर्श के बाद बहुत से ऐसे सुझाव आ सकते हैं जिन्हें सरकार भी सहर्ष स्वीकार कर लेगी। इन शब्दों के साथ मैं इस तरमीम का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय शिक्षा मन्त्री जी इसे स्वीकार कर लेंगे और इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की कृपा करेंगे।

*श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे केवल इतना ही कहना है कि इस बिल को प्रवर समिति में भेजने का औचित्य बिलकुल नहीं है। इस बिल को आप प्रवर समिति में भेजने की बात इसीलिये तो करते हैं कि इस पर विशेष रूप से अध्ययन करने के बाद तब फिर उसे हमारे सामने रखा जाय। प्रवर समिति से भी बहुत बड़ी बाडी जो लेजिस्लेटिव कौंसिल है वहां इस बिल को छाना जा चुका है और उसकी सम्मति और उनकी छाप लग जाने के बाद भी इसे प्रवर समिति में भेजने की कोई जरूरत नहीं है। यह जानते हुये कि हमारे लेजिस्लेशन का जो कार्यक्रम है वह क्या है और इसका आप आसानी से अनुमान कर सकते हैं जो प्रत्यक्ष है कि अब हम कितने दिनों के बाद मिलेंगे, तो इसे प्रवर समिति में भेजने के माने यही हैं कि इस बिल को लाने का जो एक विशेष लक्ष्य था उस लक्ष्य से हम हटते हैं, क्योंकि फिर तो वह इस समय पारित नहीं हो सकेगा। इस तरफ मैं माननीय सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिस लक्ष्य से यह बिल लाया गया है वह लक्ष्य ही समाप्त हो जायगा यदि इस अवधि तक बिल को प्रवर समिति में भेज दिया जाय। इसलिये इस समय मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सदन इसे प्रवर समिति में न भेज कर, इसको शीघ्र पारित करे।

श्री अधिष्ठाता---मैं सदन को एक सूचना देना चाहता हूं। आज ३ बजे तिलक हाल में लोक सभा के माननीय अध्यक्ष माननीय सदस्यों से कुछ बात करेंगे। आप उसमें तशरीफ लाने का अवश्य कष्ट करें।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह जो गोरखपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६२ सदन में प्रस्तुत हुआ है और जो प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव माननीय नरसिंहनारायण पांडेय जी ने प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। सन् १९५६ में जो गोरखपुर विश्वविद्यालय ऐक्ट पास हुआ था उसमें बहुत सी त्रुटियां थीं और वे त्रुटियां बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनको मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। जो सन् १९५६ का गोरखपुर यूनिवर्सिटी ऐक्ट है उसकी धारा २७ (२) में लिखा हुआ है.....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता--मैं चाहूंगा कि जो प्रस्तुत विधेयक है उसी पर माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करें।

श्री श्यामलाल--मैं उसी पर आ रहा हूं। उसमें लिखा हुआ है कि--

"Whether provision have been made or not.

The manner or rotation and determination of seniority and other qualification shall be prescribed."

इसका मतलब यह है कि नियुक्ति के मामले में सीनियारिटी देखी जायगी। यह जो विधेयक है इसमें इस तरह की कोई चर्चा नहीं है। यह मान लिया गया है कि सीनियारिटी के आधार पर हेड आफ दि डिपार्टमेंट अथवा लेकचरारशिप के लिये नियुक्ति होगी।

श्री अधिष्ठाता--मैंने आपसे अर्ज किया कि आप इस बिल के सम्बन्ध में बोलें। इसमें महज एक प्रश्न है कि यह जो इंजीनियरिंग कालेज है इसको विश्वविद्यालय की एक फेकल्टी बनाने का संशोधन है।

श्री श्यामलाल--उसके अलावा मेरा एक सुझाव है।

श्री अधिष्ठाता--कोई नान आफिशियल बिल इसके लिये आप लायें। इस बिल का जो उद्देश्य है उसके सम्बन्ध में आपको विचार व्यक्त करना हो तो आप सदन का समय लें।

श्री श्यामलाल--उसी विषय के सम्बन्ध में बोल रहा हूं। उसके अलावा एक सुझाव और ऐड करना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--उसके लिये तो आप प्राइवेट मेम्बर बिल लायें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री श्यामलाल--बहुत महत्त्वपूर्ण अमेंडमेंट है। आप सुन लें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री अधिष्ठाता--आपको इस बिल के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तो मैं आग्रह करूंगा कि आप सदन का समय न लें।

श्री श्यामलाल--आप कहें तो बैठ जाऊं।

श्री अधिष्ठाता--इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है, तो बैठ जाइये।

श्री श्यामलाल--गोरखपुर यूनिवर्सिटी के स्टेट्यूट्स "हेड आफ डिपार्टमेंट आफ क्लासेज फार ग्रेजुएट डिग्री" में यह दिया हुआ है जो कि यू० पी० एक्सट्राआर्डिनरी गजेट अगस्त २८, १९५८ में दिये गये हैं कि एम० ए० जो फर्स्ट क्लास होता है उसको दो साल के डिग्री क्लासेज के टीचिंग एक्सपीरियन्स होने पर हेड आफ दि डिपार्टमेंट बनने की सुविधा मिल जायगी।

श्री अधिष्ठाता--ऐसा कोई संशोधन इस बिल में नहीं है। आप बिल के सम्बन्ध में कुछ नहीं कह रहे हैं। सदन का समय आप न लें।

श्री श्यामलाल--मेरा कहना यह है कि एम० ए० सेकेण्ड क्लास जो होगा और पी० एच० डी० की डिग्री भी लिये हो तो तीन साल के डिग्री क्लासेज के टीचिंग एक्सपीरियन्स के बाद ही उसे हेड आफ दि डिपार्टमेंट बनने की सुविधा मिल सकेगी.....

श्री अधिष्ठाता--इस तरह का कोई भी संशोधन इस बिल में नहीं है। इसलिये आप कृपा करके अपना स्थान ग्रहण करें।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---अधिष्ठाता महोदय, मुझे दुख हो रहा है कि जिस बिल को दो मिनट में पास कर देना चाहिये था उसके लिये भी हमारे नवयुवक सदस्यगण ने इस को प्रवर समिति में भेजने के लिये प्रश्न उपस्थित कर दिया पिछले वर्ष बराबर इस बात का आग्रह था कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के तहत गोरखपुर में किसी इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना होनी चाहिये और कई जगहों की मांगों को ठुकरा कर हमने यह फैसला किया कि गोरखपुर में इंजीनियरिंग कालेज कायम कर दिया जाय। यद्यपि वहां कायम करने में हमारे सामने कई दिक्कतें थीं, क्योंकि वहां किसी भवन का निर्माण नहीं हुआ था। कोई जगह नहीं थी, ताहम हमने अन्य स्थानों पर स्वीकार न करते हुए गोरखपुर में इंजीनियरिंग कालेज खोलने का निर्णय लिया और बहुत तेजी के साथ हमने यह निर्णय लेकर वहां इंजीनियरिंग कालेज खोला और विद्यार्थीगण उसमें शामिल किये गये और वहां शिक्षा का प्रबन्ध किया जा रहा है।

गोरखपुर विश्वविद्यालय का जो अधिनियम बना हुआ है, दुर्भाग्य से उसमें यह बात नहीं रखी गई है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के तहत में टेक्निकल विषय की शिक्षा दी जा सकेगी। अब कालेज खुल गया है, विद्यार्थियों को शिक्षा दी जा रही है, उनके कोर्सेज इत्यादि विशेषज्ञों द्वारा तय हो चुके हैं, अब विश्वविद्यालय को उन्हें मान्यता देना है। अन्य विश्वविद्यालय के अधिनियमों में तो इस तरह का प्रोविजन है और वहां इंजीनियरिंग की शिक्षा दी जा सकती है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स स्थापित किये जा सकते हैं। अब इस स्थान पर इंजीनियरिंग कालेज खोल दिया है और केन्द्रीय सरकार से भी हमने मदद ली है, आज उसको ऐसा स्वरूप देना है जिससे जो विद्यार्थी वहां पढ़ रहे हैं वे अगर इम्तहान दें तो किसी विश्वविद्यालय की फैकल्टी के तहत में दें। इसके लिये एक छोटा-सा विधेयक लाया गया है और यह विधेयक पहले अपर हाउस में पास हुआ जहां पर कि शिक्षा के पंडित और विश्वविद्यालय के कुलपति सदस्य हैं, उन्होंने मिनटों में इसको पास कर दिया। कभी-कभी हमारे साथी मिश्र जी और पांडेय जी जो हमेशा उत्साह और उमंग से हर प्रश्न पर भरे रहते हैं बहक जाते हैं, उनके गुरुजन वहां मौजूद हैं। उन्होंने इस स्वाभाविक बात को मिनटों में पास कर दिया।

लेकिन अब इसमें इन तमाम बातों को विचार करने के लिये डाल दिया कि यह प्रवर समिति में जाय। यदि बहुत से प्रश्नों पर विचार करना है तो उसके लिये दूसरा समय आयेगा। आज तो जो विद्यार्थी वहां पढ़ रहे हैं उनके कोर्सेज एकेडेमिक कौंसिल से स्वीकार हो जाने चाहिये और फर्स्ट ईयर का एक्जामिनेशन होना चाहिये कौन एक्जामिनर्स हों और किस तरह से एक्जामिनेशन हो यह सारे अधिकार विश्वविद्यालय को मिल जाने चाहिये। इसके लिये प्रवर समिति की बात उठाई जाती है यह हमारे लिये दुर्भाग्य की बात है हम अपने उत्साह और उमंग में बहक जाते हैं। हमारा उत्तरदायित्व यह है कि इस संशोधन विधेयक को पास करके विश्वविद्यालय को एक सुभीता प्रदान करें। अगर इसके पीछे सरकार की कोई भावना छिपी होती तो दूसरे हाउस में जो शिक्षा के बड़े-बड़े विद्वान् मौजूद हैं वे भी समय लेते, लेकिन उन्होंने ज्यादा समय नहीं लिया और मिनटों में शीघ्रता से इसे पास कर दिया। इसलिये मेरा आपके द्वारा इन उमंग से भरे हुए साथियों से नम्र निवेदन है कि इस छोटे से विधेयक को अधिक व्यापक बनाने की चेष्टा न करें। यदि कोई परिवर्तन चाहते हों तो वे सुझाव दें और यदि कोई कमी या खामी है तो उसको दूर कर दिया जायगा और उसको प्रवर समिति में रखने में दिक्कत नहीं होगी लेकिन इसमें जल्दी होनी चाहिये। इसमें हमें सबका सहयोग मिलना चाहिये। न कि उस कार्य में वह एक समय बढ़ाने की कोई नीति अपनाने के सिलसिले में यहां सदन के समक्ष इस प्रकार का सुझाव रखें। मेरा आपके द्वारा उन साथियों से जिन्होंने अभी इसको प्रवर समिति के समक्ष भेजने का प्रश्न उठाया है उनसे आग्रह है कि वह इस संशोधन को जिस रूप में वह सरकार की ओर से आया है और सदन में उपस्थित हुआ है उसको स्वीकार कर लें। यदि वे कोई और सुझाव देना चाहते हैं और संशोधन चाहते हैं तो मुझे बतलायें। यदि वह आवश्यकीय है और गोरखपुर विश्वविद्यालय के विधेयक में वह संशोधन करना नितान्त आवश्यक है तो मैं सब से पहला व्यक्ति हूंगा कि उस संशोधन को स्वीकार करूं और यदि उसको आपके समक्ष लाकर प्रवर समिति में भेजने की आवश्यकता हुई तो वह भी करने की चेष्टा की जायगी। आखिर यही हम चाहते हैं

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

कि यह विश्वविद्यालय उत्तरोत्तर स्तर ऊंचा करता हुआ सब प्रकार की शिक्षा देने की सुविधा प्रदान करे जिससे उन क्षेत्रों के निवासियों के बच्चे उच्च स्तर की शिक्षा हमेशा पा सकें।

इन चन्द शब्दों के साथ अपने विचार प्रकट करता हुआ उन साथियों से नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं जो कि प्रवर समिति में जाने के लिये रखा गया है। यह विधेयक कौंसिल से पास होकर आया है। इसको फिर से विचार करने के लिये प्रवर समिति में भेजने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह वास्तव में एक बहुत सीधा-साधा संशोधन विधेयक प्रस्तुत हुआ है। मुझे खुशी है कि माननीय मुख्य मन्त्री ने बहुत सफाई के साथ सारी बातें आदरणीय सदन के सामने रखने की कोशिश की। मैं उनकी भावना की कदर करता हूं। उन्होंने आश्वासन दिया कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी में खामियां हैं या जो कठिनाइयां हैं उनके सम्बन्ध में उनका ध्यान आकर्षित किया जाय वे उस पर विचार करेंगे। मैं इसके लिये उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि आपके भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री के कार्यकाल में कुछ ऐसे कार्य शिक्षा के क्षेत्र में हुए हैं जिससे इस प्रदेश में शिक्षा की प्रगति हुई है.....

श्री अधिष्ठाता---आप इसी बिल के दायरे में रहें और पिछली बातों का चर्चा न करें।

श्री मैनेजरसिंह---मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि संशोधन विधेयक की परिधि के अन्दर ही बातें कर रहा हूं। बाहर नहीं जाना चाहता हूं। आप देख रहे हैं कि इस संशोधन के द्वारा प्रवर समिति में भेजने तथा परिधि बढ़ाने का अधिकार भी मांगा गया है, क्योंकि गोरखपुर यूनिवर्सिटी के नियम और कानून में बहुत व्यापक संशोधन करने की आवश्यकता है। इसी सिलसिले में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री की देख रेख में यहां पर पहला अधिनियम स्वीकृत हुआ था उसमें बहुत खामियां रह गई हैं। वह एक वर्ग विशेष की यूनिवर्सिटी हो गई है। मैं समझता हूं कि मुझे यह कहने का अधिकार हासिल है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें व्यापक संशोधन की आवश्यकता है। चूंकि वहां इंजीनियरिंग कालेज खोल दिया गया है, सम्बद्धता सम्बन्धी कठिनाई उपस्थित हो गयी, इसलिये यह संशोधन लाया गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी सरकारी कालेज वगैरह खुलते हैं वे शहरों में ही क्यों खुलते हैं? क्यों नहीं पडरौना, देवरिया और बलिया आदि जगहों में खोले जाते हैं? बात यह है कि सरकारी अधिकारीगण चाहते हैं कि वहां पर खुलें जहां पर उनके बच्चों के पढ़ने का अच्छा प्रबन्ध हो घूमने फिरने के साधन हों हवा खाने का स्थान हो। मैं तो इस भावना का ही विरोधी हूं कि ऐसे कार्यों को शहरों तक ही केन्द्रित रखा जाय। खैर, मांग यह थी कि गोरखपुर में एक इंजीनियरिंग कालेज खुले, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने उसको शुरू कर दिया इसके लिये हम उनके ऋणी हैं और इस कारण हम इस संशोधन को स्वीकृत करते हैं वरना हम इसका विरोध करते। मैं अनुरोध करता हूं कि हमारे साथी माननीय पांडेय जी इसको वापस ले लेंगे।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)---अधिष्ठाता महोदय, प्रवर समिति में भेजाने का जो प्रस्ताव है, सम्भवतः मेरे मित्र उसको वापस ले रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं एक ही बत कहना चाहता हूं। इस पर विचार कर लिया जाय कि कहीं इस संशोधन से यूनिवर्सिटी, जो कि आटोनामस बाडी है, के अधिकारों पर तो क्षति नहीं पहुंचेगी। यूनिवर्सिटी में टेक्निकल एजूकेशन नहीं होगी, यह इससे संकेत होता है। यह ऐसी बात है कि उस पर विचार कर लिया जाय वैसे परिस्थिति को देखते हुए प्रस्ताव क महोदय जैसा निर्णय लेंगे, ठीक होगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने माननीय नेता सदन की बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुना। मेरा मतलब यह कतई नहीं है कि इस शिक्षा के प्रसार में कोई रुकावट पड़े और उस रुकावट को आप कानून के द्वारा दूर न करें। इसके उद्देश्य और कारणों में जो यह लिखा था कि यह रूरल यूनिवर्सिटी होगी हम ऐसा समझते हैं कि उसमें या उसके अभिप्राय में आप कोई तब्दीली लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, इसलिये हमने इसको प्रवर समिति में भेजने के लिये कहा था। आपने वहां यह कालेज खोल दिया है, लेकिन आप उसको एक अलग इकाई के रूप में बनाये रखना चाहते हैं। विश्वविद्यावलय के अन्दर कोई फैकल्टी खोलने की योजना पर विचार नहीं कर रहे हैं यह मेरा विरोध का कारण था, लेकिन अगर माननीय नेता सदन ऐसा महसूस करते हैं कि इस संशोधन के लाने से वे और ज्यादा उसका प्रसार करना चाहते हैं या कोई विशेष उत्थान करना चाहते हैं तो मुझे उस योजना को चालू करने के लिये उनके ध्येय को कामयाब बनाने के लिये यह जरूरी है कि मैं अपने संशोधन को वापस ले लूं। इसलिये मैं अपने इस प्रवर समिति में भेजने वाले संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

आचार्य जुगलकिशोर---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे बड़ी खुशी है और मैं माननीय पांडेय जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने संशोधन को वापस ले लिया है।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६२ [The Gorakhpur University (Amendment) Bill, 1962] पर जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २, १ प्रस्तावना तथा शीर्षक

गोरखपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६२

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

उ०प्र० अधिनियम संख्या २०, १९५६ — गोरखपुर विश्वद्यालय अधिनियम, १९५६ को संशोधित करने का विधेयक

भारतीय गणतन्त्र के तेरहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम — १---यह अधिनियम गोरखपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९६२ कहलायेगा।

उ०प्र० अधिनियम संख्या २०, १९५६ की धारा ५ का संशोधन — २---गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ की धारा ५ की उपधारा (२) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द "नया कालेज" के स्थान पर शब्द "ऐसा नया कालेज जो प्रौद्योगिकी (टेकनालाजी) या अभियान्त्रिकी (इंजीनियरिंग) का कालेज न हो" रख दिये जायें।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड २, १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शिक्षा उप मंत्री (श्री केशभान)---अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६२ [The Gorakhpur University (Amendment) Bill, 1962] जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६२ [The Gorakhpur University (Amendment) Bill, 1962], जैसाकि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--माननीय सदस्यगण यह याद रखें कि ३ बजे तिलक हाल में लोक सभा के अध्यक्ष हम लोगों को संबोधित करने आ रहे हैं, सब लोग वहां उपस्थित रहने की कृपा करें।

अब हम उठते हैं और कल साढ़े दस बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन १२ बजकर ३८ मिनट पर अगले दिन के १० १/२ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
१३ दिसम्बर, १९६२।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८९२ पर]

विलीन काशी राज्य के कर्मचारियों की उत्तर प्रदेश की सेवाओं में नियुक्ति के बाद सीनियारिटी तय करने क नियम जिसका उल्लेख श्री गयाप्रसाद द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ९ के उत्तर में किया गया है।

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

No. 1176(1)MG/III—871-1950

Dated Lucknow, October 19, 1954

OFFICE MEMORANDUM

Subject :—**Seniority of merged State employees absorbed in posts under the U. P. Government**

THE undersigned is directed to invite a reference to praragarph VIII(3) of the instructions circulated with this Department O. M. no. 1237/III—614--50, dated February 14, 1950, in which it was stated that the absorbed employees of merged States will take seniority in accordance with such principles as may be settled later.

2. The matter has since been carefully considered and it has been decided that seniority of employees of merged States and encalves absorbed in gazetted and non-gazetted appointments under the U. P. Government should be determined in accordance with the Rules published with Government Notification no. 1176-MG/III—871-50, dated October 18, 1954, a copy of which is enclosed.

3. Action to fix the seniority of employees absorbed in gazetted posts will be taken by the Administrative departments concerned. Cases of serious anomalies in seniority, if any, arising as a result of the application of clause I of the principles relating to gazetted officers should be referred to Government in the General Administration Department. The seniority of employees absorbed in non-gazetted posts will be determined by the appointing authorities.

4. Necessary action should now be taken accordingly to determine the seniority of all the absorbed employees of merged States and enclaves.

A. N. JHA,
Chief Secretary to Government,
Uttar Pradesh.

To—All Departments of the Secretariat.

No. 1176(2)MG/III—871-1950

COPY forwarded to all Heads of Departments (except the High Court of Judicature at Allahabad), Commissioners of Divisions, including Deputy Commissioner in-charge, Kumaun Division and Collectors in-charge, Bundel-Khand and Rohilkhand Divisions, District Officers and other Principal Heads of Offices, in Uttar Pradesh for information and necessary action.

No. 1176(3)MG/III—871-1950

COPY also forwarded to the Registrar, High Court of Judicature at Allahabad, with the request that if the Hon'ble Court have no objection, the above orders may kindly be made applicable to the employees of merged States and enclaves absorbed in services and posts under the administrative control of the High Court.

No. 1176(4)MG/III—871-1950

COPY also forwarded to the Accountant General, Uttar Pradesh, for information.

A. N. JHA,
Chief Secretary to Government,
Uttar Pradesh.

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

No. 1176-MG/III—871-1950

Dated Lucknow, October 18, 1954

NOTIFICATION

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India the Governor of Uttar Pradesh is pleased to make the following rule for determining the seniority of employees of the former States and enclaves merged in Uttar Pradesh, on their absorption in gazetted and non-gazetted appointments under the U. P. Government.

The seniority of the absorbed employees will be determined in accordance with the following principles :

1. *Employees absorbed in gazetted appointments*—For determining the position of a merged State officer absorbed in gazetted services of Uttar Pradesh, the first step should be to determine the date on which the officer would have commenced at the minimum starting salary in the time-scale of the service in which he has been absorbed in order to attain the pay that was allowed to him on the date of his absorption in that service. If in any particular case, an officer has at the time of absorption been appointed in a grade higher than that in the gradation list of which his position has to be fixed, the assumed date of commencement in the time-scale of the lower service

will be determined with reference to the pay which he would have drawn in the lower service on the date of his absorption under the U. P. Government corresponding to the pay actually allowed to him in the higher grade. After the assumed date of commencement at the lowest admissible stage of the relevant time-scale has thus been determined, the officer will be assigned to the batch of recruits which was recruited to the service before the assumed date of entry of the merged State officer, and the latter will then be assigned a place in the gradation list at the bottom of that batch. If there are two or more merged States officers who thus happen to get assigned to the same batch, their positions *inter se* will be arranged according to age, the older having precedence over the younger :

Provided that if in any case the assumed date of entry into the service, worked out as above, happens to be earlier than the date on which he could have entered the service as a direct recru t in his second chance at the competitive examination or selection for that service, then not withstanding anything hereinbefore mentioned the date on which he could be so recruited shall be the assumed date of entry for purposes of fixation of the seniority of the officer :

Provided further that if in the case of any particular merged State Officer the position in the gradation list of a service, calculated as above, suffers from some serious anomaly, the State Government would make such adjustments as they deem fit and equitable in the circumstances of the case.

NOTE—(1) This formula will not be applicable in the case of those merged States officers whose seniority has been determined or is to be determined according to any special principles followed in the particular case of the service in which they have been abosored, without any distinction between such officers and other members of the service.

NOTE—(2) In calculating the assumed date of entry into the service, the minimum stage of the time-scale to be taken into account will be the stage at which, according to the orders in force at the time of absorption, direct recuits to the service are appointed, and not the minimum of the time-scale itself. Thus for example, in the case of officers absorbed in the U. P. Civil Service (Judicial Branch) or U. P. Civil Service (Executive Branch), the stage of Rs. 300 in the time-scale of the service (and not Rs. 250) will be the relevant minimum stage for computing the assumed date of entry into the Service.

2. *Employees absorbed in non-gazetted appointments*—

(*a*) *Seniority as between the ergular employees of the Uttar Pradesh Government and the absorbed employees*—An obsorbed employee who was holding a permanent post in a merged State immediately proceding the merger will be placed just below the last permanent regular (U.P.) employee in the cadre concerned on the date of absorption. The date of absorption will be the date on which the employee has taken over charge of his new appointment in the cadre of the service in which his seniority is to be determined.

(*b*) Employees of the merged States who were holding temporary posts prior to merger and who are appointed to temporary posts under this Government will take seniority amongst temporary employees with reference to the date of their appointment under this Government. If the date of appointment is the same, seniority will be determined by the order in which appointments have been made.

(*c*) *Seniority of absorbed employees* inter se—If more than one permanent employee of the same merged State or of different merged States are absorbed in the same cadre, their seniority will be regulated as follows :

(i) Employees belonging to the same merged State will retain the relative seniority which they were enjoying while serving in the merged State.

(ii) If, however, they belonged to different but equivalent (in status) services permanent appointment to those services. On the other hand, if the services were different in status, the person belonging to the higher service will be treated as senior to that belonging to the lower service.

(iii) In the case of persons belonging to different merged states but absorbed in the same cadre, their seniority will be determined by the date of their permanent appointment to the equivalent service or post, in case the posts they were holding prior to merger in each State were equivalent to each other in status. If, however, their services were different in status, the persons belonging to the higher service will be treated as senior to those belonging to the lower service.

NOTE—All persons in the regular (U. P.) employment though not actually permanent on the date of absorption of the employee of the merged State, will be treated as permanent on that date if they are confirmed subsequently but with effect from a retrospective date not later than the date of absorption.

NOTE—In deterimining which of the two given services is higher and which is lower, the scale or rate of pay attaching to the service will be the determining factor, other things being equal or indeterminate.

A. N. JHA,
Chief Secretary to Government,
Uttar Pradesh.

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८९६ पर]

तालिका

क्रम-संख्या	विकास खंड का नाम		वर्ष बार पानी पीने के कुओं के निर्माण की संख्या						वर्ष बार हैन्डपाइप लगाने की संख्या					
			वर्ष सन् १९५७	वर्ष सन् १९५८	वर्ष सन् १९५९	वर्ष सन् १९६०	वर्ष सन् १९६१	कुल की संख्या	वर्ष सन् १९५७	वर्ष सन् १९५८	वर्ष सन् १९५९	वर्ष सन् १९६०	वर्ष सन् १९६१	कुल लगे हैंडपाइप की संख्या
१	मछलीशहर	..	३	७	३३	५	५	५३	२	१३	७	..	..	२२
२	रामपुर	..	१२	२९	३४	३३	४२	१५०	२१	२६	७	१२	३०	९६
३	मडियाहूं		१६	१४	१५	१०	१३	६८	१९	९	५	५	१६	५४
४	डोभी	..	४६	३२	२१	५१	४२	१९२	६	१२	३६	७९	..	१३३
५	केराकत	..	६	६	१६	५७	९३	१७८	२१	३	५	२	१	३२
६	जलालपुर	..	३	२	४	१३	३१	५३	९	२	..	..	..	११
७	शाहगंज		१२	१२	८	१२	५	४९	३७	१०	५	२९	..	८१
८	बदलापुर	..	..	१४	२	६	३२	५४	१५	७	१	८	२७	५८
९	सुदआ कला	..	२	३	४	१	२	१२	३	५	१	३	१२	२४
१०	धर्मापुर	..	७	१२	१२	३०	८२	१४३	५	३	१	५	८	२२
११	कंजरकला	..	४	६	११	१२	२१	५४	३	१	१	४	..	९
१२	शिकरारा	..	..	५	६	१	२१	३३	६	१	..	१	१	९
१३	मुगरा बादहशाहपुर	..	२०	११	७	३८	३	५९	१४	३	२	२	..	२९
	योग	..	१३१	१५३	१७३	२४९	३९२	१,०९८	१६१	९५	७१	१५०	९५	५७२

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ ६०७ पर)

जिला फैजाबाद में अपराध स्थिति सुधारने के लिये निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :—

(१) डकैतियों से संबंधित अपराधियों की गिरफ्तारी ।

(२) सिविल पुलिस तथा सशस्त्र पुलिस द्वारा गश्त बढ़ा दी गई है ।

(३) जाब्ता फौजदारी की धारा ११० के अन्तर्गत कार्यवाही की गई ।

(४) जब्ता फौजदारी की धारा १६९ के अन्तर्गत छोड़ा गये डकैतियों के अभियुक्तों की निगरानी शुरू की गई ।

(५) इण्टर डिस्ट्रिक्ट जनरल पैट्रोलिंग गजटेड अफसरों द्वारा चेक की जाती है ।

(६) जाब्ता फौजदारी की धारा १०७ तथा ११७ के अन्तर्गत शान्ति भंग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अधिक कार्यवाही की गई ।

(७) ग्राम सुरक्षा समितियों का पुनःसंगठन किया गया तथा उन्हें डाकुओं से लड़ने की ट्रेनिंग दी गई ।

(८) पुलिस के राजपत्रित पदाधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा करते हैं । ताकि ग्रामीण अपराधियों के संबंध में उन्हें पूर्ण सूचना मिले और उन क्षेत्रों की जनता में विश्वास स्थापित हो ।

———

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६११ पर)

श्रीमान् थाना इन्चार्ज महोदय,
थाना गोसाईगंज, जिला लखनऊ ।

सेवा में,

सविनय निवेदन है कि प्रार्थी छविनाथ ग्राम मदुआ, जिला लखनऊ का निवासी है । मेरी बहन ग्राम अदनापुर में श्रीराम चमार को ब्याही थी ।

जो कि ता० १५-३-१९६२ को वहां से गायब हुई । दूसरे दिन ता० १६-३-१९६२ को उसी लड़की का जेठ तथा सास हमारे घर पहुंचे और पूछा कि यहां पर तुम्हारी बहन तो नहीं आई । तो हम लोगों ने कहा कि यहां नहीं आई है ।

तो प्रातः ता० १७-३-१९६२ को श्री राम हमारे घर पहुंचे और यह कहने लगे कि हमारे यहां पर एक बदमाश रहता है उसी ने शायद मार डाला हो, मार कर नहर में डाल दिया हो । उसी दिन लगभग दो बजे दिन में नहर से हरदोइया के पुल में लाश बरामद हुई परन्तु हम लोगों को कोई समाचार तक न दिया, उसी रात में लाश दफन करने के लिये आस-पास के गांवों के अपने बिरादरियों को बुलाने गये तो हरदोइया के ओरी चमार ने यह कहा कि लाश रात में नहीं दफन होगी । सुबह होते ही श्रीराम वगैरा ने चिता लगा कर मिट्टी का तेल डाल कर फूंक रहे थे तब हम लोग पहुंचे और पूछा कि यह लाश कैसे दफन हुई तब उन लोगों ने कहा कि इसका पंचनामा हो गया है । तुम लोग इसके कौन होते हो । तब हम लोग वहां के प्रधान जो मितौली में रहते थे तो वहां गये और पूछा तो प्रधान ने कहा कि हमें कुछ नहीं मालूम क्या हुआ । और उप प्रधान से भी यह मालूम हुआ कि कुछ नहीं मालूम क्या क्या हुआ है । जो केस हुआ वह लड़की गर्भवती थी । श्रीराम की बातों से यह मालूम हुआ कि यह केस स्वयं श्रीराम ने किया है, गांव में इस बात का पूरा शोहरा हो गया है कि पुलिस ने दबा दिया है ।

अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि इस कतल केस की उचित देख-रेख करके आगे बढ़ाने का कष्ट करें अति कृपा होगी ।

प्रार्थी
न० ज० छविनाथ चमार, गांव भदुवा, थाना गोसाईं-गंज, लखनऊ ।

दिनांक २५-३-१९६२

परथी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९१२ पर)

रिपोर्ट का विवरण

दिनांक ३०-९-१९६२ ई० को १७.३० मिनट पर श्री गंगासिंह पुत्र शहजादेसिंह निवासी रावतपुर, थाना सेहरा मऊ साऊथ ने कोतवाली शहजहांपुर में इस आशय की एक तहरीरी रिपोर्ट दी कि ३०-९-१९६२ को १० बजे दिन अदालत पंचायत नासिया के सरपंच का चुनाव ब्लाक दफ्तर मुहल्ला तारीन बहादुरगंज में था। वादी मय भबूती काछी के सुबह ही मकान से चलकर ग्राम ददऊ इलाका सेहरामऊ साउथ के रेलवे फाटक पर पहुंचा कि रास्ते में उन्हे मगरे पुत्र डम्भर, मौजा बन्दरिया व फकीरे शाह ग्राम सिमराह, मिले तथा उसके साथ हो लिये। जब वे नहर की पुलिया पर पहुंचे तो पुलिया पर उन्हे लालाराम, रामप्रकाश राममिलन पुत्र रामेश्वर दयाल, साकिनान ग्राम नौसिया, थाना सेहरामऊ साऊथ व श्यामनरायन, पंचायत सेक्रेटरी जो लालाराम, के मकान पर रहते हैं मय और २ आदमियों के जिनके नाम व पते वादी को मालूम नहीं है परन्तु सामने आने पर वे इन दोनों आदमियों की शिनाख्त कर सकते हैं मिले। वादी ने इन व्यक्तियों में से लालाराम के हाथ में राइफल, रामप्रकाश के हाथ में बन्दूक तथा अन्य के पास लाठी डंडा होना बतलाया। डराने के लिए उन्होंने हवाई फायर किये और मगरे को धमकाते हुए जबरदस्ती ग्राम नौसिया ले गये, और दोपहर तक बिठलाये रक्खा और कहा कि जरा भी कोई उठा तो गोली मार देंगे। जब तक वह ग्राम पंचायत के पंच नहीं बन जायंगे तब तक कोरम पूरा होने न देंगे। बाद में बड़ी मुश्किल से थोड़ा भागते हुए ब्लाक में पहुंचे तो पता चला कि आज चुनाव नहीं होगा। वादी की यह भी तहरीर थी कि उन लोगों की तरफ से उन्हें आगे भी खतरा है।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६१४ पर)

सन् १९६१–६२ के सीजन में सहकारी गन्ना समिति, ऐरा द्वारा चन्दपुरा तथा रमियाबेहड के सेन्टरों से गन्ने के किसानों के जो सटटे किये गये तथा उसमें से जितने किसानों ने जितनी मात्रा में उक्त दोनों सेन्टरों तथा गेट पर जो गन्ना सप्लाई किया उनके आंकड़े नीचे दी गई तालिका में दिये जा रहे हैं:—

क्रम-संख्या	नाम सेन्टर	संख्या सटटा उन किसानों			गन्ने की मात्रा जो सप्ताई हुआ		
		उन किसानों की जिनके सट्टे किये गये	किये गये गन्ने की मात्रा	की संख्या जिन्होंने गन्ना सप्लाई किया	सेन्टर पर	ऐरा गेट पर	योग
			मन		मन	मन	मन
१	जटपरवा ..	२९१	५०,०००	११८	४,०५१	२७,०१६	३१,०६७
२	रमियां बेहड़ (चन्दपुरा)	२४१	३०,०००	९८	६,३४६	४,६९९	११,०४५
	योग ..	५३२	८०,०००	२१६	१०,३९८	३१,७१५	४२,११२

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६१५ पर)

गत ५ वर्षों में हमीरपुर जिले में हुए कत्ल की घटनाओं का प्रति वर्ष विवरण

	१९५७	१९५८	१९५९	१९६०	१९६१
१—कत्ल की संख्या ..	३१	४०	४५	४४	५१
२—कत्ल के मामले जिनमें कातिलों का कोई पता नहीं चला ..	१३	९	१३	१०	११
३—मामले जिनमें पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी ..	१३	९	१३	१०	११
४—अभियोग जिनमें अभियुक्त बरी हुये	७	२०	१७	२५	२३
५—कितने अभियुक्तों को कितने अभियोगों में जेल की सजा हुई अभियोग	७	१०	११	७	९
अभियुक्त	१९	२४	४९	२५	२३
६—अभियोगों की संख्या जिन में फांसी की सजा हुई ..	४	१	४	२	२
७—अभियोगों की संख्या जो अदालतों में चल रहे हैं					३

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६१७ पर)

वित्तीय वर्ष १६५६–६० में इस जिले के निम्नलिखित विकास क्षेत्रों में किसान मेले हुये तथा उनमें व्यय किये गये धन का विवरण इस प्रकार है :—

ब्लाक का नाम	सरकारी अनुदान	जनता का अनुदान
	रु०	रु०
१—सलोन	६००.००	८११.००
२—हरचन्दपुर	४४२.६१	४६३.००
३—महराजगंज	५७१.८६	..
४—डलमऊ	५००.००	५३७.००
५—नसीराबाद	५००.००	५००.००
६—सतांव	४३५.८६	१७०.००
७—बछरांवां	६२७.५४	६५०.००
	३,६७७.६०	३,१३१.००

नत्थी 'म'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९१८ पर)

उत्तर प्रदेश में खांडसारी अधिकारियों की संख्या तथा क्षेत्र

क्रम-संख्या	क्षेत्रीय अधिकारी	क्षेत्रीय मुख्यालय	क्षेत्र	अतिरिक्त खांडसारी अधिकारी	खाण्डसारी निरीक्षक
१	खांडसारी अधिकारी (हेड क्वार्टर्स)	लखनऊ ..	उन्नाव, कानपुर तथा बांदा के जिले ..		..
२	गन्ना निरीक्षक एवं खांडसारी अधिकारी ..	सहारनपुर	देहरादून, सहारनपुर तथा मुजफ्फरनगर के जिले	१	१२
३	गन्ना निरीक्षक एवं खांडसारी अधिकारी	मुरादाबाद	मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर तथा नैनीताल के जिले ..	१	१०
४	गन्ना निरीक्षक एवं खांडसारी अधिकारी	मेरठ ..	मेरठ तथा बुलन्दशहर के जिले ..	१	९
५	गन्ना निरीक्षक एवं खांडसारी अधिकारी	बरेली	बरेली, पीलीभीत, बदायूं, एटा तथा फर्रुखाबाद के जिले	१	७
६	गन्ना निरीक्षक एवं खांडसारी अधिकारी ..	सीतापुर	लखीमपुर, शाहजहांपुर, हरदोई, सीतापुर तथा बाराबंकी के जिले ..	१	६
७	गन्ना निरीक्षक एवं खांडसारी अधिकारी	देवरिया ..	देवरिया, आजमगढ़ बलिया, वाराणसी तथा गाजीपुर के जिले		२
८	गन्ना निरीक्षक एवं खांडसारी अधिकारी	गोंडा ..	गोंडा, फैजाबाद, जौनपुर, बहराइच तथा सुल्तानपुर के जिले		१
९	गन्ना निरीक्षक एवं खांडसारी अधिकारी	गोरखपुर	गोरखपुर तथा बस्ती के जिले		१
१०	खांडसारी अधिकारी	अलीगढ़ ..	आगरा, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़ तथा इटावा के जिले		१
११	खांडसारी अधिकारी	इलाहाबाद	इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्जापुर, रायबरेली तथा प्रतापगढ़ के जिले		१

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९२२ पर)

सूची

गत तीन वर्षों में फैजाबाद जिले में निम्नांकित पांच स्थानों पर औषधालय स्वीकृत किये गये—

(१) वित्तीय वर्ष १९६०–६१	..	१ राजे सुल्तानपुर आयुर्वेदिक औषधालय २ गोसाईगंज एलोपैथिक स्त्री औषधालय
(२) वित्तीय वर्ष १९६१–६२	..	१ अकबरपुर एलोपैथिक स्त्री औषधालय २ मसोधा एलोपैथिक पुरुष औषधालय
(३) वित्तीय वर्ष १९६२–६३	..	१ पैकोली आयुर्वेदिक औषधालय

नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९३० पर)

तारांकित प्रश्न संख्या १४७ में उल्लिखित बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ के अस्थायी नर्सिंग स्टाफ की सूची

क्रम-संख्या	नाम		कार्य काल
१	कुमारी ओ० जोसेफ,	सिस्टर ट्यूटर	३ १/२ वर्ष
२	कुमारी सी० स्काट,	सिस्टर	३ वर्ष
३	कुमारी कमलादास,	स्टाफ नर्स	३ ३/४ वर्ष
४	कुमारी एल० एम० दास,	स्टाफ नर्स	९ माह
५	कुमारी जे० मित्रा,	स्टाफ नर्स	३ १/२ वर्ष
६	कुमारी एम० पीटर्स,	स्टाफ नर्स	३ वर्ष
७	श्रीमती डी० के० सिंह,	स्टाफ नर्स	५ वर्ष
८	श्रीमती डी० डी० रेन्सन,	स्टाफ नर्स	२ वर्ष
९	श्रीमती मीनाकुमारी मोहनराज,	स्टाफ नर्स	२ १/४ वर्ष
१०	कुमारी मीरा डे०,	स्टाफ नर्स	१ वर्ष ८ माह
११	श्रीमती ई० वाल्टर,	स्टाफ नर्स	१ वर्ष ८ माह
१२	कुमारी जे० सी० लाल,	स्टाफ नर्स	३ माह
१३	श्री गयासिंह,	वार्ड मास्टर	१-१-१९६२ से
१४	श्री हरीकिसन,	वार्ड मास्टर	१-१-१९६२ से

नत्थी 'ठ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९३१ पर)

गिरफ्तार व्यक्तियों की जिलेवार तालिका

१—हरदोई	..	५५	२३—जौनपुर	..	८
२—जालौन	..	१२	२४—एटा	..	२
३—रायबरेली	..	१६	२५—सीतापुर	..	४९
४—शाहजहांपुर	..	४	२६—बाराबंकी	..	१
५—बरेली	..	२५	२७—झांसी	..	२०
६—खीरी	..	५२	२८—बांदा	..	३८
७—बनारस	..	४८	२९—बलिया	..	७
८—लखनऊ	..	१२	३०—अलीगढ़	..	२९
९—गोंडा	..	३३	३१—उन्नाव	..	१५
१०—इलाहाबाद	..	१७	३२—बुलन्दशहर	..	१
११—गोरखपुर	..	२३	३३—प्रतापगढ़	..	७५
१२—बस्ती	..	३०	३४—मथुरा	..	७
१३—गाजीपुर	..	२	३५—कानपुर	..	१८
१४—देवरिया	..	३२	३६—मुरादाबाद	..	१
१५—रामपुर	..	१५	३७—बहराइच	..	१३
१६—सुल्तानपुर	..	२१	३८—मेरठ	..	२२
१७—फैजाबाद	..	७	३९—देहरादून	..	४
१८—आगरा	..	१६	४०—जालधर (पश्चिमी पंजाब)		१
१९—मैनपुरी	..	१५	४१—चम्पारन (बिहार)	..	२
२०—आजमगढ़	..	११			
२१—पीलीभीत	..	२१			७८५
२२—मिर्जापुर	..	५			

नत्थी 'ड'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ११–१२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९३५ पर)

सूची 'क'

राजकीय हाथी दांत प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र रामनगर, वाराणसी

प्रथम बच	..	१–११–१९५१ से	३१–१०–१९५४ तक ६ क्षात्र
द्वितीय बैच	..	१–९–१९५५ से	३१–८–१९५८ तक ५ क्षात्र
तृतीय बैच	..	१–१२–१९५८ से	३१–११–१९६१ तक ५ क्षात्र
			योग . . १६ क्षात्र

	उत्पादन रु०
१९५६–५७	५२९.७१
१९५७–५८	१,३२७.६९
१९५८–५९	१,३२२.९०
१९५९–६०	१,३१८.१८
१९६०–६१	१,६६०.३४
१९६१–६२	१,३०७.१८
	(३०–११–१९६१ तक)

सूची 'ख'

राजकीय लकड़ी खिलौना प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र खोजवां, वाराणसी

वर्ष	शिक्षार्थी जो शिक्षा पाये	उत्पादन	
		रु०	
१९४७–४८	१४	..	
१९४८–४९	२०	..	
१९४९–५०	२५	२,१०६.८४	डी० सी०
१९५०–५१	१४	४,६३१.७५	
१९५१–५२	११	३,६६१.५३	
१९५२–५३	१५	८,६६५.२२	
१९५३–५४	१२	१२,००१.८५	
१९५४–५५	११	१९,२२१.८४	
१९५५–५६	५	१२,१४६.८४	
१९५६–५७	..	५७.८४	हैन्डी क्राफ्टस
१९५७–५८	८	४३२.९९	
१९५८–५९	१५	७१७.६०	
१९५९–६०	..	..	
१९६०–६१ ..	..	..	

नत्थी 'ढ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९३७ पर)

उन नगरों की नामावली जिनका विद्युतीकरण हो चुका है

१—बहरी .. .. ५—झिनझाना
२—वनात .. .. ६—माजू
३—कुदाना .. .. ७—बाबरी
४—पिन्ना .. .. ८—मोपा क्लान

उन नगरों की नामावली जिनका विद्युतीकरण चालू वित्तीय वर्ष में होने की सम्भावना है

१—लिलौन .. .. ९—ऊन
२—भूरा क्लान .. .. १०—लांक
३—खंडरौली .. .. ११—लिसहरा
४—सिसौली .. .. १२—फुगना
५—आलम .. .. १३—ताजपुर
६—भूरा .. .. १४—बरबाला
७—करौदा .. .. १५—हरसोली
८—हररा फतेहपुर .. .. १६—गोयला

नत्थी 'ण'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ३२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९३८ पर)

कितने लोगों को				कितना रुपया	किस कार्य के लिये
				रु०	
२९	..	..	..	७४,८३०	व्यक्तिगत छोटा नलकूप
९८	..	..	..	४९,३२०	सिंचाई कूप निर्माण
१५	..	..	..	४,६२५	,,
३	..	..	..	१,२२५	रहट
२०	..	..	..	१,५००	चैफ कटर
१६५				१,३१,५००	

नत्थी 'त'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ ९३९ पर)

दौरा प्रोग्राम बाबत माह अगस्त, १९६२ दिनांक १६ से ३१-८-१९६२ श्री रामजुड़ावन पांडेय सं० वि० अ० (सह०), जामों

दिनांक	जाने का स्थान		कार्य किया जायगा	रात्रि निवास
१६-८-१९६२	माऊपुर तथा जामोसंघ		समिति का मुआइना व जामों का नया खरीफ अभियान की प्रगति देखने ।	नाऊपुर
१७-८-१९६२	निवास स्थान	..	पंचायत का चुनाव	निवास स्थान
१८-८-१९६२	निवास स्थान	..	पंचायत का चुनाव	निवास स्थान
१९-८-१९६२	निवास स्थान	..	पंचायत का चुनाव	निवास स्थान
२०-८-१९६२	शिवपुर	..	समिति का मुआइना तथा खरीफ अभियान	शिवपुर
२१-८-१९६२	डेबरा	..	समिति का मुआइना तथा खरीफ अभियान	डेबरा
२२-८-१९६२	जन्माष्टमी की छुट्टी			
२३-८-१९६२	जन्माष्टमी की छुट्टी			
२४-८-१९६२	इटरौरा	..	मुआइना तथा खरीफ अभियान की प्रगति तथा खाद बिक्री देखने ।	इटरौरा
२५-८-१९६२	हंसवा सुबरन	..		
२३-८-१९६२	हरिगांव	..	खाद के हिसाब का जांच तथा निरीक्षण ।	हरिगांव
२७-८-१९६२	गोरियाबाद	..	खाद की जांच तथा मुआइना	मोरियाबाद
२८-८-१९६२	दल्तनकटारी	..	समिति का निरीक्षण व खाद की बिक्री की जांच	कटारि
२९-८-१९६२	नन्दगांव धनेपुर	..	समिति का निरीक्षण व खाद की बिक्री की जांच	धनेपुर
३०-८-१९६२	निवास स्थान	..	स्टाफ मीटिंग	.. निवास स्थान
३१-८-१९६२	निवास स्थान	..	स्टाफ मीटिंग	.. निवास स्थान

एप्रूव्ड :

(ह०) यू० एस० श्रीवास्तव।

(ह०) रामजुड़ावन पांडेय,
सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता),
१९-८-१९६२ ।

श्री रामजुड़ावन पांडेय, सहायक विकास अधिकारी, सहकारिता जामें का दौरे का प्रोग्राम बाबत माह, सितम्बर, १९६२, दिनांक १ से १५-९-१९६२

दिनांक	स्थान जहां के लिये जाना है		कार्य किया जायगा	रात्रि निवास
१-९-१९६२	हेडक्वार्टर	..	स्टाफ मीटिंग	..
२-९-१९६२	दतनपुर	..	निरीक्षण तथा रबी अभियान	दतनपुर
३-९-१९६२	गौरा	..	निरीक्षण तथा रबी अभियान	गौरा
४-९-१९६२	सुल्तानपुर	..	ए० आर० कटानि मीटिंग	सुल्तानपुर
५-९-१९६२	सुल्तानपुर	..	ए० आर० कटानि मीटिंग	सुल्तानपुर
६-९-१९६२	हेडक्वार्टर	..	आफिस कार्य	.. हेडक्वार्टर
७-९-१९६२ से ९-९-१९६२			गजटेड अवकाश	
१०-९-१९६२	सिरखैरी	..	निरीक्षण तथा खरीफ अभियान	सिरखीरी
११-९-१९६२	लालगढ़ी शाहपुर	..	निरीक्षण तथा खरीफ अभियान	लालगढ़ी
१२-९-१९६२	बहादुर वसूलपूर	..	निरीक्षण तथा खरीफ अभियान	कमनापुर
१३-९-१९६२	मुसाफिरखाना	..	ए० आर० स्टाफ मीटिंग	मुसाफिरखाना
१४-९-१९६२	हेडक्वार्टर	..	आफिस कार्य	
१५-९-१९६२	हेडक्वार्टर	..	स्टाफ मीटिंग	

एप्रूव्ड,
(ह०) ए०एस० श्रीवास्तव,
बी० डी० ओ०, जामों ।

(ह०) रामजुड़ावन पांडेय,
सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता),
१४-८-१९६२ ।

नत्थी 'थ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३६ पर)

क्रम-संख्या	उद्योग का नाम	१९५७–५८		१९५८–५९		१९५९–६०		१९६०–६१		१९६१–६२	
		ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
		रु०	०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
१	मूंज निर्माण	३००.००	..	..	..	१७,०००.००	..	५,४५०.००	..	..	..
२	साबुन उद्योग	१,०००.००	..	..	..	..	..	..	..	..	..
३	लोहे के हल निर्माण	७००.००	..	..	..	..	..	..	..	..	..
४	चूना निर्माण	२,०००.००	..	..	..	..	..	..	..	..	..
५	फर्नीचर	१३,६००.००	..	२,०००.००	..	५,८००.००	३००.००	७,७५०.००	..	१८,०००.००	..
६	जूता निर्माण	५,५००.००	..	४६,०००.००	२,८००.००	९,६००.००	३००.००	९,८००.००	..	८,७५०.००	..
७	औषधि निर्माण	१,२००.००	..	४,०००.००	..	१,०००.००	..	५,०००.००	..	६,०००.००	..
८	चर्म शोधन	१,४००.००	..	२२,८००.००	२,४००.००	८,२७५.००	१३,१२५.००	..	२,०००.००	९,२७५.००	१३,१२५.००
९	मोम बत्ती निर्माण	१,८००.००	..	..	..	..	..	..	..	..	..
१०	गुड़ खांडसारी उद्योग	..	८,६४७.५०	५,०००.००	७,४२०.००	..	..	..	३००.००	..	..
११	बिस्कुट निर्माण	..	..	५००.००	..	..	..	..	..	..	..
१२	डेरी उद्योग	..	..	२,५००.००	..	४,०००.००	..	१,५००.००	..	२०००.००	..

अतारांकित प्रश्न

क्रम-संख्या	उद्योग का नाम	१९५७–५८		१९५८–५९		१९५९–६०		१९६०–६१		१९६१–६२	
		ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
		रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
१३	हेयर आयल निर्माण	..	..	१,५००.००	..	..	..	..	..	..	..
१४	ग्लास उद्योग	..	..	४,०००.००	..	३,०००.००	..	..	..	..	..
१५	रंगाई व छपाई	..	..	१,०००.००	..	..	..	१,५००.००	..	५००.००	..
१६	हारमोनियम निर्माण	..	..	२,०००.००	..	..	..	..	..	..	..
१७	ताला निर्माण	..	..	२,५००.००	..	..	..	२,५००.००	..	..	..
१८	चलनी निर्माण	..	..	७००.००	..	..	..	..	..	..	..
१९	हवन सामग्री	..	..	५,०००.००	..	..	..	..	..	..	..
२०	फेब्रीकेशन उद्योग	..	..	१०,०००.००	..	..	..	..	..	..	..
२१	सीमेन्ट जाली निर्माण	..	..	३,०००.००	..	..	..	..	..	२,०००.००	..
२२	गुड़ उद्योग	..	..	५,०००.००	..	..	..	४,६७५.००	३,३१६.००	९,०००.००	१,०००.००
२३	धान कुटाई उद्योग	..	..	५,०००.००	..	७,०००.००	..	१६,८७५.००	१,५००.००	२,०००.००	१,५००.००
२४	तेल उद्योग	..	..	२०,७७५.००	३,८००.००	३,६५०.००	..	..	..	१,९७७.५०	३,०४०.००
२५	इंजीनियरींग	..	..	..	..	२७,५००.००	..	५,५००.००	..	१४,०००.००	..
२६	स्याही निर्माण	..	..	..	..	५,५००.००	..	..	..	..	..
२७	तारकसी उद्योग	..	..	..	..	७००.००	..	..	..		..
२८	हड्डी की खाद	..	..	..	..	..	..	२,०००.००		७,४००.००	..

अनुपूरक विधान सभा

२९	खांडसारी शुगर ..	..	..	..	..	..	..	७,०००.००	..	२,०००.००	..		
३०	बिजली का सामान ..	..	..	..	..	..	..	४,०००.००	..	..	..		
३१	प्लास्टिक उद्योग ..	..	..	..	..	..	..	२,०००.००	..	..	..		
३२	सिलाई उद्योग ..	..	..	..	..	..	..	..	३००.००	२५०.००	..		
३३	हथकरघा वस्त्र उद्योग ..	..	..	..	..	..	..	१३,१०३.७५	३,३३९.००	..	..		
३४	ट्यूबवेल वासर रहट ..	..	..	..	..	..	..	..	..	१०,०००.००	..		
३५	ग्लास वीड्स उद्योग ..	..	..	..	..	..	..	..	..	७५०.००	..		
३६	कढ़ाई उद्योग ..	..	..	..	..	..	..	..	..	३,५००.००	..		
३७	गिलट का तार ..	..	..	..	..	..	..	..	..	६,०००.००	..		
३८	टीन बक्स निर्माण ..	..	..	..	..	..	..	..	..	२,०००.००	..		
३९	ब्रुस निर्माण ..	..	..	..	..	..	..	..	..	२,६००.००	..		
४०	सुगर फैक्टरी ..	..	..	..	..	..	..	..	..	१,००,०००.००	..		
योग ..		२७,५००	८,६४७.५०	१,४३,२७५.००	१६,४२०	६५,०२५.००	१३,७२५.००	८८,४५३.७५	१०,७५५.००	२,०७, ६३२.००	१८,६६५.००		
												६,३०,३६८.२५	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'थ' (क)

(देखिये अतारांकित प्रश्न ६२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९४४ पर)

शासकीय आदेश संख्या १८५६–ई० एल/२३–पी० बी, दिनांक २६ जून, १९६२ तथा शासकीय आदेश संख्या १८९९–ई–एल/२३ पी–बी––४ ई एल–६२, दिनांक ७ जुलाई, १९६२ द्वारा अपेक्षित, श्री अमरनाथनागर, प्रधान मंत्री, बिजली उपभोक्ता संघ मिर्जापुर के २४ मई, १९६२ के पत्र में उल्लिखित प्रश्नों तथा परिवादों के उत्तर।

.....

इस मामले की जांच, कम्पनी के मिर्जापुर स्थित कार्यालय में, उसके १९६०–६१ के लेखों की लेखा परीक्षा के दौरान में, जुलाई, १९६२ के तीसरे हफ्ते में की गई और निम्नलिखित विचार प्रकट किये गये :

'नत्थी ४' बी प्राविधिक––

मद ४ और ५––यहां परिवादी द्वारा उठाया गया प्रश्न एक गलत धारणा पर आधारित है, ९६० किलोवाट बिजली उत्पादित नहीं की गई, बल्कि यह उत्पादन संयंत्र (Generating Plant) की अधिष्ठापित क्षमता (Installed Capacity) है जैसा कि विवरण-पत्र में दिये गये संगत मुद्रित शीर्षक से स्पष्ट है। इसलिये परिवादी की यह आपत्ति ठीक नहीं है।

मद ६ से १३––यह परिवाद इस कारण है कि परिवादी को जो विवरण-पत्र दिया गया उसमें छापे की भूल रह गई क्योंकि उसमें लाइन सम्बन्धी हानियां (Lime Losses) ५,२६,१७१ यूनिटों के बजाय गलती से टाइप होकर २,२६,१७१ यूनिट हो गई और इस कारण ३ लाख यूनिटों का अन्तर हो गया जैसा परिवादी ने बताया है। किन्तु लाइन सम्बन्धी हानियां पिछले वर्ष के १७.९५ प्रतिशत की तुलना में, जिस पर कि पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में आपत्ति की गई थी, १९६०–६१ में लगभग १६ १/२ प्रतिशत हुई हैं। लाइन सम्बन्धी हानियां अब भी अधिक हैं और इस ओर सम्बन्धित रेजिडेंट इंजीनियर का ध्यान आकर्षित किया जायगा।

मद १४ (ए)––ईंधन अर्थात् वाष्प शक्ति के उत्पादन के लिये काम में लाये गये कोयले की कुल लागत विवरण-पत्र ४ के स्तम्भ बी (ए) (१) में १,५४,७७७ रुपय दी गई है।

मद १४ (३)––३७.२३ रुपये प्रति टन का जो औसत मूल्य निकाला गया है Worked-out वह ठीक है।

मद संख्या १४ (बी) (३) (१)––ईंधन तेल का प्रति लिटर मूल्य ३० नये पैसे है जैसा कि लाइसेंसदार के लेखे से स्पष्ट है।

मद १४ (बी) (१)––५,८९,४०२,५६६ लिटर तेल की जो खपत हुई उसका कुल मूल्य विवरण-पत्र ४ के स्तम्भ सी (ए) (१) में १,७९,४९५ रुपये दिया गया है।

मद १५ (ए)––लूब्रिकेटिंग तेल की जितनी खपत हुई उसका कुल मूल्य विवरण-पत्र (४) की मद बी (ए) (२) में १०,५६५ रुपये और मद सी (ए) (२) में २०,८६२ रुपये दिया गया है जिसका योग ३१,४२७ रुपये होता है।

नत्थी ४-बी वित्तीय––

मद ४––पूंजी व्यय के ब्योरे विवरण पत्र २ में दिये गये हैं।

मद ५––मूल पूंजी (Capital base) इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, १९४८ की छठी अनुसूची में दिये गये सूत्र (formula) के अनुसार निकाली जाती है न कि अंश पूंजी के अनुसार।

परिवाद का पृष्ठ ३

रिहन्द से बिजली प्राप्त होने पर नई व्यवस्था के अन्तर्गत—

(१) शेफ्टन मिलों को वाष्प सप्लाई करने के लिये अब केवल एक ब्वायलर चल रहा है। प्रबन्ध निदेशक ने यह बताया था कि उस पर होने वाले व्यय के लेखे विद्युत् सप्लाई व्यापार सम्बन्धी लेखे से अलग रखे जायंगे। लाइसेंसदार ने केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग से यह अनुरोध किया था कि १ अप्रैल, १९६२ से कोयले का परमिट रद्द कर दिया जाय क्योंकि राज्य विद्युत् परिषद् के आदेशानुसार बिजली उत्पादन केन्द्र (Generating station) को ३१ मार्च, १९६२ से बन्द किया जाने वाला न्यू मानजून कोल कम्पनी लिमिटेड के मैनेजिंग एजेन्ट्स मेसर्स ओक्टेविअस स्टील कम्पनी लिमिटेड को पत्रों तथा तार द्वारा यह सूचित किया गया था कि वे बिजली उत्गादन केन्द्र के बन्द हो जाने पर कोयले की सप्लाई बन्द कर दें। इसके अतिरिक्त बिजली का उत्पादन बन्द किये जाने के फलस्वरूप कुल १३४ कर्मचारियों में से ५२ कर्मचारियों की मार्च, १९६२ से छटनी कर दी गई।

(२) ३६० के० डबलू० मीरल्से ब्रश डीजल जेनरेटिंग सेट शा वाल्से ऐण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता को १,६५,००० रु० में बेचा गया था न कि ३,८०,००० रुपये में, जैसा कि परिवाद में कहा गया है। बेचे गये जेनरेटिंग सेट का मूल्य आगामी लेखे में मूल पूंजी (Capital bare) में शामिल नहीं किया जायगा। तीन वाष्प तथा एक डीजल बिजली उत्पादन सेट और तीन ब्वायलरों के बारे में यह कहा गया था कि उन्हें अभी बेचना बाकी है और यह कि उसके सम्बन्ध में बातचीत चल रही है। कहा जाता है कि शेफ्टन मिलों को वाष्प सप्लाई करने के लिये अब केवल एक ब्वायलर चल रहा है जिसके (शेफ्टन मिलों के) लेखे, जैसा कि पहले कहा गया है, अलग रखे जायंगे क्योंकि लेखा परीक्षा में यही कहा गया है।

(३) शेफ्टन मिलों को की जाने वाली वाष्प सप्लाई पर मीटर लगा है और जितनी सप्लाई होती है उसका मूल्य वसूल किया जाता है। इस सम्बन्ध में शेफ्टन मिल्स से १९५९–६० में १३,२६५.०० रुपये की धनराशि तथा १९६०–६१ में १०,७६०.०० रुपये की धनराशि वसूल की गई थी जैसा कि वार्षिक स्थिति पत्रक (balance sheet) से पता चलता है।

(४) लाइन सम्बन्धी हानियों पर इस रिपोर्ट में पहले ही टीका की जा चुकी है।

(५) मैनेजिंग एजेंट्स कोई भी नहीं हैं, लेकिन निर्देशक मंडल (Bord of Directors) हैं। उन्हें दिया जाने वाला कार्यालय भत्ता तथा कार्यालय सम्बन्धी पारिश्रमिक इलेक्ट्रिसिटी (एस) ऐक्ट, १९४८ की छठी अनुसूची के अन्तर्गत निकाला जाता है और उनकी कुल धनराशि विवरण-पत्र ४ में दी गई है। जो शुल्क Fee और यात्रिक भत्ता उन्हें दिया गया उसका ब्योरा अभिलेख (रेकार्ड) में है और उनकी कुल धनराशि भी विवरण-पत्र ४ में दी हुई है। इन कुल व्ययों का कोई ब्योरा विवरण-पत्र ४ में देना अपेक्षित नहीं है।

(६) यह ऊपर दी हुई मद १ के अन्तर्गत आ जाता है।

(७) परिवादी (Complinant) द्वारा तैयार की गई किसी स्थिति पत्रक की कोई प्रतिलिपि परिवाद (Complaint) के साथ संलग्न नहीं की गयी है।

रिहन्द द्वारा २० फरवरी से ३१ मई, १९६२ तक बिजली ५ नये पैसे प्रति यूनिट की दर से दी गयी और इसके बाद १ जून से २५ जून, १९६२ तक के २५ दिनों की अवधि की अधिकतम मांग के आधार पर लगाये गये हिसाब से लगभग ८.९२ नये पैसे प्रति यूनिट की दर से दी गयी। लाइसेंसदार द्वारा लागू की गई दरों की उपयुक्तता पर पृथक से टीका की जा रही है।

संपरीक्षा अधिकारी (Audit officer) ने जांच के दौरान में मिर्जापुर में श्री अमरनाथ नागर से सम्पर्क स्थापित किया जैसा कि दिनांक ७ जुलाई, १९६२ के उपर्युक्त सरकारी आदेश में अपेक्षा की गयी थी और उन्हें उपर्युक्त बातें बतायीं ।

(ह०) एस० एम० असकरी,
संपरीक्षा अधिकारी ।
७-७-१९६२

नत्थी 'द'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ७२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४६ पर)

१—जिला पौड़ी गढ़वाल—

(१) एक पिलग्रिम शेड श्रीनगर में।

(२) एक पिलग्रिम शेड रुद्रप्रयाग में (निर्माण अवस्था में)।

२—जिला टेहरी गढ़वाल—

(१) एक लौंग केबिन नाग टीबा में।

३—जिला चमोली—

(१) एक लौंग केबिन विरहई।

(२) एक लौंग केबिन गोहना।

४—जिला उत्तर काशी—

(१) एक लौंग केबिन माला में

(२) ,, ,, ,, सूखी

(३) ,, ,, ,, ग्वालधाम

(४) ,, ,, ,, भैरोंघाटी

(५) ,, ,, ,, श्रोसला

(६) ,, ,, ,, गंगोत्री

(७) ,, ,, ,, हनुमान गंगा

(८) ,, ,, ,, हर की दून

(९) ,, ,, ,, डोडी ताल

(१०) ,, ,, ,, जम्नोत्री

(११) ,, ,, ,, पांडुकेश्वर (निर्माण अवस्था में)

(१२) ,, ,, ,, विश्राम गृह सहस्त्रधारा में।

५—जिला अल्मोड़ा—

(१) एक लौंग केबिन मटेला में।

(२) एक लौंग केबिन कापकोट में (पिंडारी के रास्ते पर)।

(३) एक सोने और नहाने के लिए कमरा बन विश्राम गृह के लिये सीतला खेत में।

(४) एक लौंग केबिन फुरकिया (पिंडारी के रास्ते पर)

(५) बिनसार में गर्मी के दिन के लिये एक शेड।

(६) तारीखेत में गांधी कुटी।

(७) जगेश्वर में एक विश्राम गृह।

(८) ताड़ीखेत में टूरिस्ट गृह।

नत्थी 'ध'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ८३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४७ पर)

ग्रामीण जन-शक्ति योजना के अन्तर्गत प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय चरणों में व्यय होने वाली धनराशि का जिलेवार विवरण

क्रम-संख्या	जिले का नाम	खर्च होने वाली धनराशि (लाख रुपये में)	अन्य विवरण
१	२	३	४
	प्रथम चरण		
१	मथुरा	७–००	
२	गोरखपुर	४–६७	यह योजना बाद में निरस्त कर दी गई।
		११–६७	
	द्वितीय चरण		
१	वाराणसी	६–१२२	
२	गाजीपुर	२–१०	
३	बलिया	५–७०	
४	आजमगढ़	६–६४	
५	देवरिया	७–००	
६	बस्ती	५–१५	
७	गोंडा	२–००	
८	फैजाबाद	४–५७	
९	बहराइच	२–००	
१०	इटावा	५–७५	
११	बाराबंकी	२–९४	
		५५–९७२	
	तृतीय चरण		
१	फैजाबाद	१०–९०	
२	गोंडा	१६–९७	
३	बहराइच	१३–२५	
४	सुल्तानपुर	३०–१२	
५	प्रतापगढ़	३–८२	
६	खीरी	६–९८	
७	उन्नाव	६–३२	
८	सीतापुर	६–१४	
९	गोरखपुर	१३–५०	

क्रम-संख्या	जिले का नाम			खर्च होने वाली धनराशि (लाख रुपयों में)	अन्य विवरण
१	२			३	४
१०	देवरिया	..	..	७७–९१	
११	बस्ती	..	..	४४–४८	
१२	आजमगढ़	..	..	१७–६३	
१३	आगरा	..	..	८–९३	
१४	अलीगढ़	..	..	३६–४६	
१५	रामपुर	..	..	१०–९०	
१६	मुरादाबाद	..	..	१२–७६	
१७	झांसी	..	..	३–३०	
१८	जालौन	..	..	५–६३	
१९	वाराणसी	..	..	१५–४८	
२०	गाजीपुर	..	..	११–१६	
२१	बलिया	..	..	१२–२६	
२२	जौनपुर	..	..	५–६०	
२३	मिर्जापुर	..	..	८–६५	
२४	इटावा	..	..	१–८६	
२५	बुलन्दशहर	..	..	२२–६५	
२६	मुजफ्फरनगर	..	..	१–६३	
				४०५–३०	

नत्थी 'न'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ६२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४६ पर)

थाना मूंढ़ा पांडे के क्षेत्र में मार्च, १९६२ से ३० नवम्बर, १९६२ तक स्वीकृत लाइसेंसों का ब्योरा

ग्राम		शस्त्र जिसके लिए लाइसेंस दिया गया
अहरोला	..	एक रिवाल्वर का लाइसेंस एक व्यक्ति को तथा एक दुनाली बन्दूक का लाइसेंस एक अन्य व्यक्ति को
इलर रसूलाबाद	..	एक दोनाली कारतूसी बन्दूक
जगरमपुरा	..	एक-एक रिवाल्वर का लाइसेंस दो व्यक्तियों को अलग-अलग
हिरन खेड़ा	..	एक दोनाली बन्दूक
मदनापुर	..	एक दो नाली बन्दूक
गुलरिया	..	एक दो नाली बन्दूक
चक मदनपुर	..	एक दो नाली बन्दूक
रामपुर वीला	..	एक नाली बन्दूक
आंवला पार	..	दो नाली बन्दूक
घोसीपुरा	..	दो नाली बन्दूक
मुडिया मलूकपुर	..	एक दोनाली बन्दूक
मानपुर पट्टी	..	एक दोनाली टोपीदार बन्दूक

नत्थी 'प'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १०१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६५० पर)

तालिका

१ जनवरी १६६० से २७ नवम्बर १६६२ तक।

जिला मुरादाबाद में घटित अपराध	पुलिस द्वारा चालान हुए मामलों की संख्या	सजायाब हुये मामलों की संख्या	रिहा हुए मामलों की संख्या	जेरे तजवीज मामलों की संख्या
कत्ल ..	१६१	२६	५६	७६
डकैती ..	६३	१५	२८	५०
राहजनी ..	७१	२३	२०	२८

नत्थी 'फ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १०६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९५१ पर)

प्रतिलिपि

श्री मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ ।
द्वारा श्री जिलाधीश देवरिया ।
महोदय,

हम देवरिया जिला के कोने कोने से आये किसान मजदूर जनपद में आने वाली तथा वर्तमान बाढ़ कटाव से पीड़ित एवं दुखी हैं । हमारा पूरा विश्वास है कि पानी और सांप बिला छेड़े काटते नहीं हैं, बाढ़ और कटाव सरकारी योजनाओं की अवैज्ञानिकता के कारण ही बढ़ते जा रहे हैं तथा नित्य बाढ़ें आने लगी हैं, बाढ़ की सारी जिम्मेदारी सरकार की है । सहायता नहीं के बराबर दी गयी है ।

दूसरी बात हम लोग यह रखना चाहते हैं कि १० बीघा से नीचे के किसानों को खाना, कपड़ा, पढ़ाई, दवाई, माकन, मरम्मत, सफर खर्च एवं नाते-रिश्तेदार के निमंत्रण देने के बाद बचता नहीं है, बल्कि पूरा भी नहीं होता है । ऐसी दशा में १० बीघा के किसानों से लगान मालगुजारी मांगना गुनाह है ।

तीसरी बात जिसकी ओर सरकार का ध्यान खींचना है वह यह कि किसानी पेशा आज घाटे का पेशा है । खेती के फसलों का दाम पैदावार के समय घट जाता है फलस्वरूप किसानों को सस्ता बेचना और महंगा अपना ही गल्ला खरीदना पड़ता है । मिल कारखाने की वस्तुयें तो बराबर महंगी होती जा रही हैं । जोतकर, बसकर, भवनकर व भूमिकर विधेयक के कानून बन जाने से ८० प्रतिशत गरीब जनता पर बज्रपात हो जावेगा ।

अस्तु, हम प्रदर्शन द्वारा इन तीनों बातों की ओर ध्यान खींचने वालों का सुझाव है कि निम्न मांगें पूरी की जायं:

मांगे

१—बढ़ाने वाले कर, बस कर, भवनकर, भूमिकर एवं जोतकर विधेयक तथा कानून वापस लिया जाय ।

२—अलाभकर जोत यानी १० बीघा से लगान मालगुजारी माफ किया जाय ।
३—बाढ़ कटाव को रोका जाय या नुकसान का पूरा पूरा मावजा दिया जाय ।
४—जन कल्याण कारी दाम नीति लागू किया जाय ।

आपके विनीत

हम हैं जिला के सो० तथा काश्तकार,
(ह०) चन्द्रबलीसिंह, स० वि० सभा ।

१—(ह०) रामायण यादव, मंत्री जिला सो० पार्टी, देवरिया ।
२—(ह०) उग्रसेन ।
३—(ह०) किसना ।
४—(ह०) रामायण ।
५—(ह०) सीताराम आर्य ।
६—(ह०) श्यामनारायण मिश्र ।
७—(ह०) आदि, आदि ।

नत्थी 'ब'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १२५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६५३ पर)

प्रतिलिपि

आवश्यकीय रजिस्टर्ड

सेवा में,

श्रीमान्, पंचायत राज, ए० डी० ओ०, रामगढ़, जिला नैनीताल,

प्रेषक,

सदस्य, ग्राम सभा, दडिया पट्टी, पूर्वी आगर, जिला नैनीताल ।

विषयः अविश्वास का प्रस्ताव

महोदय,

हम निम्न हताक्षरकर्त्ता सदस्य गांव सभा दडिया के अपने सभापति, श्री केशरसिंह जी पर पूर्ण अविश्वास प्रकट करते हैं कि इनके द्वारा संचालित ग्राम सभा से सम्बन्धित योजनायें एवं जनहित कार्य व सभा की प्रक्रिया सदैव जन हित के विपरीत होती आ रही है तथा दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि सभा की मनमर्जी हो रही है । फलस्वरूप हम अविश्वास प्रगट करते हुए, अन्य सभापति का चुनाव अविलम्ब चाहते हैं । जिससे ग्राम वासियों का हित हो सके ।

हम हैं निम्न सदस्य :

१—(ह०) लालूराम प्रा० स० दडिया
२—(ह०) चुतुरराम " "
३—(ह०) दुर्गाराम " "
४—(ह०) गोपालसिंह
५—(ह०) हरिराम सा० ग्राम सं० दडिया
६—(ह०) लालूराम "
७—(ह०) शिवराम "
८—(ह०) जोहारसिंह "
९—(ह०) अज्ञात अस्पष्ट "
१०—(ह०) हरीराम "

दिनांक १४ मई, १९६२ ।

प्रतिलिपि आवश्कीय कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषित ।

नत्थी 'भ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १२९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९५३ पर)

क्रम-संख्या	वर्ष	समिति के कार्य हेतु लेखन सामग्री पर व्यय	भ्रष्टाचार को रोकने हेतु प्रचार आदि कार्यों पर व्यय
		रु० न० पै०	रु० न० पै०
१	१९५७–५८	..	६७.९०
२	१९५८–५९	..	५७.६२
३	१९५९–६०	७३.९६	२७०.००
४	१९६०–६१	७९.४०	३०२.९२
५	१९६१–६२	२१.७५	३५०.००

नत्थी 'म'

(देखिये पीछे पृष्ठ ९५७ पर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रथम सत्र (१९६२) के १२ वें बुधवार के लिए श्री कल्याणचन्द मोहिले के तारांकित प्रश्न संख्या ९ का संशोधित उत्तर

प्रश्न	उत्तर
९—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के स्कूलों तथा इन्टर कालेजों को कितना-कितना धन (हरिजन) छात्रों को छात्रवृत्ति देने हेतु १९५९ से १९६२ तक दिया ?	१९५८–५९ से १९६१–६२ तक मैट्रिक से पूर्व तथा उत्तर मैट्रिक कक्षाओं में दिया गया छात्रवृत्ति का धन निम्न प्रकार है:

वर्ष	मैट्रिक से पूर्व (रु० लाख में)	उत्तर मैट्रिक (रु० लाखों में)
१९५८–५९ ..	१५.२७	००.०८
१९५९–६० ..	१५.४०	३६.३४
१९६०–६१ ..	१५.३७	५०.९३
१९६१–६२ ..	२०.६३	६६.५३

महाबीरप्रसाद श्रीवास्तव,
मंत्री हरिजन एवं समाज कल्याण।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—२७० एल० ए०—१९६३ (प्री०)—८५० ।